ISSN-0971-8397

# योजना

विशेषांक | अगस्त 2009 | विकास को समर्पित मासिक | मूल्य : 20 रुपये

# बजट 2009-10

## समावेशी विकास के लिए कार्यक्रम

# विगत वर्षों में राज्यों को अंतरित संसाधन

(करोड़ रुपये में)

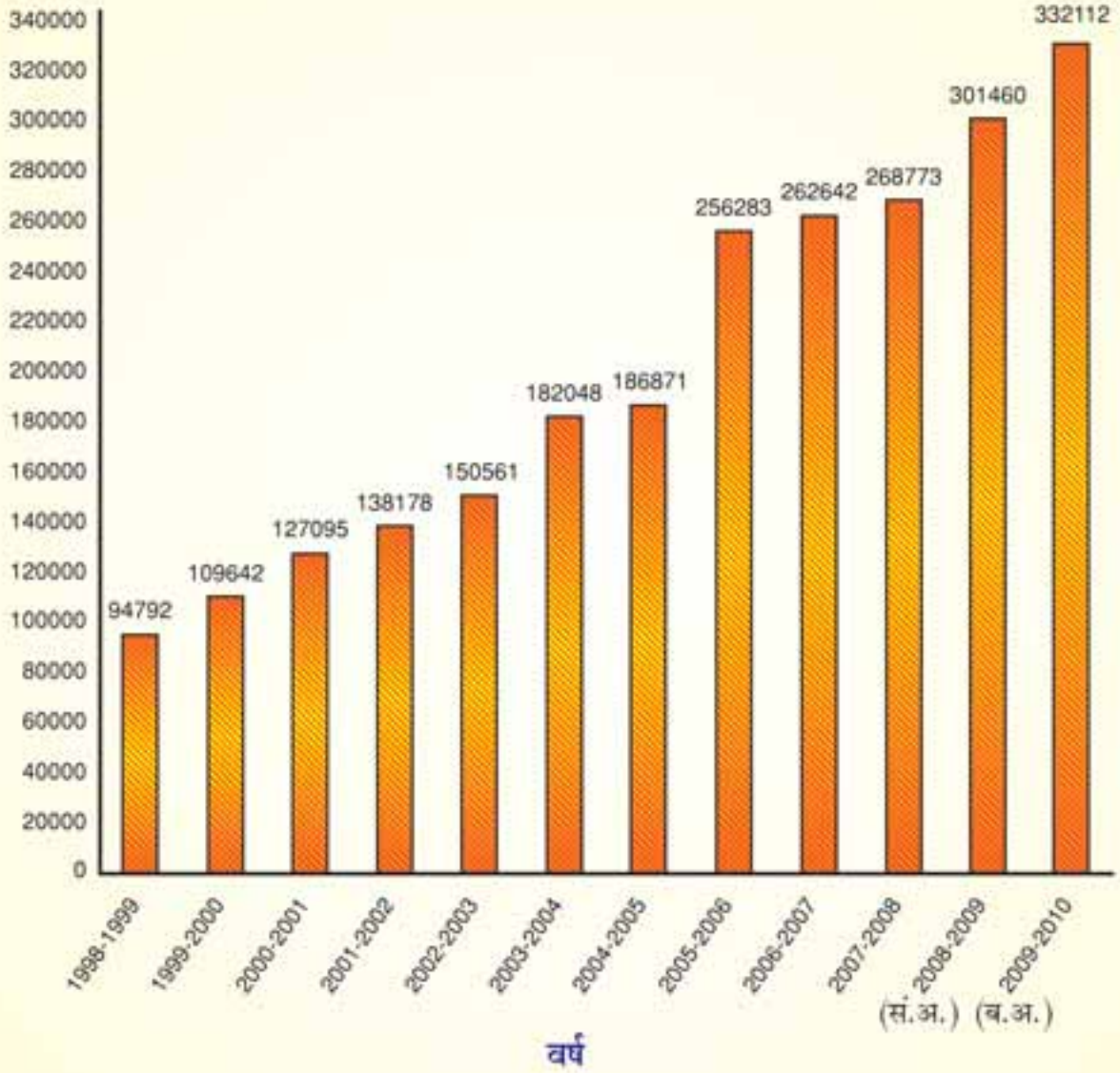


ग्राफ में दिए गए आंकड़ों में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, (राष्ट्रीय लघु बचत निधि से राज्य प्रतिभूतियों में निवेश) जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधन होता है। वर्ष 1998-99 के आंकड़ों में स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 की आय में राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है।

# योजना

वर्ष : 53 • अंक : 8 अगस्त 2009 श्रावण-भाद्रपद, शक संवत 1931 कुल पृष्ठ : 76



प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी



संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in



संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
जे.के. चन्द्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण
साधना सक्सेना


## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| संपादकीय | - | 5 |
| संघीय बजट : आर्थिक और राजनीतिक रणनीति | कमल नयन काबरा | 6 |
| आम बजट 2009-10 की मुख्य विशेषताएं | - | 9 |
| सतर्क और संयत बजट | टी.एन. अशोक | 13 |
| भारतीय अर्थव्यवस्था तथा प्रत्यक्ष कर | एस.सी.ग्रोवर | 17 |
| बजट में किसान और फ़सल | कुलदीप शर्मा | 21 |
| पूरा नज़रिया बदलना होगा | अवधेश कुमार | 25 |
| मंदी के दौर में नौकरियों का जुगाड़ | नवीन पंत | 27 |
| जनस्वास्थ्य और आम बजट | ए.के. अरुण | 30 |
| तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास पर ज़ोर | विमल कुमार | 33 |
| निर्यात : जो करना था किया | अमितेंदु पालित | 35 |
| रेल बजट का फ़ोकस : आम आदमी | अरविंद कुमार सिंह | 39 |
| आधारभूत ढांचे के विकास में सुधार की परिकल्पना | देवेन्द्र उपाध्याय | 43 |
| बजट शब्दावली | - | 46 |
| शोधयात्रा : सितारों से आगे पहुंचने की तमन्ना | - | 49 |
| जहा चाह वहां राह : खाद्य सुरक्षा का संकल्प | गोविंद शर्मा | 52 |
| राजनय : जी-8 का 35वां शिखर सम्मेलन | सुरेश अवस्थी | 55 |
| राजनय : येकातेरिनबर्ग में नये युग की शुरुआत | सुमन तिवारी | 57 |
| सहज और सस्ते न्याय की ओर | प्रमोद कुमार अग्रवाल | 60 |
| विश्व अर्थव्यवस्था की सुस्ती पर चिंता | रहीस सिंह | 63 |
| वैश्विक मुद्रा की अवधारणा और उपयोगिता | जगबीर कौशिक | 67 |
| मंथन : अपना दीपक खुद बनो | रख्शां हाशमी | 71 |
| ख़बरों में | - | 72 |



**योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590,** तार : सूचनाप्रकाशन।

**सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :-** सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

**चंदे की दरें : वार्षिक :** 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.



'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

# आपकी राय

## विकास से जोख़िम रहित विकास तक

***योजना*** के जून 2009 अंक में संतोष कुमार का लेख पढ़ा। उनके द्वारा आंकड़ों में 'जंगल की आग' वाले कॉलम में प्रभावित लोगों की संख्या सभी तालिकाओं में शून्य दिखाना उनके आंकड़ों की प्रमाणिकता को संदिग्ध करती है क्योंकि जंगल की आग से उत्तराखंड में ही कई लोग प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं तथा कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं। कृपया आपदा प्रबंधन में इस बिंदु को महत्वपूर्ण मानते हुए इन आंकड़ों में संशोधन करें।

**पद्मिनी पनवार**
**उत्तराखंड**

## आपदा के कारणों का निराकरण करें

***योजना*** का जून अंक पढ़ा। आपदा प्रबंधन को समर्पित यह अंक समसामयिक, शोधपरक व ज्ञानवर्द्धक लगा। विशेषकर दिनेश कुमार मिश्र, सुधीर के. जैन, अरुण कुमार, संतोष कुमार एवं शिवांगी चावड़ा के लेख अच्छे लगे। आज भी इस देश की एक बड़ी आबादी आपदा को केवल प्रकृति की देन मानती है। यह दुखद पहलू है कि एक तरफ भारत विश्व शक्ति बनने को आतुर दिख रहा है, दूसरी तरफ देश के विकास में बाधक बने तत्वों से निपटने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। सिर्फ़ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से समस्या का हल नहीं किया जा सकता। बिहार में पिछले साल आए अभूतपूर्व बाढ़ ने न केवल वहां के जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि उसकी भौगोलिक संरचना को ही बदल डाला। वहां आज भी लोग तिरपाल-टेंट में अपना जीवन गुज़ार रहे हैं। सरकार द्वारा राहत सामग्री तो मिल रही है, लेकिन उनके पुनर्वास के उपाय न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कर पा रही है। दरअसल, किसी भी देश या सरकार के लिए आपदाओं से निपटना इतना आसान नहीं होता। जब तक सरकार की मंशा आग लगने के कारणों को समाप्त करने के बजाय आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दौड़ने वाली होगी, तब तक किसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का कोई मतलब नहीं होता।

आखिर क्या कारण है कि शहरों में कंक्रीट के जाल बिछाए जा रहे हैं, पेड़-पौधों की अनवरत कटाई हो रही है और बिना किसी सर्वेक्षण के गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं? भूकंपरोधी तकनीक के अभाव में महलों का शहर पलभर में मलबों का ढेर हो जा सकता है। इसके लिए दोषी कौन है? नदियों की उफ़नती धारा को हम बांध तो सकते हैं लेकिन बांध के रख-रखाव के प्रति अगर लापरवाह रहे तो बाढ़ आएगी ही। ऐसे में प्रकृति प्रलय कहना; क्या अपनी जिम्मेदारी से बचने के समान नहीं है? आज भी जापान में भारत के बनिस्वत भूकंप के तेज़ झटके आते हैं, लेकिन वहां उतनी क्षति नहीं होती, क्योंकि वहां की इमारतें भूकंप के झटकों को सहने के अनुकूल हैं। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने 1979 में ही आपदा प्रबंधन की औपचारिक व्यवस्था लागू कर ली थी, जबकि भारत में 2005 में एनडीएमए का गठन किया गया। यह सर्वविदित है कि केवल पूर्वनियोजित तरीक़ों से ही आपदाओं से निपटा जा सकता है। इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय निकायों, विशिष्ट संस्थाओं, उद्योग जगत, गैर-सरकारी संगठनों और यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। सरकार को एक ऐसा 'वार्डन' बनाने का प्रयास करना चाहिए जो जनजागरण करने के साथ-साथ आपदा-प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाए। इस काम में मीडिया भी अपनी भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि *योजना* का प्रत्येक अंक चाहे वे 'उपभोक्ता मामलों' पर आधारित हो, 'ऊर्जा संरक्षण' या फिर 'आपदा प्रबंधन' पर ज्ञानवर्धन के साथ जागरुकता फैलाने का कार्य कर रहा है।

**परितोष कुमार झा**
**नोएडा**

## आपदा जागरुकता ज़रूरी है

***मैं योजना*** का नया पाठक हूं। *योजना* का जून अंक 2009 अंक पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। यह पत्रिका ज्ञानवर्धक होने के साथ ही अच्छे लेखों से प्रभावित करती है।

जून अंक में आपदा प्रबंधन पर बहुत सारी जानकारियां मिलीं। आपदाएं विकास को प्रभावित करती हैं। समुदाय द्वारा की गई मदद आपदा के वक्त बहुत ही मददगार होता है। आपदाओं से

निपटने के लिए 'क्या करें, क्या न करें', शीर्षक के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हमारे देश में आज भी लोग आपदाओं को दैवी घटना मानकर भूल जाते हैं। अगर लोगों को आपदाओं के बारे में प्रशिक्षित कर जागरुकता कार्यक्रमों के द्वारा आपदाओं के विषय में बताया जाए कि आपदाए क्या हैं, वे क्यों आती हैं, उनसे कैसे बचा जाए और आपदा के बाद क्या-क्या किया जाए, तो शायद बहुत सारे लोगों के ज़ान माल को बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार को भी जागरुकता अभियानों और कार्यक्रमों के लिए स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हर प्रकार की आपदाओं के लिए जागरुकता अभियान चलाना चाहिए।

'स्वास्थ्य चर्चा' में युवाओं में बढ़ती नशाख़ोरी की प्रवृत्ति पर लेखक विजय कुमार राय के विचारों से मैं सहमत हूं।

**राजीव रंजन वर्मा**
**चौसा, बक्सर, बिहार**

## प्रकृति से छोड़छाड़ रोकें

***'आपदा*** प्रबंधन : कितने तैयार हैं हम' विषय पर केंद्रित जून अंक शायद हमसे यही सवाल कर रहा है कि आपदाओं से मुक़ाबला करने में हम सक्षम हैं या नहीं। इसका जवाब हमें अंक में शामिल सारगर्भित लेखों में मिल गया। उत्तरी भारत में भूकंप, भूस्खलन; तटीय राज्यों में सुनामी और लगभग संपूर्ण भारत में बाढ़, सूखा, तूफान आदि आपदाएं आती ही रहती हैं। मानव निर्मित आपदाओं में आतंकवादी हमले हैं, जिनसे भारत सुलगता ही रहता है। इन सब से निबटने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। सिर्फ़ आवश्यकता है सुनियोजित तरीक़े से क्रियान्वयन, सतर्कता और फ़ौरी कार्यवाही की।

आपदाएं अचानक आती हैं- इसलिए हम बिल्कुल तैयार रहें, ताकि जल्दी क़ाबू पाकर जान-माल की हानि रोक सकें। वैज्ञानिकों को ऐसे उपकरणों की ख़ोज करनी चाहिए, जिससे कि पूर्वानुमान लगाया जा सके। ऐसे विकास को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि आपदाएं पैदा ही न हों। प्रकृति से छेड़छाड़ रोकनी होगी, पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सफल प्रयत्न करना होगा। विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित शिक्षा को शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो यह अधिक कारगर सिद्ध होगा। पीड़ित लोगों के राहत एवं बचाव के साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वनस्पतियों, वन्य जीवों तथा सार्वजनिक संपत्तियों की भी सुरक्षा हो।

आपदा प्रबंधन के विषय में लिखे गए सभी लेख रोचक, सरल और सारगर्भित हैं। 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन', 'आपदा प्रबंधन की कमज़ोरियां', 'मां का दुख दूर करने के लिए' आदि लेखों ने बहुत प्रभावित किया। वहीं नियमित स्तंभ 'मंथन' और 'ख़बरों में' न होने से विकास को समर्पित पत्रिका *योजना* अधूरी लगी।

**प्रेम नाथ नागर**
**सौंता, बांदा, उ.प्र.**

## पहले से तैयारी ही विकल्प

***इस*** अंक के लेखों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं, हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र की कमज़ोरियों व इनसे निपटने हेतु सकारात्मक सुझावों को बड़े ही विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि भले ही हमारा देश तकनीकी विकास व वैज्ञानिक शोधों के मामले में नित नयी ऊंचाइयां छू रह रहा है, किंतु आकस्मिक आपदाओं से त्वरित निपटने में हमारा सरकारी तंत्र आज भी पंगु है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे समुद्री सीमा से सटे राज्य हर वर्ष भीषण चक्रवात के चपेट में आते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अचानक ही भूकंप आ जाना एक स्वाभाविक बात है। फिर भी इन सबके बावजूद हमारा सरकारी आपदा प्रबंधन तंत्र हर बार अपेक्षित सरकारी सहायता न मिलने का रोना रोता रहता है। घटना घटने के बाद उससे निपटने का हल निकाला जाता है। आपदाओं से निपटने का एक ही सही रास्ता है कि इनके आने से पूर्व ही तमाम सुरक्षा तंत्र व उसके उपायों पर अमल कर लिया जाए।

**रवि गुप्ता, नोएडा**

## आपदा, प्रकृति का प्रतिशोध

***संपादकीय*** अच्छी, प्रेरक एवं उत्साहवर्धक रही। अंक में प्रकाशित लगभग सभी लेख हमें आपदा प्रबंधन के संबंध में आत्मविश्लेषण हेतु विवश करते हैं। साक्षात्कार जीवंत था। एन. विनोद चंद्र मेनन तथा दिनेश कुमार मिश्रा ने सही विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुधीर के. जैन जहां बौद्धिक पक्ष को व्यक्त कर रहे हैं वहीं सतीश चंद्र सक्सेना हमारी आध्यात्मिक क्षमता को व्यक्त कर रहे हैं। गुरेंद्र पाल डंग ने हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जितेन्द्र द्विवेदी ने एक समसामयिक समस्या का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।

'स्वास्थ्य चर्चा' में युवाओं में नशाख़ोरी की एक चिंतनीय मुद्दा है। नशाख़ोरी सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक समस्या है। युवा किसी भी देश के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार होता है। बढ़ती प्रतियोगिता एवं भौतिकतावाद के कारण हम युवाओं को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। नशाख़ोरी से बचाव के लिए परिवार, मित्रों तथा संबंधियों को कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। सरकार को ही क्यों, जनता को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए और सरकार के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। आपदा प्रकृति का प्रतिशोध है। मानवीय श्रम और बौद्धिक रचनात्मकता से सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मेरे विचारानुसार, पर्यावरण संतुलन का मानवीय प्रयास एवं आपदा प्रबंधन संबंधी सुझाव जो आपने प्रकाशित किया है उन्हें सख़्ती से तथा तत्परता से प्रयोग में लाना चाहिए।

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**दिलावरगंज, पूरबपाली, किशनगंज**

## इतिहास से सीख लें

***जून*** अंक बेहद पसंद आया। आपदा प्रबंधन की समस्या और रोकथाम पर आधारित इस अंक में अनुभवी लेखकों के माध्यम से जो आंकड़े और विश्लेषण प्राप्त हुए वे झकझोर देने वाले हैं।

इतिहास कहता है कि हम कभी इतिहास से सीखते नहीं। बिहार में कोसी का तांडव, असम में ब्रह्मपुत्र का क़हर या फिर बंगाल में आई चक्रवाती तूफान की विनाशलीला, हर आपदा ने हज़ारों जानें ली। लाखों बेघर हुए, कइयों ने अपनों को खोया, वहीं 2020 तक विकसित राष्ट्र होने का भरने वाले देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की पोल खोल दी।

**विभाकर झा**
**मधुबनी, बिहार**

ध्येय IAS™
हमारा ध्येय आपकी क्षमता का विकास

DHYEYA The IAS™
.....Aim to Learn, Learn to Aim

AN ISO 9001:2000 COMPANY

सामान्य अध्ययन
MAINS 2009
IInd PAPER EXCLUSIVE
17 August
समय : 5.30 P.M.

दर्शनशास्त्र
दीपक कुमार सिंह
MAINS EXCLUSIVE 2009
सामाजिक-राजनीतिक दर्शन
3 दिवसीय आधारभूत संकल्पना
3 August
समय : 9.00 A.M.

भूगोल
कुमार गौरव
MAINS 2009
MAINS EXCLUSIVE
After PT Result
IInd Paper and Mapping
Time : 4 :00 P.M.
MAINS 2010
7 दिवसीय आधारभूत संकल्पना
IInd Paper
30 July
Time : 12 :00 noon

इतिहास
प्रकाश रंजन
TARGET 2009
15 दिवसीय प्रश्नोत्तर कक्षाएं (मुख्य परीक्षा विशेष)
18 August
समय : 11.30 A.M.
TARGET 2010
MAINS EXCLUSIVE
12 August
समय : 9.00 A.M.

राजनीति विज्ञान
वी.के. त्रिपाठी
दिल्ली केंद्र
11 August
समय : 4.30 P.M.
इलाहाबाद केंद्र
14 August
समय : 11.00 A.M.

पालि
for CIVIL SERVICES
(English & Hindi Medium)
12 August
समय : 7.00 A.M. and 6.30 P.M.

ENGLISH COMPULSORY & SPOKEN
DHARMENDRA KUMAR
Batches Time : 7:30 A.M. & 1:30 P.M.

URDU Lit.
BY EXPERTS
21st JULY

ESSAY After PT Result

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
DELHI : A-19, IIIrd Floor, Priyanka tower, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph. 27655121
ALLAHABAD : 573, Mumford Gunj, Near Nigam Chauraha, Allahabad, Ph. 0532-2642349, 09415217610
For Detail vint. www.dhyeyaias.com: Mr. PRASHANT (Course Director) 9899457549

YH-8/09/4

# संपादकीय

इस देश में केंद्रीय बजट पर कोई बहस या चर्चा न हो, ऐसा अवसर विरले ही आता है। इस तथ्य के बावजूद कि बजट ही आर्थिक नीतियों को घोषित करने का एकमात्र मंच नहीं है, और यह भी कि इस तरह के नीतिगत फ़ैसले इस एक दिन के बज़ाय वर्षभर होते रहते हैं, इस वार्षिक आयोजन की ओर बहुत सारे लोगों की निगाहें लगी रहती हैं। एक प्रकार से यह उचित ही है, क्योंकि यह वार्षिक घोषणा सरकार के इरादों को प्रतिबिंबित करती है, देश के वित्तीय स्वास्थ्य का अंदरूनी हाल पेश करती है, भावी नीतिगत निर्णयों का आधार तैयार करती है और वर्ष के दौरान विकास के कारवां की यात्रा का मार्गचित्र तैयार करती है। वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहे देश के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्गचित्र का विशेष महत्व है।

वर्ष 2009-10 का बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब विकसित विश्व के अधिकतर देश मंदी से प्रभावित हैं। मंदी ने देश में व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों पर करारी चोट की है, विकास दर को कम कर दिया है, लोगों को बेरोज़गार कर दिया है और विकास परियोजनाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। दबाव के इन क्षणों में औसत भारतीय के साथ-साथ व्यापार करने वाले लोग भी सरकार की ओर ही देखते हैं और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के उपायों की अपेक्षा करते हैं। विशेषकर उस समय जब सरकार आम चुनावों में स्पष्ट बहुमत से मज़बूत बनकर सत्ता में वापस आई हो।

आर्थिक विवशताओं और बढ़ी हुई अपेक्षाओं की इस पृष्ठभूमि में 2009-10 के बजट ने अर्थव्यवस्था के सामने आई तीन प्रमुख चुनौतियों- 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर यथाशीघ्र वापसी, समावेशी विकास के एजेंडे को व्यापक और गहन बनाने और सरकार को पुनः ऊर्जावान बनाने तथा अदायगी प्रणाली को सुधारने- के समाधान का प्रयास किया गया है। कमज़ोर पड़ रही अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार ने अल्पकालिक उपाय के रूप में 10.21 खरब रुपये के भारी-भरकम व्यय का प्रस्ताव किया है जोकि मुख्य रूप से सार्वजनिक परियोजनाओं और कर राहत की ओर इशारा करता है। आशय यह है कि मांग में वृद्धि कर विकास को बढ़ावा दिया जाए। सरकार के आगामी कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए बने कार्यक्रमों के आवंटनों में वृद्धि की गई है। इस वर्ष के बजट में एक ओर भारी मांग तो दूसरी ओर कर राजस्व में वृद्धि के अत्यंत सीमित विकल्पों के बीच संतुलन कायम करना वास्तव में एक कठिन कार्य था।

इस तथ्य के मद्देनज़र अनेक लोगों का यह अनुभव है कि परिस्थितियों के अनुसार जितना अच्छा हो सकता था, वित्तमंत्री ने किया है। परंतु ऐसे आलोचक भी होंगे जो यह सोचते हैं कि राजकोषीय घाटा कम करके बजट में और राजकोषीय अनुशासन लाया जा सकता था। इस बीच, आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर आने के संकेत दिए हैं। इस प्रकार, सरकार अपना एजेंडा तैयार करते समय इसे भी ध्यान में रख सकती है। अंदर के पृष्ठों में प्रकाशित लेखों में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बजट में क्या प्रस्ताव हैं, इस पर विशेषज्ञों की राय दी गई है।

मतभेद तो बने ही रहेंगे। यह तो समय ही बताएगा कि वर्ष के दौरान देश का आर्थिक प्रबंधन क्या आकार लेता है, और क्या इस बजट द्वारा तैयार मार्गचित्र वास्तव में हमें इस आर्थिक मंदी से निज़ात दिला सकेगा? ❑

# संघीय बजट : आर्थिक और राजनीतिक रणनीति

● कमल नयन काबरा

किसी भी साल का बजट ख़र्च, आमदनी, करों, कार्यक्रमों और नीतियों- सहायक नीतियों में कुछ परिवर्तन करता है। कुछ तात्कालिक परिस्थितियों के अलावा कई बड़े मक़सद भी इन परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। क्या ये विभिन्न किस्म के बदलाव आपस में संगत हैं? अपने समग्र रूप में मूलभूत और दूरगामी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने के साथ तात्कालिक, विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों आदि के बारे में राष्ट्रीय-सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं की प्राप्ति से पर्याप्त सकारात्मक योगदान की क्षमता भी इन बजटीय निर्णयों की सार्थकता और प्रभावशीलता की कसौटी होते हैं। किंतु बहुधा देखा यह जाता है कि बजट के कुछ निर्णय अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान अर्जित करने लगते हैं। मीडिया तथा विशेष स्वार्थों के नुमाइंदों द्वारा वे बहुत ज्यादा उपज ले जाते हैं। उनको अपने आप में बजट की समग्रता तथा अन्य मामलों और सामयिक तथा दूरस्थ परिवेश से असंबद्ध मानते हुए उनकी नुक्ताचीनी की जाने लगती है। इस तरह के विचार-विमर्श शायद ही बजट, उसकी अंतर्निहित विचारधारा, उसके प्रभावों और गुण-दोष को स्पष्ट कर पाएं। पिछले कुछ सालों से भारतीय आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य अनेक चुनौतियों और विवादों को जन्म दे रहा है। शेष विश्व के घटनाक्रम तथा उथल-पुथल इन विवादों की आग में घी का काम कर रहे हैं। खासतौर पर सन् 2007 के बाद वैश्विक वित्तीय आर्थिक-सामाजिक पटल पर अनेक पुराने संकटों की पुनरावृत्ति हो रही है और नये मसले उभर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की ऊंची तथा बढ़ती दर न तो रोज़गार, न समानता और न पर्यावरण संतुलन की अपेक्षाओं को ही पूरा कर पाई है। कई अर्थों में स्थिति बदतर हो चुकी है। भारत अपने आकार, महत्व तथा वैश्विक जुड़ाव के गहराते आयामों के कारण इन बाहरी तथा अंदरूनी बवंडरों के थपेड़ों से बच नहीं पा रहा है।

इस तरह की वैचारिक विवेचनात्मक पृष्ठभूमि में भारत के अभी हाल ही में पेश 2009-10 बजट को समझने के अपेक्षाकृत बेहतर तरीक़ों से प्रयास सार्थक हो सकते हैं। स्पष्ट है कि यह बजट वैश्विक मंदी के कारण भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धिदर के 9 प्रतिशत के क़रीब से अब 7 प्रतिशत से नीचे गिर जाने को सर्वाधिक गंभीर चुनौती मानकर बनाया गया है। यह सरोकार भारतीय विकास और आर्थिक नीतियों का शुरू से ही मुख्य स्तंभ रहा है। साथ में यह भी कहा गया है

**रुपया आता है**

(बजट 2009-10)

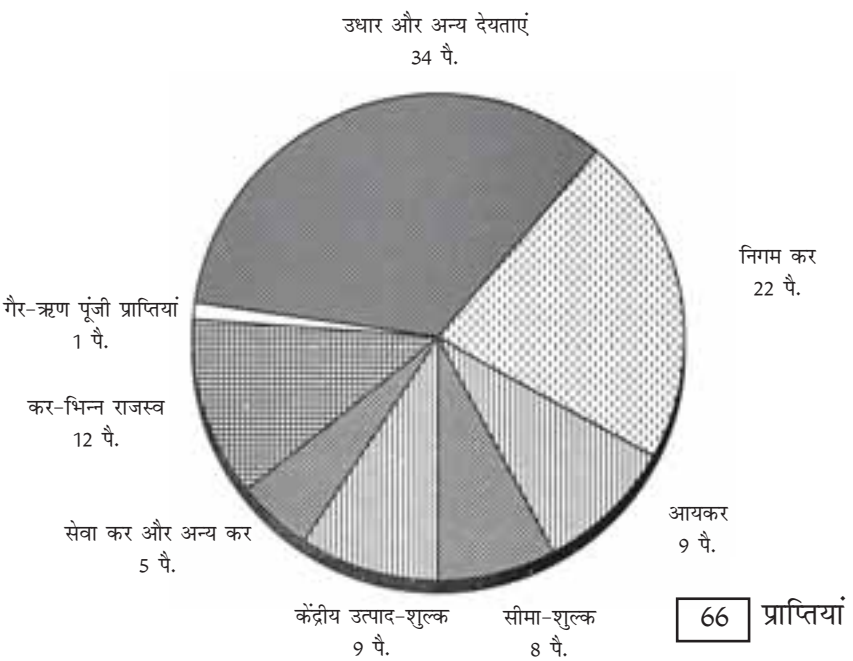


टिप्पणी:- कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में घटा दिया गया है।

कि 2009 के आम चुनाव ने संप्रग की दूसरी पारी को समावेशी आर्थिक संवृद्धि और समतापूर्ण विकास की ओर बढ़ने का जनादेश दिया है। बजट के प्रावधानों, उनकी व्याप्ति और संभावित प्रभावों का विश्लेषण ही यह दिखा सकता है कि इन दोनों उद्देश्यों में किसको कितनी प्रमुखता दी गई है और क्या और कितनी संगति तथा सहवर्तिता इन दोनों चुनौतियों से साथ-साथ दो-दो हाथ होने में है। कहना नहीं होगा कि इन दोनों परस्पर जुड़े सवालों के समाधान अधिसंख्यक भारतीयों के कल्याण और भविष्य पर गहरा असर डालते हैं।

बजट पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि करों के स्वरूप और ढांचे में मामूली परिवर्तन ही किए गए हैं। कुछ अंशों तक उपभोक्ता क़ीमतों की भारी बढ़त से वास्तविक आय के खामियाज़े की भरपाई करने और राजनीतिक स्तर पर दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए व्यक्तिगत आयकर से थोड़ी छेड़-छाड़ की गई है। साथ ही हमेशा अपने मुनाफ़े में राजकीय नीतियों द्वारा इज़ाफ़ा पाने और अधिकाधिक रियायतें पाने को लालायित और उद्धत निजी कंपनी क्षेत्र के लिए भी कर प्रावधानों में कुछ मामूली फेरबदल की गई है। ज्यादा जोर स्थायित्व पर रहा है न कि बदलाव पर। अप्रत्यक्ष करों को भी मंदी से निपटने के पहले किए गए निर्णयों के मद्देनज़र मामूली एवं तात्कालिक लोकप्रिय प्रभावोत्पादक प्रभावों और कुछ खास हितों की पैरवी-वकालत के फलस्वरूप किए गए फेरबदल के अलावा अपरिवर्तित ही रखा गया है।

हां, वस्तुओं के वायदा बाज़ार के लेनदेन को करमुक्त करना उपभोक्ता क़ीमतों के आकाशगामी रुख के खिलाफ़ विश्वव्यापी रुझान और अनुत्पादक जुएबाजीनुमा गतिविधियों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत के परिप्रेक्ष्य में एक अनुपयुक्त निर्णय ही माना जाएगा। इस निर्णय की वकालत करने वाले विशेषज्ञों के तर्कों का खुलासा तो किया ही जाना चाहिए। टौबिन टैक्सनुमा यह कर समग्र और संतुलित आर्थिक सोच का एक प्रतिफल है। इसे हटाना भारतीय उपभोक्ताओं, उत्पादक निवेश तथा अनर्जित अनुत्पादक कार्यों से प्राप्त आय पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से एक अहितकर फ़ैसला ही माना जाएगा।

बजट का कर नीति में पारदर्शिता और सरलता की ओर बढ़ने का मंतव्य निस्संदेह श्रेयस्कर है। उदाहरणार्थ, कंपनियों पर औपचारिक रूप से तीस प्रतिशत से ज्यादा दर पर टैक्स लगाना तथा अनेक संश्लिष्ट, उलझनभरी छूटों, रियायतों, कटौतियों के फलस्वरूप प्रभावी रूप से मात्र बीस प्रतिशत के लगभग कर संग्रह कर पाना एक अनावश्यक द्रविड़ प्राणायाम जैसा है। पारदर्शिता और सरलता का तकाज़ा है कि जो दर व्यवहार में वसूली जाती है, वही दर आप कानून द्वारा लागू करें और वसूलें। कुल मिलाकर मंदी के दुष्प्रभावों से वृद्धि दर को बचाने की कवायद के बीच कुल टैक्स राजस्व बढ़ाना सरकारी रणनीति से संगत नहीं है। किंतु कर-राजस्व के काफी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय आय से 11.2 प्रतिशत तक पहुंचाने के भगीरथ प्रयास को नकार कर इसे फिर 10.9 प्रतिशत तक गिराना कैसी दूरदर्शिता दिखाता है! न केवल राजकीय ख़र्च बढ़ाने, समावेशी कर को बल देने आदि हेतु, बल्कि पिछले पंद्रह-सोलह सालों से उच्च आयवर्ग की आमदनी और संपत्ति में आए भारी उफान पर एक सांकेतिक लगाम लगाने के लिए भी कर राजस्व/राष्ट्रीय आय अनुपात को बढ़ाना तो दरकिनार, कम से कम उसे यथावत रखने का प्रयास तो होना ही चाहिए था।

अस्तु, मंदी की मार से उबरने के अब तक लागू किए गए तीन पैकेज़ों के बाद अब भी अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को बढ़ाना आर्थिक वृद्धि की गतिमयता की ज़रूरी शर्त बनी हुई है। इसलिए आधारभूत सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा ऐसे ही अन्य आम जनहितकारी कार्यक्रमों पर ख़र्च बढ़ाना बजट की रणनीति का दूसरा अंतरंग भाग है। इस दिशा में कई प्रयास घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा) में मज़दूरी की दर को कम से कम 100 रुपये करना, उसके लिए आवंटन को 144 प्रतिशत बढ़ाना तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चयनित जिलों में नरेगा की सीमा में लाना शायद इस साल के बजट के आम आदमी के नज़रिये से किए गए सबसे अहम फ़ैसले हैं। फिर भी 10 खरब

## रुपया जाता है

(बजट 2009-10)

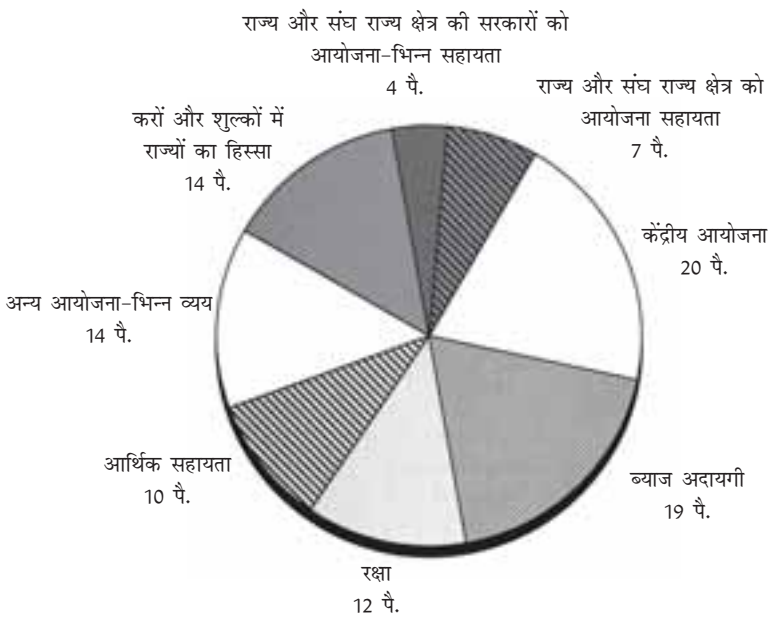


टिप्पणी:- 1. इसमें यह योजना परिव्यय शामिल नहीं है जिन्हें सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाता है।

2. कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में प्राप्तियों में से घटा दिया गया है।

रुपये तक उठाया गया सरकारी ख़र्च अभी भी चालू क़ीमत पर राष्ट्रीय आय के 20 प्रतिशत के क़रीब ही है और अतीत में पहुंचे स्तर से काफी नीचे हैं। इस तरह कर राजस्व की मात्रा तथा कुल सरकारी ख़र्च के बारे में मुट्ठी कस कर रखना बजट द्वारा चीन्ही और अनचीन्ही आज की राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बरक़्स कुछ महत्वपूर्ण अवसरों के उपयोग से कतराना ही माना जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना ज़रूरी लगता है कि कर-राजस्व तथा ऐसे ही दूसरे तरीक़ों से प्राप्त राजस्व के बाद भी सारे प्रस्तावित तथा विद्यमान सरकारी ख़र्च के लिए पर्याप्त राशि उगाहने का काम बाकी बचा रहता है। इसे देश में अतीत में की गई वित्तीय बचत से उधार लेकर पूर्ण करने का निर्णय किया गया है। चार लाख रुपये से अधिक की राशि सरकार उधार लेकर प्राप्त करेगी। इस मद में पिछले बजट से लगभग तीन गुना बढ़ोतरी इस साल के बजट का सबसे बड़ा चुनौती भरा फ़ैसला लगता है। कुछ प्रभावों, दबावों के चलते एक सार्वभौम सत्ता वाले स्वतंत्र देश के लिए अपने हाथ सरकारी ख़र्च के संदर्भ में कृत्रिम कानून द्वारा बांध लेना राष्ट्रीय चुनौतियों की उभरती गंभीरता के सामने टिक नहीं पाया। मुझे नहीं लगता है कि भारत के हालात और यहां का राजनीतिक अर्थशास्त्र एफआरबीएम की दूसरी किश्त जैसी किसी पहल को ज्यादा अरसे तक टिकने देंगे।

सरकारी ख़र्च और निवेश को बाजारी कट्टरवादी अर्थशास्त्र के आग्रहों से बाहर जाकर एक सीमा तक बढ़ाना यह साफ़ दिखाता है कि उदारीकरण प्रवर्तक आर्थिक सिद्धांत जमीनी सच्चाई के स्तर पर शीघ्र ही भारत में अपनी बाह्य सीमा छू लेते हैं और उन सीमाओं का अतिक्रमण नीतिकारों की एक अनिवारणीय अनिवार्यता बन जाता है। भारत का 2009-10 का बजट इस रणनीति और सोच के तहत बिना करयोग्य आय और संपत्ति वाले लगभग चार करोड़ संपन्न और प्रभावशाली लोगों पर सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उनसे धन वसूलने के विकल्प को नामंजूर करने की वजह से सरकारी उधारी की बहुत ऊंची छलांग लगाने को मज़बूर करता है। इस राजनीतिक ज़रूरत को पूरा करने के साथ ही सरकार को अपनी एक दूसरी राजनीतिक ज़रूरत को पूरा करने का अवसर मिल जाता है। पिछले बजट से लगभग 27 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि कर्ज़ों द्वारा उगाह कर सरकार ने बिना धनी वर्ग पर सीधे-सीधे बोझ डाले आम आदमी, गांवों और ग़रीबों के लिए नरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, भारत निर्माण आदि दर्जनों स्कीमों पर ज्यादा ख़र्च करने के संसाधन एकत्रित करने का रास्ता खोज लिया। इस प्रक्रिया में शहरों, उद्योगों, नवअभिजात वर्ग आदि के आधारभूत तथ्यों, प्रतिसुप्तात्मक ख़र्च की ज़रूरतों की अनदेखी नहीं की गई है। राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली मेट्रो आदि के कुछ ऐसे प्रावधान खास संदेश देते हैं। इन विविधतामय स्कीमों को समावेशीकरण के रथ के घोड़ों के रूप में पेश किया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के किसी भी प्रावधान को हटाए बिना उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई नये प्रावधान भी किए गए हैं। जैसा हमेशा होता आया है, निवेश प्रोत्साहन के कानून-कायदे और स्कीमें या तो सब क्षेत्रों और उद्यमियों के लिए समान रूप से लागू किए जा सकते हैं अथवा राजकीय कार्यपालिका के निजी विवेक के आधार पर उन्हें कुछ खास कामों और उद्योगों के लिए तय किया जा सकता है। इस बार कई क्षेत्र गतिविधि तथा उद्योग के लिए विशेष प्रोत्साहन और छूट की तजबीज फिर से कोटा-परमिट-लाईसेंस राज के दिनों की प्रक्रियाओं की याद को ताज़ा कर रही है। उदाहरण के लिए बजट भाषण के पैरा 93 को देखा जा सकता है।

जो हो, आर्थिक बढ़ोतरी की दर को बढ़ाने के प्रयास के लिए अपनाए गए आर्थिक वित्तीय राजकोषीय उपायों ने सरकार को आम आदमी के लिए ख़र्च को बढ़ाने के अनेक अवसर भी दिए। इस ख़र्च को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, जनविकास कार्यों के लिए और ज्यादा ही नहीं अपितु उन्हें सर्वव्यापक तथा जनाधिकार आधारित बनाने के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया जा सकता था। जब तक आमजन हितकर कार्यक्रम राजकीय प्रशासकीय अनुकंपा, विवेक आदि पर आधारित रहेंगे और लोगों की मांग और ज़रूरत के आधार पर साधिकार सर्वजन व्यापक नहीं होंगे, उनकी असली ज़मीनी प्रभावोत्पादकता सीमित और विवादित बनी रहेगी। वक्त आ गया है कि असली समावेशीकरण हेतु संशोधित संवर्द्धित नरेगा जैसी स्कीमें सारे-के-सारे 80 करोड़ निम्न तथा अपर्याप्त आमदनी वाले तबकों को अधिकार सम्पन्न करें। आंशिक केंद्रीकृत समावेशी योजनाएं ही केवल मात्रात्मक यथास्थितिवर्द्धक आर्थिक वृद्धि की रणनीति से हमेशा असंगत ही रहेंगी। अब तक के लगभग चार दशकों के ग़रीबी निवारण कार्यक्रम यही दिखाते हैं। खासकर ग़रीबी रेखा को 35 सालों से चालू कीमतों पर अपरिवर्तित रखने की वजह से सच्चा समावेशीकरण निश्चित ही राष्ट्रीय आय वृद्धि के साथ उसकी संरचना और उसके कर्ता-धर्ताओं का चरित्र बदल देंगे। इस साल के बजट में आर्थिक मंदी के कारण आई राष्ट्रीय आय वृद्धिदर में आई गिरावट से सरकारी ख़र्च तथा निजी निवेश बढ़ाकर उबरने के प्रयत्नों को राजनीतिक स्तर पर जरूरी समावेशीकरण के प्रयत्नों से काफी चतुराई और राजनीतिक सूझबूझ के साथ समन्वित कर दिया गया है। बाज़ार से भारी कर्ज़ उठाकर सामाजिक कार्यों पर ख़र्च करना निगमित भारत पर सीधे-सीधे कोई वित्तीय बोझ नहीं डालता फिर भी हमारे कंपनी क्षेत्र के धुरंधरों के गले यह सरलता से नहीं उभरता है। इससे उनको उधारी कम और महंगी मिलेगी। राजनीतिक स्तर पर समावेशीकरण की आंशिक सफलता भी एक चुनावी लोकतंत्र में धनिकों में अपना उल्लू सीधा करने की क्षमता शक्ति के प्रतिरोध की संभावनाएं उत्पन्न करती है। अत: शेयर बाज़ारों तथा उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण के संसारभर में धराशायी शव से चिपके रहने वाले महारथियों की इस बजट से नाराज़गी के कारण स्पष्ट हैं।

लोकतंत्र में परिवर्तन धीरे और आंशिक होते हैं। इस साल का बजट अपनी सारी जमी-जमाई प्रतिबद्धताओं, पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों के प्रति खरा उतरते हुए भी परिवर्तन तथा जनसक्रियता की एक खिड़की खोलता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों की नयी पहलें ही इन यथास्थितियों और बदलावों के समीकरणों की दिशा, दशा, गति और परिणति तय करेंगे। ❑

**(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नयी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं।**
**ई-मेल:**kamalnkabra@yahoo.co.in)

# आम बजट 2009-10 की मुख्य विशेषताएं

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2009-10 में सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियां, प्रमुख क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन के साथ-साथ बजट में प्रस्तावित निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हैं:

- अर्थव्यवस्था को यथाशीघ्र विकास पथ पर अग्रसर करके सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना।
- समावेशी विकास के एजेंडे को सुदृढ़ और व्यापक बनाना।
- सरकार का वितरण तंत्र बेहतर बनाना।
- भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा पिछले दस वर्षों में तेज़ी से बदला है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक हो गया और पण्य व्यापार का हिस्सा दोगुना होकर 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 38.9 प्रतिशत पर पहुंच गया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए सरकार ने कर राहत के रूप में तीन प्रोत्साहन पैकेज़ प्रदान करके और सरकारी परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाकर पहल की। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक सहजीकरण और नकदी बढ़ाने के उपाय किए गए।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए बजट अनुदान 2008-09 की तुलना में बजट अनुदान 2009-10 में 23 प्रतिशत की वृद्धि और रेलवे के लिए अंतरिम बजट अनुदान में 2009-10 में 10,800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009-10 में 15,800 करोड़ रुपये आवंटित की गई है।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बजट अनुदान 2008-09 में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009-10 में 12,887 करोड़ रुपये का आवंटन। शहरी ग़रीबों के लिए आवास तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान में बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009-10 में 3,973 करोड़ रुपये किया गया है। इसमें घोषित की गई नयी स्कीम राजीव आवास योजना का प्रावधान शामिल है।
- ब्रिमस्टोवा परियोजना के लिए प्रावधान करने की शुरुआत 2007 में हुई। मुंबई बाढ़ की समस्या से निज़ात पाने के लिए इसका वित्तपोषण केंद्रीय सहायता के माध्यम से होना है। इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी करके अंतरिम बजट 2009-10 में 200 करोड़ रुपये से बजट अनुदान 2009-10 में 500 करोड़ रुपये किया।
- त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत आवंटन में बजट अनुदान 2008-09 के मुक़ाबले 160 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009-10 में 2,080 करोड़ किया गया।
- वर्ष 2009-10 में कृषि हेतु 3,25,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा गया है। 2008-09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,000 करोड़ रुपये था।
- 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधि फ़सल ऋण हेतु ब्याज सहायता योजना ज़ारी रहेगी। अल्पावधि फ़सल ऋणों की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता। इसके अतिरिक्त अंतरिम बजट अनुमान 2009-10 की तुलना में 441 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- किसान ऋण माफ़ी तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि-धारक किसानों को उनकी बकाया राशि का 75 प्रतिशत भुगतान करने के लिए दिया गया समय 30 जून, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक बढ़ाया गया।
- बजट अनुदान 2008-09 की तुलना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत आवंटन में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है।
- बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वर्धित निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) को 95 प्रतिशत कवर करने के लिए समायोजन सहायता योजना को मार्च 2010 तक आगे बढ़ाया गया है।
- बाज़ार विकास सहायता योजना के तहत आवंटन बजट अनुमान 2009-10 में 124 करोड़ रुपये किया गया है।
- प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज़ के तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेंसी कमीशन की माफ़ी दी गई और डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि विशेष राहत के रूप में प्रदान की जाएगी। यह पैकेज़ गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेज़ी प्रमाण के अधीन होगा और इसे 30 जून, 2009 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2009 तक कर दिया गया है।
- उर्वरक के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का इरादा पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का है जिससे बाज़ार में उचित मूल्यों पर उपलब्ध अभिनव उर्वरक

उत्पादों के साथ उर्वरकों के बड़े समूह को कवर किया जा सके।

- पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य वैश्विक मूल्यों के अनुरूप रहें इसके लिए सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और धारणीय प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेष दल का गठन करेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम-से-कम 51 प्रतिशत की सरकारी इक्विटी बनाए रखते हुए, विनिवेश कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना ही सूचित करके ऑफसाइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना(नरेगा) के तहत बजट अनुदान 2009-10 में 39,100 करोड़ रुपये किया गया जो बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में ग़रीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाला प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 25 किलो चावल तथा गेहूं के लिए हकदार होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक बहस के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।
- भारत निर्माण के लिए आवंटन 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 45 प्रतिशत की बढ़त की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 के बजट अनुमान में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ किया गया। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आवंटन 27 प्रतिशत बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन 63 प्रतिशत बढ़ाकर 2009-10 के बजट अनुमान में 8,800 करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्त प्रचालन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधन आधार को मज़बूत करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में राष्ट्रीय आवास निधि हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 1,000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपये के आवंटन से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक नयी स्कीम शुरू की गई।
- कमज़ोर वर्गों के सशक्तीकरण के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्संरचित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना को व्यापक रूप से लागू करना तथा उसे पहुंच केंद्रित और 2014-15 तक ग़रीबी उन्मूलन के लिए समयबद्ध बनाना। बढ़ी दरों पर पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त निर्धन गृहस्थों को बैंकों से 1 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 22 लाख से अधिक महिला स्वसहायता समूह बैंकों से जुड़े हैं। स्वसहायता समूहों की पहुंच बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में स्वसहायता समूहों के सदस्यों के रूप में भारत की सभी ग्रामीण महिलाओं के कम-से- कम 50 प्रतिशत को शामिल किया जाएगा।
- अगले तीन वर्ष में महिला अशिक्षा के स्तर को कम करके आधा करने के लक्ष्य के साथ अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ किया गया है और इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष का सृजन किया गया है।
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत, मार्च 2012 तक छह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक सभी एकीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के योजना ख़र्च में बजट अनुमान 2008-09 में 74 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2009-10 में 1,740 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फांउडेशन को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 900 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की एक नयी स्कीम और राज्य वक़्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण हेतु केंद्रीय वक़्फ परिषद को सहायता हेतु आवंटन दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटन 2009-10 के अंतरिम बजट में बजट अनुमान 2,057 करोड़ से बढ़ाकर 12,070 करोड़ रुपये किया गया है।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठित किया गया है। राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण आयोजनों के अंतर्गत बजटीय आवंटन 2008-09 के बजट अनुमान को 335 करोड़ से बढ़ाकर 2009-10 के बजट अनुमान में 562 करोड़ रुपये किया गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत, राज्यों में पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम बजट 2009-10 की तुलना में 430 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।
- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़, सड़कों, फ्लड लाइटों लगाने के लिए अंतरिम बजट अनुमान 2009-10 की तुलना में 2,284 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
- शिक्षा के अंतर्गत 'मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी' योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और कौशल विकास मिशन के तहत पोलीटेक्नीकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान बढ़ाकर 495 करोड़ रुपये किया गया है।
- उच्च शिक्षा के लिए कुल आयोजना बजट में बजट अनुदान 2009-10 की तुलना में कुल 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के परिव्यय को अंतरिम बजट 2,112 से बढ़ाकर नियमित बजट 2009-10 में 3,472 करोड़ रुपये किया गया।
- श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से आंतरिक रूप से विस्थापित श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ सहयोग करेगा।

- चक्रवात आईला के कारण क्षतिग्रस्त बुनियादी संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित।
- बजट अनुमानों में 10,20,838 करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था की गई है जिनमें आयोजना-भिन्न के अंतर्गत 6,95,689 करोड़ रुपये तथा आयोजना के अंतर्गत 3,25,149 करोड़ रुपये शामिल हैं। आयोजना भिन्न व्यय में बजट अनुदान 2008-09 की तुलना में 37 प्रतिशत और आयोजना व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सकल कर प्राप्तियां बजट अनुदान 2008-09 के 6,87,715 करोड़ की तुलना में बजट अनुदान 2009-10 में 6,41,079 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- कर प्रस्ताव के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों में आगामी 45 दिनों के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी कर और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 1 अप्रैल, 2010 से वस्तु एवं सेवा कर की सुचारू शुरुआत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाकर ढांचागत परिवर्तन किए जाएंगे।
- कॉरपोरेट कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- प्रत्यक्ष करों के मामले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैयक्तिक आयकर की छूट सीमा 15,000 रुपये बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये हुए जबकि महिला करदाताओं के लिए छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये से 1.90 लाख रुपये और व्यक्तिगत करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए भी 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये किया गया है।
- अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के साथ-साथ सेवाकर के समग्र कर ढांचे को बनाए रखकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।
- टेलीविजन प्रसारण के लिए सेटटॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
- मोबाइल फोनों और उसके सहायक उपकरणों के विनिर्माण हेतु उसके कलपुर्ज़ों पर 4 प्रतिशत के सेनवैट शुल्क से उपलब्ध पूर्ण छूट को एक और वर्ष के लिए लागू रखा जाएगा।
- बायोडीजल पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वर्तमान 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगने वाली मदों पर मुख्य अपवादों सहित उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाएगा।
- सेवाकर के मामले में रेल द्वारा सामान के परिवहन पर, तटीय कार्गों के परिवहन और राष्ट्रीय जल मार्गों सहित अंतर्देशीय जल द्वारा माल परिवहन सेवा, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा पर सेवाकर लगाया जाएगा।
- प्रत्यक्ष करों पर कर प्रस्ताव से राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों पर पूरे वर्ष के लिए अनुमानित निवल प्राप्ति 2,000 करोड़ रुपये होगी। ❑

---

# योजना

## आगामी अंक

### सितंबर 2009

*योजना* का *सितंबर 2009 अंक भारत में शिक्षा क्षेत्र* पर केंद्रित रहेगा। इस क्षेत्र में क्या प्रमुख नीतिगत पहल की गई है, हमारी अहम उपलब्धियां क्या हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, यह अंक इन सभी प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास करेगा।

### अक्तूबर 2009

*योजना* का अक्तूबर 2009 अंक स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित होगा। वह क्या चीज़ है जिसने हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को बीमार बना रखा है? हम सभी देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भली प्रकार दिला सकते हैं? अतीत में इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में क्या योजना है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर यह अंक प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। ❑

# बजट का सार

(करोड़ रुपये में)

| | | 2007-08 वास्तविक | 2008-09 बजट अनुमान | 2008-09 संशोधित अनुमान | 2009-10 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व प्राप्तियां | 541864 | 602935 | 562173 | 614497 |
| 2. | कर राजस्व (केंद्र को निवल) | 439547 | 507150 | 465970 | 474218 |
| 3. | कर-भिन्न राजस्व | 102317 | 95785 | 96203 | 140279 |
| 4. | पूंजी प्राप्तियां (5+6+7) | 170807 | 147949 | 338780 | 406341 |
| 5. | ऋणों की वसूली | 5100 | 4497 | 9698 | 4225 |
| 6. | अन्य प्राप्तियां | 38795 | 10165 | 2567 | 1120 |
| 7. | उधार और अन्य देयताएं | 126912 | 133287 | 326515 | 400996 |
| 8. | कुल प्राप्तियां (1+4) | 712671 | 750884 | 900953 | 1020838 |
| 9. | आयोजना-भिन्न व्यय | 507589 | 507498 | 617996 | 695689 |
| 10. | राजस्व खाते पर | 420861 | 448352 | 561790 | 618834 |
| | जिसमें से | | | | |
| 11. | ब्याज भुगतान | 171030 | 190807 | 192694 | 225511 |
| 12. | पूंजी खाते पर | 86728 | 59146 | 56206 | 76855 |
| 13. | आयोजना व्यय | 205082 | 243386 | 282957 | 325149 |
| 14. | राजस्व खाते पर | 173572 | 209767 | 241656 | 278398 |
| 15. | पूंजी खाते पर | 31510 | 33619 | 41301 | 46751 |
| 16. | कुल व्यय (9+13) | 712671 | 750884 | 900953 | 1020838 |
| 17. | राजस्व व्यय (10+14) | 594433 | 658119 | 803446 | 897232 |
| 18. | पूंजी व्यय 12+15 | 118238 | 92765 | 97507 | 123606 |
| 19. | राजस्व घाटा (17-1) | 52569 | 55184 | 241273 | 282735 |
| | | (1.1) | (1.0) | (4.4) | (4.8) |
| 20. | राजकोषीय घाटा | 126912 | 133287 | 326515 | 400996 |
| | (16-(1+5+6)) | (2.7) | (2.5) | (6.0) | (6.8) |
| 21. | प्राथमिक घाटा (20-11) | -44118 | -57520 | 133821 | 175485 |
| | | -(0.9) | -(1.1) | (2.5) | (3.0) |

$ इसमें बाज़ार स्थिरीकरण योजना के संबंध में प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

* इसमें नकदी का कम आहरण शामिल है।

टिप्पणी: सघउ को ब.अ. 2009-10 के लिए सीएसओ द्वारा 2008-09 के लिए जारी संशोधित अनुमानों (5321753 करोड़ रुपये) की तुलना में 10.05 प्रतिशत विकास दर सहित 5856569 करोड़ रुपये माना गया है। सं.अ. 2008-09 में घाटा संकेतक वर्ष 2008-09 के अग्रिम अनुमान (5426277 करोड़ रुपये) के आधार पर बनाए रखे गए हैं।

# सतर्क और संयत बजट

● टी.एन. अशोक

**आम बजट ग्रामीण ग़रीबों से मुख़ातिब है, शहरी लोगों को मामूली राहत देता है और उद्योग तथा शेयर बाज़ार को असंतुष्ट ही छोड़ देता है। मंदी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, परंतु इसमें 9 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद की ओर लौटने का वायदा किया गया है**

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की दूसरी पारी के बजट की तुलना पहली पारी के दौरान पी. चिदंबरम के बजट से करना उचित नहीं होगा। श्री चिदंबरम ने जब 2008-09 का बजट इस दर्शन के साथ प्रस्तुत किया था कि लोग बाहर जाएं और ख़र्च करें, तब वैश्विक कारक और घरेलू वातावरण निवेश और व्यय के लिए सर्वथा अनुकूल थे। उनकी समूची कराधान व्यवस्था इसी सिद्धांत पर तैयार की गई थी। उनको पूरा विश्वास था कि उपभोक्तावाद विकास को ईंधन प्रदान करेगा और देश को विश्व राजनीति में राजनीतिक दबदबे और आर्थिक सुदृढ़ता वाले देशों के समूह में होना ही चाहिए।

अब प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत 2009-10 के बजट की ओर लौटते हैं। पूर्व विदेश मंत्री ने इनमें से किसी भावना को त्यागा नहीं है। परंतु, उनके सामने कई बाधाएं थीं। राजकोषीय घाटा बढ़कर 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गया था, राजस्व व्यय भी काफी बढ़ गया था, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और निर्यात पर मंदी का असर पड़ने लगा था और चुनाव घोषणापत्र में किए गए वायदों को भी ध्यान में रखना था और आभार प्रदर्शन की भावना को सामने लाना भी ज़रूरी था। प्रणब दा' ने अपने बजट में कई बातों को ध्यान में रखा है। परिस्थितियों के तहत उन्होंने सर्वोत्तम कार्य कर दिखाया है। सतर्कतापूर्ण आशावाद उनके बजट की विशेषता है। हालांकि लोगों को और अधिक सुधारों सहित अधिक साहसी बजट की आशा थी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विनिवेश पर किसी महत्वपूर्ण बयान के न होने से उद्योग जगत को निराशा हो रही थी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बजट तो एक सतत ज़ारी रहने वाली प्रक्रिया है और यह कोई एक बार में समाप्त होने वाला मामला नहीं है। बजट के बाद भी घोषणाएं की जा सकती हैं और जब आर्थिक परिवेश में सुधार दिखेगा, वे ऐसा अवश्य करेंगे। अत: उद्योग और शेयर बाज़ार के लिए आशा अभी बनी हुई है।

वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना- नरेगा के तहत 4.74 करोड़ परिवारों के लाभ के लिए 3 खरब 91 अरब रुपये का भारी प्रावधान किया है। खाद्य सुरक्षा विधेयक आने को है। किसानों के कर्ज़ की 75 प्रतिशत बकाया राशि को कर्ज़ माफ़ी कार्यक्रम के तहत माफ़ करने की योजना को इस वर्ष दिसंबर तक बढ़ाकर किसानों के लिए भारी राहत की घोषणा की गई है। सूदखोर महाजनों के शिकंजे में फंसे महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा के अध्ययन के लिए समिति पहले से ही बनी हुई है। ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 25 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। ये वे उपाय हैं जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण लोगों के लिए हैं निश्चित रूप से वित्तमंत्री ने सरकार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है।

शहरी लोगों के लिए क्या है? करों के स्लैब में मामूली परिवर्तन कर उन्हें थोड़ी-सी राहत दी गई है। उन्होंने प्रारंभिक स्तर वाले बहुसंख्यक करदाताओं की छूट सीमा बढ़ा दी है। यह इस प्रकार है। वरिष्ठ नागरिकों को अधिक लाभ मिला है क्योंकि छूट सीमा में 15,000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। वर्तमान 2.25 लाख रुपये से बढ़कर यह छूट अब 2.40 लाख रुपये तक मिलेगी। महिलाओं के लिए भी छूट की सीमा 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.90 लाख रुपये कर दी गई है। अधिकतर करदाताओं के लिए भी करों में छूट की सीमा 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है।

बेरोज़गारी के इन दिनों में जब भारत के क़रीब 60 लाख लोगों की नौकरियां मंदी के कारण जा चुकी हैं और क़रीब 60 लाख जाने को हैं, इस राहत का बड़ा महत्व है क्योंकि इससे लोगों के पास अधिक पैसा रहेगा। कुछ कर सलाहकारों का तर्क़ है कि 10 लाख रुपये से कम आय वाले अधिकतर लोगों के लिए कुल 1,000 रुपये की मामूली-सी राहत दी गई है जबकि 10 लाख रुपये से अधिक आय समूह के लोगों को न्यूनतम 22,415 रुपये की राहत दी गई है। कुछ लोगों के इस बयान के पीछे कि यह बजट 'ख़ास आदमी' के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं, यही कारण हो सकता है। परंतु यह केवल सतही तौर पर ही

सच दिखाई देता है। परंतु यदि आप गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि 10 लाख रुपये की आय समूह वालों को जो राहत मिली है वह प्रत्यक्ष करों पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज हटाने से मिली है, करों के स्लैब में परिवर्तन से नहीं।

भारी मात्रा में वोट देने वाली ग्रामीण जनसंख्या, पुन: विश्वास जताने वाली शहरी जनता और समर्थन दे रहे उद्योग जगत की राहत पाने की उम्मीदों को पूरा करने में वित्त मंत्री को काफी मशक्कत करनी पड़ी है।

वित्तमंत्री ने वेतनेतर लाभ कर (फ्रिंज बेनीफिट टैक्स– एफबीटी) को समाप्त कर अच्छा किया है। इसकी आशा काफी दिनों से की जा रही थी। सरकार के लिए यह राजस्व देने वाले स्रोत के बजाय यह झंझट ज्यादा थी। इसके कारण गणना करने में भारी मुसीबत हो रही थी। इसका हटाया जाना स्वागतयोग्य कदम है। परंतु वित्तमंत्री ने कारपोरेट (निगमित) कर पर लगा 10 प्रतिशत सरचार्ज नहीं हटाया है, जबकि व्यक्तियों के आयकर पर से सरचार्ज़ समाप्त कर दिया है।

कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (वस्तु क़ारोबार कर) के हटाए जाने से एक और बड़ी राहत मिली है। इससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजों (एमसीएक्स) पर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जहां आमतौर पर सोने, चांदी और अन्य धातुओं का क़ारोबार होता है। इससे एनसीडीई एक्स पर भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जहां बहुधा कृषि जिंसों का वायदा क़ारोबार होता है।

वित्तमंत्री ने शेयर बाज़ारों के में प्रचलित सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन (प्रतिभूति क़ारोबार) कर भी नहीं हटाया है। और यह ठीक ही किया, यद्यपि इससे शेयर बाज़ारों अनेक दलाल और अगुवा कारोबारियों को निराशा होगी। यह देखते हुए कि शेयर बाज़ारों में बड़े पैमाने पर क़ारोबार होता है, सरकार इससे मिलने वाले राजस्व को खोने के लिए तैयार नहीं थी। आजकल जब अनेक विदेशी क़ारोबारी भारतीय बाज़ारों की ओर, विशेषकर इन मंदी के दिनों में, आकर्षित हो रहे हैं, और चीन की तरह भारत भी मंदी की मार से बच निकला है, इस कर को समाप्त करना, कोई बुद्धिमानी नहीं होती।

वित्तमंत्री के बजट को भारी राजकोषीय घाटे और निम्न विकास दर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

बाज़ार सुस्त पड़े हैं, बैंक पैसा दबा कर बैठे हैं और कर्ज़ नहीं दे रहे हैं, जिससे उद्योगों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। अत: उद्योग जगत बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में वृद्धि के उपायों के बारे में साहसिक घोषणाओं की आशा कर रहे थे। ये लोग लाभांश वितरण कर भी वापस लिए जाने की अपेक्षा कर रहे थे। इस कर के बारे में उद्योग जगत की शिकायत है कि इससे कंपनियों को दो बार कर देना पड़ता है। निश्चित ही, वित्तमंत्री को इसे समाप्त करना चाहिए था, परंतु ऐसा न करने के पीछे उनके पास ज़रूर कोई कारण होगा।

पूछा जा सकता है कि एफडीआई अथवा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के पोर्टफोलियो निवेशों के बारे में कोई साहसिक उपाय क्यों नहीं किए गए? इस तथ्य पर विचार करना होगा कि एफआईआई निवेश अत्यधिक भंगुर होते हैं और जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगती है, वे उड़न-छू हो जाते हैं। अत: यह सही है कि विश्व की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्तमंत्री ने किसी नये उपायों का ज़ोखिम लेना उचित नहीं समझा। और, जब अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने-अपने देशों में कर्ज़ पटाने के लिए भारत से अपना पैसा खींच रही हैं (बीपीओ और रियल्टी क्षेत्र इसके अच्छे उदाहरण हैं), ऐसे में एफडीआई भारत में कैसे आ सकेगा? जब तक वे अपने-अपने घरों में सुदृढ़ नहीं होंगे, भारत में नया निवेश नहीं कर सकेंगे। अत: वित्तमंत्री ने सुरक्षित खेल खेला है और जब विश्व के आर्थिक परिवेश में सुधार दिखाई देने लगेगा निश्चित ही वे बजट के बाहर भी कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिससे एफडीआई प्रवाह में तेज़ी आए।

उद्योग जगत इस बात से भी निराश है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसमें राहत की अपेक्षा थी।

## 2009-10 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अपनी नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया है। लोकसभा में वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्तावों को पेश करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में अपनी नीतियों को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत होगी, जिनमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा:

- विस्तारित समयावधि के दौरान कम-से-कम 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर बनाए रखना।
- प्रतिवर्ष लगभग 120 लाख नये कार्य अवसरों के सृजन हेतु समावेशी विकास संबंधी प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्ष 2014 तक वर्तमान स्तर से घटाकर आधे से कम करना।
- यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर बनी रहे।
- वर्ष 2014 तक अवसंरचना में सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक निवेश बढ़ाना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करना और निर्यात में विकास गति बनाए रखने के लिए भारतीय उद्योग की सहायता करना।
- देश में आर्थिक विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार करना।
- दुर्बल वर्गों को सीधे सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के अधिकार क्षेत्र और पहुंच को बढ़ाना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख सुविधाएं प्रदान करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना ताकि देश में निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाया जा सके।
- वैश्विक मानकों की एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक, प्रगतिशील और पूर्ण विनियमित शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाएं पूरी करें।
- एकीकृत ऊर्जा नीति का पालन करते हुए ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ना। ❑

वित्तमंत्री के बजट पर अंकपत्र इस प्रकारेण है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक साथ दिए गए हैं।

**प्रत्यक्ष कर**

- व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा सामान्य करदाताओं के साथ महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दी गई है। ये लोग अल्प ब्याज़ व्यवस्था के कारण अब तक कष्ट झेल रहे थे। बचत और जमा खातों के ब्याज पर आश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत पत्रों पर ब्याज की दर अभी भी कम है।
- व्यक्तिगत आयकर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज समाप्त हो गया है। परंतु कारपोरेट करों पर यह सरचार्ज समाप्त नहीं किया गया है।
- कारपोरेट की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- एफबीटी खत्म–एक झंझट की समाप्ति।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया– उद्योग जगत के लिए करारा झटका।

**अप्रत्यक्ष कर**

- कुछ अपवादों को छोड़कर उत्पाद कर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया– उद्योग जगत प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए करों में कटौती की मांग कर रहा है। मंदी के दौर में करों में वृद्धि अच्छी नहीं मानी जा रही। निर्यातकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- सोने और सोने की छड़ों पर सीमा शुल्क बढ़ा; जो लोग इसकी ख़रीद से मुद्रास्फीति से बचने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि आयातक इसका बोझ खरीदारों पर डालेंगे। साथ ही, आयातित सोने से आभूषण महंगे हो जाएंगे, जिससे इस वर्ग की महिलाओं को कष्ट होगा। परंतु ब्रांडेड आभूषणों पर करों में कटौती से कुछ राहत मिलेगी।
- ब्रांडेड डीज़ल और पेट्रोल पर उत्पाद करों में संशोधन। प्रभाव का आकलन अभी होना बाकी। परंतु सरकार ने दूसरी बार, मूल्य निर्धारण पर परामर्श के लिए, उच्च स्तरीय समिति बनाई। सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना चाहती है। किरोसीन और एलपीजी पर सबसे अधिक सब्सिडी दी जाती है। एक ग़रीबों की आवश्यकता पूरी करता है तो दूसरा मध्यवर्गीय गृहणियों की। इसलिए इन उत्पादों पर सब्सिडी देने की ज़रूरत बनी ही रहती है।

उर्वरक पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को मूल्य आधारित करने के बजाय पोषक तत्वों पर आधारित कर वित्तमंत्री ने स्वागतयोग्य कदम उठाया है। साथ ही, किसानों को कंपनियों की जगह अब सरकार से सीधा लाभ मिलेगा।

राजनीतिक ट्रस्टों के चंदे को करमुक्त कर दिया गया है। यह एक प्रगतिशील उपाय है, परंतु ट्रस्ट किस प्रकार इस कोष का उपयोग करेंगे, उसकी छानबीन सरकार करती रहेगी।

एक बड़ा प्रश्न, जिसके उत्तर की तलाश ज़ारी है, वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए सरकार ने जो भारी आवंटन किया है और करदाताओं को जो राहत दी है उसके लिए वित्तमंत्री साधन कहां से जुटाएंगे? सारी कर रियायतें राजस्व शून्य हैं, कोई हानि नहीं है। परंतु नये कराधान उपायों से केवल 3,000 करोड़ रुपये ही मिलेंगे जो पर्याप्त नहीं है।

वित्तमंत्री संभवत: थ्रीजी स्पेक्ट्रम की लाइसेंसिंग प्रणाली की नीलामी पर आस लगाए हुए हैं, जिससे क़रीब 35,000 करोड़ रुपये की भारी राशि मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), एनएचपीसी और ऑयल इंडिया के विनिवेश के साथ-साथ 9 प्रतिशत की विकास दर पर लौटने की नीति से स्पष्ट है कि माल के उत्पादन और सेवाओं में इज़ाफ़ा होगा, जिससे अधिक कर संग्रह हो सकेगा।

बजट के कई क्षेत्रों से आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों ने इसे फ़ीका और प्रभावहीन बताया है, जबकि कुछ ने इसे संपन्न वर्ग का हितैषी बताया है। कई अन्य लोगों ने इसे दिशाविहीन तक कहा है। और अधिक विनिवेश तथा आयकर छूट की सीमा पांच लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की जाती रही है। ये प्रतिक्रियाएं उचित नहीं हैं। प्रथम, संपूर्ण बजट ग्रामोन्मुखी है और ग्रामीण ग़रीबों को लक्ष्यवार बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी मध्यम वर्ग की भलाई को ध्यान में रखा गया है। दूसरे, मंदी के इस माहौल में, जब पूरा-पूरा हिसाब-क़िताब लगाया जाना अभी बाक़ी है, वित्तमंत्री से किसी साहसी वक्तव्य की अपेक्षा करना अनुचित होगा। उदाहरणार्थ, निजी बैंकों के बारे में पश्चिमी देशों के अनुभव को देखते हुए, बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहने देना, बुद्धिमानी ही कहा जाएगा। आयकर छूट की सीमा पांच लाख रुपये तक बढ़ाना, कागज़ पर तो अच्छा लग सकता है, परंतु व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस श्रेणी के करदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा दिवा स्वप्न है जो तभी फलीभूत हो सकता है जब भारत 10-12 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ले।

कुल मिलाकर, बजट संयत और सतर्कतापूर्ण है, जिसमें ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के अलावा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम बड़े सलीक़े से किया गया है। हमें अब इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि वित्तमंत्री प्रत्यक्ष कर संहिता, खाद्य सुरक्षा विधेयक और अन्य प्रगतिशील उपायों पर कब अपना वचन पूरा करते हैं। ❑

**(लेखक समाचार एजेंसी पीटीआई के पूर्व आर्थिक संपादक और वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हैं।**
**ई-मेल:** ashoktnex@gmail.com)

## अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1,740 करोड़ रुपये

वर्ष 2009-10 के आम बजट में अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए 1,740 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, यह राशि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि से 74 प्रतिशत अधिक है। वित्तमंत्री ने बताया कि इसमें चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम और अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकपूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रावधान के लिए नौ सौ नब्बे करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

श्री मुखर्जी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लपुरम में अपने कैंपस खोलने का फ़ैसला किया है। प्रत्येक कैंपस के लिए पच्चीस-पच्चीस करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। ❑

# R. C. SINHA'S TM

# NEW DELHI IAS

## A CENTRE FOR EXCELLENCE IN CIVIL SERVICES EXAM

**JOIN AND FEEL -THE DIFFERENCE**

★ **IN - GENERAL - STUDIES, ESSAY**
- **INTER-NATIONAL RELATIONS**
- **PUBLIC ADMINISTRATION**

★ **BY MR R. C. SINHA** (The Renowned Consultant)

श्री सिनहा अपने सुनियोजित, क्रमबद्ध, समयबद्ध, सरल किन्तु विचारोतेजक व्याख्यान के लिए विगत 18 वर्षों से सुविख्यात हैं।

## दर्शनशास्त्र - द्वारा डॉ. अम्बुज

## (12 वर्षों से सुविख्यात)

★ मुख्य सह-प्रारम्भिक परीक्षा बैच-जून 09
★ मुख्य परीक्षा बैच-अगस्त 09
★ मुख्य सह-प्राम्भिक परीक्षा बैच-अक्टूबर 09

**Note Correspondence Course Available**
**पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध**

**CONTACT -**

**NORTH DELHI CENTER**
**A-1, Commercial Complex, IIIrd Floor Above "Apni Rasoi" Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 09. Ph.: 011.32035347.**
**CENTRAL DELHI (Corporate Office)**
**11A/19, Gol Chakkar, Old Rajinder Nagar Market, New Delhi - 60. Ph.: 011-25751890. (M): +91-9313431890, 9312478450.**

DOWN LOAD FREE REGISTRATION FORM **www.newdelhiias.com**

**S. Alam**
**Director**

**SEPARATE ENGLISH AND HINDI MEDIUM BATCHES.**
**(Batch Duration - 5 Months)**
✦ **HOSTEL FACILITY ARRANGED** ✦

YH-8/09/6

# भारतीय अर्थव्यवस्था तथा प्रत्यक्ष कर

● एस.सी.ग्रोवर

वर्ष 2009-10 का केंद्रीय बजट इस बार 6 जुलाई, 2009 को वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतवर्ष में इस बार आम चुनाव मई 2009 में किए गए जिसके उपरांत नयी सरकार का गठन हुआ। चुनावों में एक बार फिर मतदाताओं ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार को समर्थन दिया।

**मुख्य बातें**

वर्ष 2009-10 के बजट में कर प्रावधानों पर चर्चा से पूर्व एक सरसरी निगाह कुछ अन्य जरूरी बातों पर भी डाल ली जाए। इनके परिप्रेक्ष्य में कर प्रावधानों की चर्चा ज्यादा समीचीन होगी। परंपरा के अनुसार बजट पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक सर्वेक्षण वित्तमंत्री ने संसद के पटल पर रखा। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में हमारी अर्थव्यवस्था की मनोदशा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है तथा आगामी वित्त वर्ष में सरकार की मुख्य नीतियों को भी इंगित किया जाता है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाए गए मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

- वर्ष 2008-2009 में भारत में प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 46 अरब डॉलर से अधिक रहा।
- चालू वित्त वर्ष में भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धिदर सात प्रतिशत के लगभग रहेगी।
- प्रतिकूल वैश्विक हालात के बावजूद भारत में ऊंची बचत और निवेश दर, ग्रामीण समृद्धि तथा सेवा निर्यात में अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में उच्च भूमिका अदा की है।
- सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का इरादा ज़ाहिर किया जिससे अधिक से अधिक वित्तीय साधन जुटाए जा सकें।
- मूलभूत ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है। सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, बंदरगाहों के विकास, रेल विकास, दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर शीघ्र ध्यान देने की ज़रूरत है।
- हमारी अर्थव्यवस्था अब मंदी से उबर रही है। वैसे भी विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव यहां बहुत कम रहा है।
- पिछले वित्त वर्ष में भारत में कृषि विकास दर केवल 1.6 प्रतिशत रही जिसे चालू वित्त वर्ष में 4 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- राजकोषीय घाटे का अनुपात निर्धारित लक्ष्य से बहुत ऊपर है। यथाशीघ्र इसे पटरी पर वापस लाने पर ज़ोर दिया गया है।
- पिछले वर्ष सरकार का सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ गया था। खाद्य, पेट्रोलियम पदार्थ तथा उर्वरक सब्सिडी को नियंत्रित तथा तर्कसंगत बनाना है। पेट्रोलियम सेक्टर को सरकारी नियंत्रित मूल्य से मुक्त किया जाएगा।
- कर प्रणाली को अधिक तर्कसंगत बनाना- लाभांश वितरण कर को समाप्त कर लाभांश को शेयरधारकों के हाथ में लगाना, एसटीटी, एफबीटी, बैंकिंग नकद, ट्रांजेक्शन कर को समाप्त करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (नरेगा) का देशव्यापी विस्तार करना तथा जनसंख्या का कवरेज़ बढ़ाना।
- बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुचारू करके अधिक किसानों की पहुंच में लाना।

**पृष्ठभूमि**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में अर्थव्यवस्था की दशा का उल्लेख करना उचित तथा सुसंगत होगा। वर्ष 2008 के पूर्वार्द्ध तक भारत तथा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में तेज़ी का वातावरण था। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि निरंतर पांच वर्ष से उच्चतम स्तर पर थी। भारत तथा चीन इस दिशा में पूरे विश्व में अग्रणी थे। यहां सभी क्षेत्रों में, यथा ऑटो, उपभोक्ता वस्तुएं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या बैंकिंग तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में सभी नयी नियुक्तियां करने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगे हुए थे। 2008 के मध्य में कुछ क्षेत्रों में मांग में कमी आना शुरू हुई। इसके पश्चात तो अमरीका, ब्रिटेन तथा यूरोप में बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थान एक के बाद एक बंद होने लगे। उनमें सौ वर्ष पुराने दिग्गज संस्थान जैसे लिमैन ब्रदर्स, फ्रेडीमैक, फैनीमाय, मैरिल लिंच, एआईजी ने अपने द्वार बंद कर दिए। अमरीका में कम-से-कम 16 बैंक दिवालिया हो गए, बेरोज़गारी पिछले 26 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके विपरीत भारत में कोई भी वित्तीय संस्थान बंद होने की कग़ार पर नहीं पहुंचा। हां विदेशों की मांग कम होने के कारण हमारे निर्यात व्यापार को काफी झटका लगा, नौकरियां कम हुईं परंतु वित्तीय संस्थान बिना विशेष सरकारी मदद के अपने पांव पर खड़े रहे। इसके मुख्य कारण हैं हमारे नियामक प्रबंधन का अत्यंत संतुलित तथा संरक्षी होना तथा बैंकों की ऋण नीतियों का संकुचित होना। रिज़र्व बैंक का नियंत्रण पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर काफी प्रभावी है। बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्वामित्व में है, इसलिए भी उनमें ख़र्चों पर काफी अंकुश है। उच्च स्तर पर

सरकारी बैंकों में वेतन, भत्ते तथा बोनस बहुत सीमित है। एक सरकारी बैंक के सीएमडी को कुल वेतन वर्तमान में 20 लाख रुपये सालाना के आसपास है। जबकि निजी बैंक में यह डेढ़-दो करोड़ रुपये हो सकता है। पिछले एक वर्ष में जानकारी में आया कि अमरीका के कई दिग्गज बैंकों तथा संस्थानों ने अपने भारी घाटों तथा दिवालियेपन की क़गार पर भी अपने सीईओ को भारी वेतन के अलावा बोनस भी दिए। वहां संसदीय समितियों ने इस तरह की फ़िज़ूलख़र्ची की घोर निंदा की है।

**प्रत्यक्ष कर की दरें**

- निगमित कर की दरें तथा सरचार्ज व उपकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे सब गत वर्ष के स्तर पर ही रखे गए हैं।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर दस प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है। इस कर के भविष्य में समायोजन की अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।
- परिलब्धि पर कर (फ्रिंज बेनिफिट कर) को समाप्त कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है जिन कंपनियों ने जून तिमाही में इस कर का भुगतान किया है उस राशि को निगमित कर में समायोजित किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण राहत देने वाला निर्णय है जिसका सब ओर स्वागत किया गया है। इस कर में कागज़ी काम बहुत था तथा अनुपालन की लागत भी बहुत अधिक थी जबकि कर उगाही कोई विशेष नहीं थी।

**व्यक्तिगत आयकर**

**वरिष्ठ नागरिक**

करमुक्त आय: 2,40,000/- रुपये

10 प्रतिशत : 2,40,000/- रुपये से 3,00,000/- रुपये (करयोग्य आय)

20 प्रतिशत : 3,0001/- से रुपये 5,00,000/- रुपये

30 प्रतिशत : 5,00,000/- रुपये से ऊपर (करयोग्य आय)

**महिला करदाता (65 वर्ष से कम)**

करमुक्त आय

10 प्रतिशत : 1,90,000/- रुपये

10 प्रतिशत : 1,90,0001/- से रुपये 3,00,000/- रुपये (कर योग्य आय)

20 प्रतिशत : 3,00,0001- से 5,00,000/- रुपये (करयोग्य आय)

30 प्रतिशत : 5,00,000/- रुपये से ऊपर (करयोग्य आय)

**अन्य करदाता**

करमुक्त आय: 1,60,000/- रुपये

10 प्रतिशत : 1,60,0001/-से 3,00,000/- रुपये (करयोग्य आय)

20 प्रतिशत : 3,00,001/- से 5,00,000/- रुपये (करयोग्य आय)

30 प्रतिशत : 5,00,000/ रुपये से ऊपर (करयोग्य आय)

एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में 10 प्रतिशत का उपकर (सरचार्ज) जोकि 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं पर लगाया जाता था, को अब समाप्त कर दिया है। इस प्रकार हर व्यक्तिगत करदाता को इस बार के प्रस्तावों से कुछ-न-कुछ कर की बचत होगी। जिन करदाताओं की करयोग्य आय बारह लाख रुपये से अधिक है उनके खाते में बचत की राशि 24,000/- रुपये से अधिक होगी।

पिछले वर्षों की तरह ही धारा 80सी के अंतर्गत विशिष्ट बचत योजना में एक लाख रुपये तक की रक़म करयोग्य आय से घटा दी जाएगी। वित्तमंत्री ने यह घोषणा भी की कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए एक नया रिटर्न फार्म (सरल 2) शीघ्र ही लागू किया जाएगा जिससे छोटे करदाताओं को बहुत सुविधा होगी।

**प्रत्यक्ष कर संबंधी कुछ अन्य घोषणाएं**

- **अग्रिम कर**- यदि किसी करदाता की चालू वित्तवर्ष की अनुमानित आय पर कर (स्रोत पर काटे गए कर के बाद) 5,000 रुपये से अधिक है तो उसका भुगतान तीन बराबर किश्तों में सितंबर, दिसंबर तथा मार्च में किया जाना अनिवार्य है। अब वित्तमंत्री ने इस राशि को बढ़ा कर दस हज़ार रुपये कर दिया है। इस प्रकार अग्रिम कर की अनिवार्यता से छोटे करदाताओं को छूट दे दी गई है।
- **अनुसंधान तथा विकास ख़र्च की भारित कटौती** धारा 35 के अंतर्गत यदि कोई ख़र्चा करदाता व्यापार से संबंधित अनुसंधान तथा विकास पर करता है तो उसकी भारित कटौती 150 प्रतिशत की दर से दी जाती है। इस प्रावधान को वित्तमंत्री ने पहले से अधिक उदार कर दिया है।
- **प्रकल्पित कर योजना**
  छोटे तथा मझोले कारोबारियों को इस योजना के तहत छूट दी गई है कि वे विस्तृत ख़ातों के बिना प्रकल्पित आधार पर कर निर्धारण करा सकते हैं। इसके तहत वार्षिक बिक्री की सीमा को बढ़ा कर चालीस लाख रुपये कर दिया है।
- **यदि कोई चैरिटेबल** संस्थान गुप्तदान पाता है तो मौजूदा कानून के अंतर्गत उस राशि पर कर लगाया जाता है। इस प्रावधान को वित्तमंत्री ने उदार कर दिया है अब एक लाख रुपये तक की राशि पर कर नहीं लगेगा। इसके अलावा धारा 2(15) के तहत चैरिटेबल प्रयोजन की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।
- राजनीतिक दलों की फंडिंग में कुछ अधिक पारदर्शिता के प्रयोजन से वित्तमंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि यदि कोई करदाता चुनावी न्यास के माध्यम से राजनीतिक दान करता है तो उस दान पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- **शिक्षा ऋण पर ब्याज:** धारा 80ई के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त कर्ज़ पर ब्याज की कटौती मिलती है। वित्तमंत्री ने इस प्रावधान को उदार बना दिया है जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
- वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) को पिछले वर्ष ही लागू किया था। इस कर को अब समाप्त कर दिया गया है। नये स्थापित वस्तु एक्सचेंजों के लिए यह एक बड़ी राहत है।

**बजट प्रावधानों का मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया**

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि वित्त वर्ष 2008-2009 एक असाधारण वर्ष रहा है। इस दौरान सब प्रकार की आर्थिक गतिविधि प्रारंभ के कुछ महीने खूब तेज़ रही परंतु शीघ्र ही हर क्षेत्र में सुस्ती छा गई। निर्यात से जुड़ी हर कंपनी को बाहर से ऑर्डर मिलने निरंतर कम होते गए। पिछले वर्ष नवंबर से अब तक हर महीने निर्यात में गिरावट दर्ज़ की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष कर यूरोप, अमरीका तथा जापान में मंदी का प्रभाव बहुत गहरा चल रहा है।

हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार ने यथासंभव उद्योगों के लिए राहत पैकेज दिए हैं। बुनियादी बात यह है कि किसी भी हालत में लोगों में क्रय शक्ति का संचार किया जाए जिससे कि

सब प्रकार से उत्पादों तथा वस्तुओं की मांग बनी रहे। सरकारी अनुमान के अनुसार व्यक्तिगत आयकर प्राप्ति में क़रीब 9 प्रतिशत की गिरावट होगी जबकि निगमित कर प्राप्ति में 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

ग्रामीण रोज़गार के लिए वित्त वर्ष में 144 प्रतिशत अधिक तथा भारत निर्माण के तहत 45 प्रतिशत अधिक धन प्रदान किया है। सस्ती ब्याज दर (7 प्रतिशत) पर किसानों को कर्ज़ के लिए 38,000 करोड़ का प्रावधान है।ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत किया जाएगा। आयकर की रियायतों पर विशेषकर अधिभार की समाप्ति से लोगों के पास अधिक क्रयशक्ति होगी। इन सब प्रावधानों के कारण तथा राजस्व की मंद गति के कारण राजकोषीय घाटा इस वर्ष जीडीपी के 6.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है जोकि पहले से बहुत अधिक है।

बजट घोषणा पर उद्योग तथा वित्तीय जगत के लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उद्योग जगत बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क की कटौती चाहता था। आयकर की रियायत से लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं नज़र आता।

एक समाचारपत्र के सर्वे से कहा गया है कि बजट से युवावर्ग खुश हैं तथा बुजुर्ग अधिक खुश हैं। आगे कहा कि वेतनभोगी, विद्यार्थी तथा पेशेवर लोग खुश हैं। कोलकाता में 66 प्रतिशत तथा बंगलुरु और दिल्ली में क्रमश: 57 तथा 53 प्रतिशत लोग इस बजट से प्रसन्न हैं। चेन्नई तथा मुंबई में 40 प्रतिशत से कम लोग इस बजट से संतुष्ट हैं।

**निष्कर्ष**

वर्तमान में हम घोर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई बड़े राहत पैकेज़ दिए हैं जिनका अनुकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता नज़र आ रहा है। यह आम राय है कि वैश्विक आर्थिक संकट का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है। हमारी जीडीपी वृद्धि का अनुमान सात प्रतिशत के क़रीब है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारी जीडीपी वृद्धि का साढ़े पांच प्रतिशत से अधिक का अनुमान लगाया है। निगमित कर की जून की किश्त में कई बड़ी कंपनियों ने बढ़ा कर टैक्स दिया है। स्रोत पर काटा जाने वाला कर भी वृद्धि के संकेत दे रहा है। सब प्रकार के शोधक कदम उठाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। वित्तमंत्री ने ज़ोर देकर कहा है कि हम वर्तमान समस्या का अल्पकालिक हल न ढूंढ़े। उनका यह भी मानना है कि हर समस्या केवल बजट के माध्यम से हल नहीं हो सकती। स्टॉक एक्सचेंज में हमने पिछले एक वर्ष में भीषण उतार-चढ़ाव देखे हैं जिनके कई कारण व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा वैश्विक हो सकते हैं। बजट की गुणवत्ता बाज़ारी सर्वे अथवा सेंसेक्स के आधार पर नहीं आंकी जा सकती। एक विश्वास है कि हमारा रास्ता सही है। हम, हमारा समाज तथा सरकार सक्षम हैं। इस वातावरण में हम सफल होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। वर्ष 2009 के अंत तक इस दशा मे काफी सार्थक परिणाम आएंगे।

**प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार**

यह आम धारणा है कि वर्तमान में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर कर आ रहा है। मंदी के इस युग में हमारी अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की क्षमता रखती है जबकि अमरीका, जापान, ब्रिटेन इत्यादि विकसित देशों में विकास दर शून्य से नीचे अर्थात नकारात्मक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विश्व की अनेक वित्तीय संस्थाएं निवेश के लिए भारत में आ रही हैं चूंकि यहां उन्हें आकर्षक मौका दिखाई दे रहा है।

इस बात पर आम सहमति है कि हमारे कानून के प्रावधानों में बड़े पैमाने पर फेरबदल की आवश्यकता है। 1961 का हमारा आयकर पिछले कई दशकों में हुए तमाम वित्तीय बदलाव के साथ तालमेल नहीं रख सका है। हमारी सरकार ने इस विषय पर संसद में घोषणा की है कि एक नया आयकर कानून लाने की आवश्यकता है। हमारे मौजूदा कानून में कई प्रकार की विसंगतियां तथा विषमताएं हैं। क़रीब पचास वर्ष पुराने कानून में इतने पैबंदरूपी संशोधन हुए हैं कि उसकी पहचान ही कठिन हो गई है। मूल कानून में केवल 298 धाराएं थीं जिनमें 390 नयी धाराएं लाई जा चुकी हैं। इस 625 धाराओं के भारी-भरकम, जटिल अधिनियम के अलावा हमारी आयकर नियमावली, सर्कुलर तथा नोटिफिकेशन भी हैं जो कानून का ही हिस्सा हैं। नि:संदेह इन सब से करदाताओं तथा कर विभाग की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। अनिश्चितता प्राय: लंबे समय तक बनी रहती है। कई बार कानून के संशोधन से मामला स्पष्ट होने के बजाय और जटिल हो जाता है। यदि हम धारा 10(23-सी) पढ़ें जिसमें शिक्षण संस्थानों, अस्पताल इत्यादि को कर छूट का प्रावधान है, हम पाते हैं कि संशोधनों द्वारा उसमें 15 उपबंध जोड़े जा चुके हैं। इस प्रकार एक सरल, सादा प्रावधान अत्यंत जटिल हो गया है। कर कानूनों की भाषा हमारे देश में सदा ही अत्यंत कठिन रही है और इसे पर्याप्त शिक्षित लोग भी नहीं समझ पाते हैं। गौरतलब है कि धारा 271(1)(सी) की व्याख्या में दो में एक ही वाक्य में 290 शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका एक समन्वित अर्थ निकालना कठिन है। तात्पर्य यह है कि कर विधेयक इस प्रकार बनाए जाएं कि करदाताओं को उनके अनुपालन में कठिनाई न हो, कर विभाग के साथ विवाद और मुक़दमेबाजी न हो और वे वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सुसंगत हों। इस दिशा मे निम्न सुझाव गौरतलब हैं:

- कानून सरल भाषा में हो तथा उनमें स्थायित्व हो। अधिक संशोधनों से बचा जाए।
- प्रावधान पूर्व प्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिव) न हों और उनका संशोधन न्यायालयों के फ़ैसलों को निरस्त करने के लिए न किया जाए।
- कर की दरें कम हों तथा उपकर अधिभार से बचा जाए।
- कर प्रावधान ऐसे हों जिनके कार्यान्वयन तथा अनुपालन में कम ख़र्च तथा कम असुविधा हो।
- कर संबंधी नीति में यथासंभव पारदर्शिता होनी चाहिए।
- कर कानून का आधार (टैक्स बेस) बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को उसके दायरे में लाया जा सके।
- कर कानून ऐसे हों जो आर्थिक गतिविधि में किसी प्रकार की रुकावट न बनें। वे सदा तटस्थ रहें।

हमारे लिए यह अत्यंत संतोष की बात है कि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि अगले 45 दिनों में एक नये टैक्स कोड का प्रारूप ज़ारी कर दिया जाएगा जिस पर देश में विस्तृत चर्चा होगी। तत्पश्चात संसद के शीतकालीन अधिवेशन में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले वर्षों में हमारे प्रत्यक्ष कर संबंधी कानून में अनिश्चितता नहीं होगी, वे सरल होंगे तथा करदाताओं का अधिक विश्वास जीतेंगे। ❑

**(लेखक मुख्य आयकर आयुक्त रह चुके हैं)**

# SIHANTA IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

KIRAN KAUSHAL RANK- 3

# इतिहास

## रजनीश राज

ABHISHEK SINGH RANK- 48

2008 की मुख्य परीक्षा में इतिहास में हमारे यहाँ से 47 छात्रों को 320 से अधिक अंक मिले जिनमें कुछ श्रेष्ठ प्राप्तांक इस प्रकार हैं-

मयंक प्रभा -371, अशोक यादव -368
राजीव कुमार सिंह -361, रामेश्वर मीणा -360
विशाल मिश्रा -358, किरण कौशल -357
विपिन कुमार -352, तारिक माबूद -350
रंजीत कु० मधुकर -350,

प्रथम पत्र में सर्वोत्तम सुरेन्द्र यादव को-196 और
द्वितीय पत्र में राजीव कुमार सिंह को 201 अंक मिले हैं।

# 12 जुलाई से बैच प्रारम्भ

- 12 जुलाई से टेस्ट सीरिज प्रारम्भ *(Batch in Hindi & English Medium)*
- **प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम निकलने के 5 दिनों बाद क्रैश कोर्स प्रारम्भ**

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9

**011-42875012, 09873399588, 09212575646**

YH-8/09/3

# बजट में किसान और फ़सल

● कुलदीप शर्मा

**वर्ष 2009-2010 के वित्तीय बजट में ग्रामीण विकास की योजनाओं को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और फसल उत्पादन एवं उससे जुड़ी सहूलियतों को पुष्ट किया गया है**

जब भी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात सोची जाती है बिना कृषि की वकालत किए बात पूरी नहीं होती है। हो भी नहीं सकती। कारण साफ़ है। सदियों से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार रही है, वर्ष 2009-2010 और इससे पूर्व के दोनों आम बजटों में इस सोच को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दो राय नहीं कि जिस देश की 65 प्रतिशत जनता माटी से जूझ, धरती का सीना चीर फ़सल लहलहाती हो उसके बारे में सोचना देश के विकास के बारे में सोचना ही है। देखा जाए तो किसान और किसानी दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था के मज़बूत आधार हैं। अत: कृषि विकास के साथ-साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना देश की समृद्धि को बल देती है। इस बात को देश की सरकारों ने जब-जब समझा है तब-तब देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हैं। आज़ादी के तत्काल बाद पहली पंचवर्षीय योजना में ही इस बात को प्राथमिकता दी गई थी और उसके बाद भी कमोबेश दोनों को महत्व मिला। वर्ष 1949 में पंडित नेहरू की दूरदर्शिता का परिणाम अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम था जिसने अकाल झेलते किसान और चौपट होती किसानी पर मरहम लगाई थी। इसके बाद वर्ष 1960-61 में बिगड़ी धरती की सोची गई और भूमि सुधार कार्यक्रम आया। इसी शृंखला में सबसे क्रांतिकारी मोड़ वर्ष 1966-84 के दौरान आया जब भारतीय कृषि में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। यह था अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। कृषि वैज्ञानिक, किसान और नीति-निर्माता एक मंच पर आए और हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। तब से

## कृषि ऋण अवधि का विस्तार

वर्ष 2009-10 के आम बजट में कृषि ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2009 करने का प्रस्ताव किया गया है। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत क़रीब 400 लाख किसानों को समाविष्ट करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त बैंक ऋण माफ़ी की गई थी। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75 प्रतिशत की अदायगी करने के लिए 30 जून, 2009 तक का समय दिया गया था। मानसून में देरी के कारण इसकी अवधि 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बहुत से किसानों ने महाजनों से कर्ज़ ले रखे हैं और वे ऋण माफ़ी योजना में शामिल नहीं हैं। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने तथा व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि बनाए रखने के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए अल्पावधि फ़सल ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव किया है। इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त सहायता भी देगी, जो अल्पावधि फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देंगे। इस प्रकार इन किसानों के लिए ब्याज दर सिर्फ़ 6 प्रतिशत हो जाएगी। इसके लिए 411 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। ❑

लेकर आज तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और लगातार अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं। हाल के वर्षों की बात की जाए तो वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि किसान और किसानी के लिए हितकारी योजनाएं हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप वर्ष 2008-09 के बजट के रूप में सामने आया जिसमें कृषि में नये अध्याय तो जोड़े ही गए किसान के हितों को भी प्राथमिकता के साथ उभारा गया और महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि उन पर तत्काल अमल भी किया गया।

**किसान को महत्व**

नया बजट पुराने बजट की कड़ियों को जोड़ता हुआ आगे आया है इसलिए किसान को पुरानी राहत में और राहत मिल गई है। शहरों की ओर मुखरित उदारीकरण की नीति के बावजूद गांवों से पलायन नहीं हो रहा है। कारण दोनों ही बजटों में किसान और किसानी को महत्व दिया गया।

बजट कितना समसामयिक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब देश के बड़े हिस्से में मानसून रूठा हुआ है, खरीफ की फ़सलों पर पड़ती चोट के कारण किसान कराह रहा है तो सरकार द्वारा किसान की ऋण चुकाने की अवधि को छह माह तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत दो हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन वाले किसान को शेष 75 प्रतिशत ऋण चुकाने के लिए पूर्व समय 30 जून को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। ऋणों की ही बात को आगे बढ़ाया जाए तो वर्तमान वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 3,25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यही नहीं बजट में किसानों के लिए ब्याज के रूप में 411 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। बात यहीं नहीं थमती। किसानों को मात्र सात प्रतिशत की ब्याज दर पर तीन लाख तक का ऋण दिया जाएगा जो किसान इसे समय पर चुका देगा वह एक प्रतिशत की छूट और पाएगा। इस तरह से बिचौलिये या सूदखोर को धता बताते हुए सीधा लाभ किसान को मिलेगा। महाराष्ट्र के उन प्रभावित किसानों के लिए कार्यदल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है जो निजी ऋणदाताओं से ऋण लेने के बाद कर्ज़ में डूब गए हैं। इसके अलावा किसानों को बैंकिंग सुविधा से सीधा जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का एलान किया गया है। प्रारंभ में यह योजना देश के सौ गांवों में शुरू होगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

यहां दो बातें स्पष्ट होती हैं एक तो यह कि सरकार किसानों को ऋण सहायता देकर आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहती है ताकि कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो। दूसरे, किसान को सजग भी करना चाहती है ताकि वह बैंकिंग के प्रयोग और लाभ को भलीभांति समझ सके। यह सोच यों ही नहीं बनी है। असल में गुजरी सदी के कटु अनुभव और विवेकपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर यह बात स्पष्ट हुई कि पैसे की तंगी और स्थानीय साहूकार के कसते शिकंजे के कारण किसान न केवल किसानी से विमुख हुआ बल्कि वह पलायन की स्थिति में आ गया और मज़बूरन मजदूर बना। इसकी अति आत्महत्या के रूप में भी हुई । पिछले बजट और अब की बजट घोषणाओं ने किसान को कम से कम जीने और शान से जीने की राह तो दिखाई है ।

## रोशन होंगे गांव

बजट में गांवों को रोशन करने की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पहले भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2012 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की घोषणा की जा चुकी है। तब इसके लिए 4,933 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। अब मांग और त्वरित कार्रवाई की दृष्टि से इसे बढ़ाकर 6,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी जिसके अंतर्गत सवा लाख गांवों ओर 2.3 करोड़ ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक 2012 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा में अभी आधी सफलता मिल पाई है बाकी के प्रयास जारी हैं। जाहिर है लक्ष्य की प्राप्ति अगले तीन वर्षों में जानी चाहिए। ❑

**धरती को सही भोजन परोसने का वायदा**

इसमें दो राय नहीं कि हरित क्रांति के बाद भारतीय किसान ने लगातार फ़सल लेते हुए धरती के पोषक तत्वों को बेरहमी से चुराया है। इसके परिणामस्वरूप धरती में पोषक तत्वों की कमी हुई और कृषि में उर्वरकों की मांग बढ़ी है। इसी सोच के साथ वर्तमान बजट में उर्वरक सब्सिडी को नयी राह दी गई है। बजट में पोषक तत्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। इस नये फार्मूले से उर्वरक सब्सिडी बोझ कम होगा। बहुत पहले इस प्रकार की एक योजना कनाडा सरकार द्वारा भी अपनाई गई थी, मगर चूंकि वहां संपन्नता है और किसान को सब्सिडी की चिंता भी नहीं है अत: उसका स्वरूप बदला हुआ था। नये बजट में पोषक तत्व आधारित जिस सब्सिडी की बात की गई है उससे किसान और उर्वरक उत्पादक दोनों ही लाभान्वित होंगे। यही नहीं सरकार को भी लाभ होगा। पहले किसान के लाभ की बात कर ली जाए। इस प्रणाली से किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की विशेष सुविधा मिलेगी। सरकार ने किसानों को सीधे सब्सिडी देने की योजना बना ली है जो हर वर्ग के किसान के लिए लाभ का सौदा है। इस दिशा में पूर्व बजट में भी पहल की गई थी और एक समिति भी गठित की गई थी।

उर्वरकों को लेकर बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, वह है रॉक फॉस्टफेट पर पांच प्रतिशत की वर्तमान सीमा शुल्क को घटा कर दो प्रतिशत करना। ज्ञात हो कि यह घटक उर्वरक तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है और अगर इस पर शुल्क कम हो जाए तो उर्वरक निर्माण की मूल लागत में भी कमी आएगी। इससे उर्वरक निर्माताओं को तो लाभ होगा ही किसान को भी सस्ता उर्वरक मिलेगा साथ ही सरकार का भी सब्सिडी भार हल्का होगा। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ जाएगा। पुराने निवेशक ज्यादा पूंजी लगाएंगे तो नये निवेशक भी निवेश के लिए आगे आएंगे।

धरती की भूख ही नहीं प्यास बुझाने का भी इंतजाम बजट में किया गया है। सरकार की योजनाओं में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शामिल है जो पानी की तंगी वाले क्षेत्रों में खासा लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व की अपेक्षा 75 प्रतिशत राशि अधिक दी गई है। यह राशि अंतरिम बजट की तुलना में एक हज़ार करोड़ रुपये ज्यादा है। इस ओर सरकार की सोच सिंचाई सुविधाओं में गिरावट की चिंता का

परिणाम है। हालांकि देश में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और सिंचाई की व्यापक सुविधाओं का भरपूर विकास किया जा चुका है। फिर भी सिंचाई और जल उपयोग की मात्रा कम ही है। इसके साथ ही प्रतिकूल वातावरण का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव बना रहता है। भविष्य में उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि सिंचित कृषि द्वारा ही संभव है। हां, यदि वर्षा जल का संरक्षण और सही उपयोग किया जा सके तो कुछ हद तक बारानी कृषि से भी आशा रखी जा सकती है।

**बात एक अदद छत की**

इक बंगला बने न्यारा की तमन्ना भले ही मोटी थैली मांगे मगर कम से कम एक अदद छत यानी सामान्य मकान की चाहत को पूरा करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। यों तो पिछले बजट में भी आवास पुनर्वास की बात थी जो काफी हद तक पूरी हुई। इस बार बजट में उसको तो जारी रखने की आशा बंधाई ही गई है साथ ही नयी घोषणाएं भी हैं। यह नयी योजना ग्रामीण दलितों और आदिवासियों के लिए है। जहां एक ओर आदिवासियों के लिए आवंटन 3,220 करोड़ किया गया है वहीं दलितों के लिए 2,585 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इसमें कुछ विशिष्ट बिंदु भी हैं, मसलन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वही गांव आ पाएंगे जहां दलितों की आबादी कुल की आधी से भी ज्यादा हो। ज्ञात हो कि देश के 44 हज़ार ऐसे गांव हैं जहां दलितों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कहना न होगा कि इस योजना का लाभ ऐसे गांव उठाएंगे और एक अदद छत पाएंगे। घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत प्रारंभिक दौर में एक हज़ार गांव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए सौ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा रही है। यही नहीं इन गांवों के समेकित विकास हेतु दस लाख रुपये अलग से भी दिए जाएंगे। ज़ाहिर है इससे गांवों में बुनियादी सुविधाएं पूर्ण होंगी।

ग्रामीण आवास कोष के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो नेशनल हाउसिंग बैंक की मदद से दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इंदिरा आवास योजना को और अधिक मुखरित करने के लिए 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से अब यह राशि बढ़कर 8,800 करोड़ रुपये पर जा पहुंची है। इसी शृंखला में यह बात भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राशि में बढ़ोतरी की गई है जो 1,767.69 करोड़ रुपये हो गई है।

घर है तो घर तक पहुंचने के लिए रास्ते भी ज़रूरी हैं। इसके लिए नये बजट में पिछली योजनाओं को सुधारते हुए अधिक धन देकर विकास को हरी झंडी दिखाई है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विशेषतौर पर सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए पूर्व बजट में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 12 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी शृंखला में उल्लेखनीय घोषणा यह भी है कि राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड तथा ग्रामीण स्कूल पेयजल के लिए सौ करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यही नहीं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 8,000 करोड़ रुपये और ग्रामीण स्वच्छता के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

## बाग-बाग हुए बागवान

वर्ष 2004 में 6,500 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2011-12 तक बागवानी फ़सलों के उत्पादन को 30 करोड़ टन तक पहुंचाने तथा इसके क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। यही नहीं इसमें सरकार फलों के अलावा फूलों और सब्ज़ियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी के लिए कृत-संकल्प है। मिशन की शुरुआत के बाद से लगातार बागवानी फ़सलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं इसका क्षेत्र भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2005-06 में बागवानी मिशन का बजटीय प्रावधान 630 करोड़ रुपये था। अब 2009-10 के बजट में इसे 1,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ज्ञात हो कि इस दिशा में ख़र्च भी बराबर हो रहा है। वर्ष 2007-08 में इस प्रतिशत के अंतर्गत 930 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे। इस तरह से योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में निरंतर सफलताएं मिल रही हैं। ❑

**रोज़गार की गारंटी बढ़ी**

जब सवाल पेट का होता है तो कुछ कमा खाने की बात उभरती है। इस बात को हालांकि पूर्व आम बजट 2008-09 में भी बखूबी जान लिया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून यानी नरेगा को सामने लाया गया था। इसमें सफलता भी मिली थी। वर्ष 2009-10 के बजट में इसके महत्व को समझते हुए फिर इसे सुदृढ़ किया गया है। सच तो यह है कि नरेगा ग्रामीणों की चेहरे पर स्थायी मुस्कुराहट लाने वाली योजना है। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं रोज़गार के ही तो इर्द-गिर्द घूमती हैं इसलिए रोज़गार की गारंटी पा लेना बड़ी समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाता है और इसे पूर्ण भी करता है। इस योजना की सफलता को देखते हुए बजट में इसकी आवंटन राशि बढ़ा दी गई है। अब यह राशि बढ़कर 39,100 करोड़ रुपये हो गई है। यह आवंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 144 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 33 प्रतिशत अधिक है और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार केंद्र की यह सबसे बड़ी योजना बन गई है। नरेगा का केवल बजट ही नहीं बढ़ा है इसके विभिन्न घटकों में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2006 में जब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना की शुरुआत हुई थी तो प्रतिव्यक्ति मजदूरी मात्र 65 रुपये थी। प्रारंभिक चरण में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई थी जो अब 614 जिलों की शान बनी हुई है। स्पष्ट हो कि यह योजना ग़रीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के लिए है जिसमें परिवार के एक सदस्य को सौ दिन रोज़गार की गारंटी दी जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रकार के लाभार्थी परिवारों की संख्या 3.39 करोड़ थी जो वर्ष 2008-09 में 4.47 करोड़ तक जा पहुंची है। बजट में इस बात की भी घोषणा की गई है कि नरेगा के अधीन परिसंपत्तियों की उत्पादकता और संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वन, जल-संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं में एकरूपता लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।

इसी शृंखला में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने की योजना भी विशेष महत्व रखती है। बल्कि कहा जा सकता है कि यह पहलू सरकार की

गंभीरता की सार्थकता जताती है। योजना के अनुसार गांव और शहर दोनों ही जगह ग़रीब परिवारों को हर रोज तीन रुपये प्रति किलो चावल अथवा गेहूं दिया जाएगा। दो राय नहीं कि खाद्य पदार्थ ऐसी क़ीमत पर, जिन्हें हर व्यक्ति अदा कर सके, मुहैय्या कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हक़ीक़त है कि हमारे शहरों और गांवों में ग़रीबों की संख्या आज भी बहुत अधिक है। जहां खाद्य पदार्थों की खपत पर्याप्त है वहां भी व्यापक रूप में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में खपत कम है। व्यापक खाद्य सुरक्षा का अर्थ है परिवार के प्रत्येक सदस्य को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार मिले, सुरक्षित पीने का पानी मिले, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा हो और शिक्षा मिले। हरित क्रांति के बाद जिस फ़सल उत्पादन की नीति का अनुसरण किया गया उससे खाद्य उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय सहायता मिली है, परंतु स्थायी पारिवारिक खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

**उत्पादन बढ़ोतरी और किसान की दशा**

यह एक सुखद अनुभूति है कि बजट किसान के हित की बात उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उत्पादन बढ़ोतरी की आशा रखता है। हालांकि दोनों आपसी तालमेल लिए हुए हैं मगर इसमें बारीक़ दीवार भी है। अगर सोच के साथ सही 'एक्शन' हो तो दोनों को लाभ हो। मसलन वर्ष 2007 में 4,882 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया। यों भी देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सरकार के प्रयास होते हैं। इनके पीछे एकमात्र लक्ष्य यही रहता है कि खाद्यान्न का उत्पादन इस सीमा तक कर लिया जाए ताकि किसी भी अवस्था में खाद्यान्न की कमी न हो। इसी शृंखला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया है। पिछले बजट में वर्ष 2008-09 के लिए इसे 993 करोड़ रुपये प्रदान किए गए । इस बार भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है । इस योजना के माध्यम से वर्ष 2011-12 के अंत तक 10 लाख टन चावल, 8 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन धान का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक तौर पर धान के लिए 134 जिले, गेहूं के लिए 138 जिले और दलहन के लिए 168 जिलों का चयन किया गया है। चूंकि योजना अपने आप में महत्वपूर्ण थी इसलिए किसानों को जो भी सहायता दी गई उसे विशेष तौर पर पहले जिलों के हिसाब से आंका गया। असल में यह योजना केवल किसानों के हित के लिए ही बनाई गई थी। इसलिए इसे बोझ न बनाते हुए लिया गया, ताकि किसानों की इसमें रुचि पैदा हो। इसके लिए खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए। चावल के प्रत्येक 100 हेक्टेयर क्षेत्र तथा गेहूं के 50 हेक्टेयर क्षेत्र पर एक प्रशिक्षण संचालित किया गया। साथ ही बीज, उर्वरक, पौध सुरक्षा, रसायन तथा अन्य ख़र्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण में कुछ धनराशि भी प्रदान की गई। उदाहरण के तौर पर चावल के प्रशिक्षण में ढाई हज़ार रुपये और गेहूं के प्रशिक्षण में दो हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की गई। यही नहीं धान में सघनता प्रणाली विकासशील किसानों के खेतों पर प्रदर्शित की गई और संबंधित संस्थानों द्वारा इसके लिए तीन हज़ार रुपये की सहायता दी गई। यही नहीं प्रमाणित बीज हेतु बीज उत्पादन कंपनियों ने बीज उत्पादन एजेंसियों को संकर धान पर प्रति क्विंटल हज़ार रुपये भी दिए। साथ ही संकर धान का प्रमाणित बीज भी वितरित किया गया। इसके अलावा किसानों को हफ्ते में एक दिन गेहूं के खेतों में गेहूं और चावल की फ़सल उत्पादन तथा फ़सल संरक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

ज्ञात हो कि 2007 से 2012 तक की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत वाली वृद्धिदर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए और सफलताएं भी हासिल हुईं। इसी दिशा में इस बार सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक विशेष राहत पैकेज़ दिया गया है। इससे विकास दर काबू में रहेगी। स्पष्ट हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2008-09 में 6.7 रही। विश्व पटल देखा जाए तो अमरीका, यूरोप और जापान अभी भी मंदी की चपेट में हैं। राहत पैकेज़ों ने उपभोक्ता मांग और सरकारी क्षेत्र में निवेश बढ़ाए हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के निवेश अभी भी रुके हुए हैं।

इसमें दो राय नहीं कि आज़ादी के लगभग डेढ़ दशक बाद तक जो भारतीय किसान खेती के अधकचरे ज्ञान के कारण खाद्यान्न मोर्चे पर पिटा उसी ने बढ़-चढ़ कर ज्ञान, दिशानिर्देश और सरकारी सहयोग पा कर 'वंडर्स' (चौंकाती सफलताएं) कर दिखाई हैं। गर्व की बात है कि भारतीय कृषि, वैज्ञानिक और किसान 21वीं सदी में उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि हमने खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया वहीं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 10 करोड़ टन से ज्यादा उत्पादन कर हम विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। वर्ष 2009-10 का आम बजट इन कीर्तिमानों को बरकरार रखने में मददगार होगा। प्रस्तावित और पूर्व योजनाओं के लिए खासी धनराशि का प्रावधान है मगर ज़रूरत है उसे सही दिशा में सही तरीक़े से ख़र्च करने की। बजट किसान और किसानी दोनों के विकास की बात करता है। बशर्ते इस पर अमल हो। अगर राज्य स्तर पर भी तालमेल बिठा सही राह पकड़ी जाए तो बजट का प्रभावी उपयोग हो पाएगा। सफलताएं पाते हुए मंजिल पर पहुंच जाना उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है वहां जमे रहना। ❑

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली में प्रधान संपादक हैं
ई-मेल - kuldeep@icar.org.in)

## गांवों की नब्ज़ पर बजट का हाथ

संपूर्ण ग्रामीण विकास की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को भूला नहीं जा सकता। बजट में ग्रामीण स्वास्थ्य को महत्व देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को और भी ज्यादा पुख्ता करने का संकल्प है। इसके लिए मिशन को 2057 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है। यह कदम इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। दो राय नहीं कि जब ग्रामीण जनता स्वस्थ होगी तो ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या भी घटेगी। ❑

# पूरा नज़रिया बदलना होगा

● अवधेश कुमार

भारत के सामने यह प्रश्न आज की स्थिति में कुछ ज्यादा मौजूं हो गया है कि आखिर हमारी समूची अर्थव्यवस्था में कृषि को कितना महत्व या स्थान मिलना चाहिए। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों का योगदान 2008-09 में 17.1 प्रतिशत रह गया है। इसमें अकेले कृषि का योगदान 16 प्रतिशत के क़रीब है। 2003-04 में यह 21.4 प्रतिशत था। यानी पांच वर्षों में 4.3 प्रतिशत की गिरावट। इससे यह साबित होता है कि लंबे कालखंड में हमारी समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा घटता गया है। किंतु अगर आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को ही स्वीकार करें तब भी देश के कुल रोज़गार में आज भी कृषि का हिस्सा 52 प्रतिशत है। हालांकि इन आंकड़ों पर प्रश्न खड़ा करने वाले तथ्य भी हमारे सामने हैं किंतु अर्थव्यवस्था के चरित्र में भारी परिवर्तन के बावजूद आज भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोज़गार होना कृषि के महत्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। चाहे दूसरे क्षेत्रों में कितने सोपान लांघे जाएं, भोजन तो कृषि पैदावार से ही मिलेगा। वैसे अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। अगर 2007-08 के निर्यात आंकड़े को देखें तो इसमें 12.7 प्रतिशत योगदान कृषि का है। 2005-06 से 2007-08 तक 4.9 प्रतिशत की दर से विकास करते हुए कृषि ने भारत के सकल आर्थिक विकास को मज़बूत समर्थन दिया। लेकिन 2008-09 में कृषि की विकास गति नीचे गिरकर 1.6 प्रतिशत तक आ चुकी है।

भारत के संदर्भ में यह समझने की आवश्यकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान या इसके तहत औसत पूंजी निर्माण आदि के सामान्य अर्थशास्त्रीय आंकड़ों से कृषि के महत्व या उसके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। भारत में इस समय सकल घरेलू उत्पाद में जिन क्षेत्रों का सबसे ज्यादा योगदान है उनमें आबादी की बहुत कम संख्या संलग्न है। अकेले कृषि ही है जिस पर प्रत्यक्ष परोक्ष आज भी देश की 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी निर्भर है। इसके अलावा जानवर, पशु-पक्षी का जीवन तो पूरी तरह कृषि की स्थिति पर ही निर्भर हैं। हमारी समस्या यह है कि हम पश्चिमी अर्थशास्त्र के दिए गए मानकों से कृषि का मूल्यांकन करते हैं और इस कारण वास्तविक तस्वीर हमारे सामने उपस्थित ही नहीं हो पाती। अगर कृषि का सकल अर्थव्यवस्था में केवल 17.1 प्रतिशत ही योगदान है तो फिर इसके कमज़ोर होने के बावजूद क़रीब 83 प्रतिशत योगदान वाले क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था की मज़बूती बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत की सामाजिक संरचना में मूल्यांकन का यह तरीक़ा पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। सच यह है कि अन्य क्षेत्रों की दुर्दशा का असर कम लोगों पर पड़ता है, जबकि कृषि की दुर्दशा से कहीं न कहीं समूची आबादी प्रभावित होती है। वैसे कृषि का योगदान समस्त अर्थव्यवस्था में कम इसलिए भी है क्योंकि आज़ादी के बाद से ही इसकी अनदेखी हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री तक भारत में संपन्नता और विपन्नता की बढ़ती खाई पर चिंता प्रकट कर चुके हैं। इस खाई के बढ़ने का कारण भी कृषि को नज़रअंदाज कर दूसरे क्षेत्रों को ज्यादा महत्व देने की नीति में निहित है।

आर्थिक सुस्ती से बाहर निकलने के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था के ताने-बाने के नीचे ठोस आधार बनाए रखने के लिए भी कृषि की मज़बूती आवश्यक है। बाज़ार अर्थव्यवस्था के अनुसार भी विचार करें तो एक स्तर पर वस्तुओं और उत्पादों की मांग को बनाए रखने के लिए देश की बहुसंख्य आबादी की जेब मज़बूत होना ज़रूरी है। अगर बहुसंख्य आबादी आज भी कृषि या उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है या सबसे ज्यादा रोज़गार इसी क्षेत्र में है तो इनकी ज़ेब में धन नहीं होगा तो फिर मांग में गिरावट लाज़िमी है। इस नाते भी कृषि का उत्थान आवश्यक है। वैसे दुनिया के प्रमुख देशों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए जितने भारी-भरकम धन आवंटित किए हैं उसके मद्देनज़र अब यह सुझाव बिल्कुल सही लगता है कि हमें सबसे ज्यादा फ़ोकस कृषि पर ही करना चाहिए। कृषि अगर एकाध साल धोखा दे जाए तब भी इसे संभालने के लिए उद्योग, सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र के समान भारी-भरकम धनराशि झोंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अत्यंत साधारण मदद देकर कृषि को पुन: खड़ा किया जा सकता है। इसका कारण साफ़

## भारत निर्माण

भारत निर्माण अपनी छह योजनाओं के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबों का जीवनस्तर सुधारने की एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत निर्माण के लिए 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के अंतर्गत इसके सफल कार्यक्रमों में से एक है। वित्तमंत्री के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए आवंटन, बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2008-09 (ब.अ.) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। ❑

है। भारतीय कृषि का चरित्र बदलने के बावजूद आज भी स्थानीय संसाधनों, तकनीकों की उसमें भूमिका है और विपदा के समय आम ग्रामीणों के बीच परस्पर सहकार और साझेदारी की परंपरा कुछ हद तक कायम है। इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार थोड़ी मदद देकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आसानी से गतिशील किया जा सकता है।

बजट में कृषि का विकास लक्ष्य 4 प्रतिशत वार्षिक रखा गया है। यह आसान नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि के बाद वर्ष 2008-09 का 23 करोड़ 30 लाख टन पैदावार को पाना संभव नहीं लग रहा है। औसत अनुमान के मुताबिक कृषि पैदावार 22 करोड़ टन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस वर्ष मानूसन के विलंब का असर खरीफ की फ़सल पर पड़ना तय है। किंतु यह ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हाहाकार मच जाए। कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है और ऐसा कभी भी हो सकता है। उत्पादन में गिरावट या बढ़ोतरी कृषि या किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कृषि को पर्याप्त महत्व देकर उसके अनुसार नीतियों को फ़ोकस करना तथा अन्य क्षेत्रों की तरह किसानों को भी महत्व एवं सम्मान देना। बजट में वित्तमंत्री ने कृषि एवं किसानों के महत्व को स्वीकार किया है। कृषि कर्ज़ की राशि को 2008-09 के 2 लाख 87 हज़ार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 लाख 25 हज़ार करोड़ रुपये किया गया है। 3 लाख तक का कर्ज़ लेने वाले किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज लगेगा और इसमें भी इस वर्ष सरकार एक प्रतिशत का योगदान करेगी। इसके लिए बजट में 411 करोड़ का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आवंटन राशि में अंतरिम बजट से 30 प्रतिशत तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम) में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा है। वैसे भी इस बार के बजट को गांवों, ग़रीबों और किसानों का बजट कहा गया है। अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढांचे में कुछ हद तक ऐसा है भी। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण विकास के बजट में बढ़ोतरी से किसानों और खेती को भी लाभ होगा। आख़िर ग्रामीण आधारभूत संरचना से भी कृषि को ही तो ताक़त मिलेगी। किंतु हमें इसके दूसरे पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना को लीजिए। इसके तहत साल में 100 दिनों के रोज़गार की व्यवस्था है। किंतु कृषि कार्य में वर्षभर श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे महीने आते हैं जब कृषि क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। नरेगा जैसे रोज़गार के कार्यक्रम को उसी समय चलाया जाए तो इससे कृषि के क्षेत्र में श्रम का संतुलन कायम रहेगा। नरेगा में कृषि एवं कृषि से जुड़े ग्रामीण उद्योगों को शामिल किए जाने का रास्ता निकाला जाए तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी।

यह एक उदाहरण मात्र है। ऐसी बातें दूसरी नीतियों के संदर्भ में भी हैं। कृषि की योजनाएं बनाते समय अपनी आवश्यकता के साथ औसत किसानों के मनोविज्ञान को भी समझना आवश्यक है। नीतियां इन दोनों के अनुकूल नहीं हों तो वे बेकार हैं। प्रत्येक बजट में किसानों के लिए कर्ज़ की राशि आवंटित होती है। हम यह न भूलें कि भारत में औसत व्यक्ति आज भी कर्ज़ को असम्मान का विषय मानता है। कोई कर्ज़ लेने के लिए तभी तैयार होता है जब उसके पास अन्य विकल्प निःशेष हो जाते हैं। फिर बैंकों तक तो आम किसान पहुंच ही नहीं पाते। भले राष्ट्रीय स्तर पर 41 प्रतिशत किसानों द्वारा बैंकों से कर्ज़ लेने का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन यह आंकड़ा भी कुल कर्ज़ लेने वाले किसानों का है। इसमें जो किसान कर्ज़ नहीं लेते उनकी संख्या शामिल नहीं है। बैकों से कर्ज़ न लेने वाले किसानों की सूची बनाई जाए तो निश्चय ही उनकी संख्या कर्ज़ लेने वालों से काफी ज्यादा हो जाएगी।

कहने का तात्पर्य यह कि कृषि एवं किसानों के संबंध में सबसे पहले पूरा दृष्टिकोण बदलना होगा। सकल अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के मौजूदा मानकों से परे, भारत की बहुसंख्य आबादी की निर्भरता को आधार बनाते ही हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। आखिर जिस क्षेत्र से सर्वाधिक लोगों का भरण-पोषण होता है और जिन पर कम ख़र्च में बेहतर परिणाम आ सकता है, सबसे ज्यादा ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए या उन पर जिनसे कम लोगों का जीवन चलता है और जिनके लिए भारी-भरकम संसाधन चाहिए? उत्तर बिल्कुल सरल है। वास्तव में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर नये सिरे से इसकी पुनर्रचना की आवश्यकता है। किंतु समस्या यह है कि हमारा आर्थिक ढांचा इस तरह विकसित हो चुका है जिसमें ऐसा करना अब काफी कठिन हो गया है। सरकारी नीतियों के कारण कृषि पूरी तरह किसानों के लिए स्वायत्त वृत्ति नहीं रही है। किसानों को वे तौर-तरीक़े और फ़सल अपनाने पड़े हैं जिनके बीज़ तक के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ा है। हमारी परंपरागत तकनीक एवं कौशल धीरे-धीरे मर रही है। यह स्थिति बदलनी होगी। विदेशी मूल की फ़सलों से परहेज कर भारतीय तासीर वाली फ़सलों पर ज़ोर दिया जाए। भारतीय प्रकृति एवं परिस्थिति में विकसित फ़सलों की ओर फिर से लौटा जाए। इसी प्रकार उर्वरकों का मामला है। उर्वरक सब्सिडी को बहस का बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। बजट में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से कृषि उत्पादकता प्रभावित होने की बात की गई है। कहा गया है कि सरकार उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करेगी और पोषण आधारित सब्सिडी की योजना बनाएगी। सीधे किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था लागू करने की भी बात इसमें है। अंतरिम बजट में धीरे-धीरे खाद एवं कीटनाशकों को जैविक खादों से संतुलित करने की बात थी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम होते-होते बिल्कुल न हो इसमें भारतीय कृषि का ही भला है। भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग तो पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इसे प्रोत्साहित करने वाली भी सरकार ही है। आज भारतीय खेती रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों पर इतना निर्भर हो गई है कि इससे पिंड छुड़ाना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि अभी भी यह संभव है। भारतीय तासीर वाली फ़सल अपनाते ही इसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। वैसे इसके लिए व्यापक अभियान चलाना होगा तथा रासायनिक खादों एवं कीटनाशक उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों के समानांतर छोटे-छोटे स्तरों पर पूरे देश में जैविक खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करने के ढांचे खड़े करने होंगे। जगह-जगह जो इनके प्रयोग चल रहे हैं उनको ताक़त देने और उनके व्यापक प्रचार की आवश्कता है। बजट में यदि इसकी योजनाएं दिखतीं तो निश्चय ही हमारी उम्मीद बढ़ती। किंतु सब कुछ बजट में आ जाए आवश्यक नहीं। बजट के बाहर भी ऐसा संभव है। इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। लेकिन यह सब तभी होगा जब हमें यह बात समझ में आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही हो सकती है। यह एक-दो दिनों में नहीं होगा। कृषि एवं किसानों की दशा सुधारने, उन्हें स्वावलंबी बनाने के साथ कृषि को आत्मसम्मान का पेशा बनाने और इनके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का यही रास्ता है। ❑

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।**

**ई-मेल:** awadheshkumar1965@indiatimes.com)

# मंदी के दौर में नौकरियों का जुगाड़

● नवीन पंत

संभवत: स्वतंत्रता के बाद किसी वित्तमंत्री को बजट तैयार करते समय उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, जिनका सामना वर्तमान वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी को करना पड़ा है। उन्हें एक ओर विश्वव्यापी मंदी से प्रभावित उद्योगों को राहत देनी थी और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक उपाय करने थे। विश्वव्यापी मंदी के प्रभाव से हमारी अर्थव्यस्था को जबरदस्त आघात लगा। विदेश व्यापार में जबरदस्त गिरावट आई। निर्यात घटने के साथ हमारा आयात भी घटा है। इससे उद्योग क्षेत्र में आई गिरावट का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

विश्वव्यापी मंदी से सबसे अधिक नुक़सान देश के निर्यात क्षेत्र को हुआ। उसके विदेशी ग्राहकों ने न केवल माल के ऑर्डर रद्द कर दिए बल्कि कुछ ने आपूर्ति किए गए माल का भुगतान भी रोक लिया। इससे ये निर्यातक दोहरे संकट में फंस गए। मंदी के कारण सभी तरह का कपड़ा उद्योग, सिले-सिलाए वस्त्र, रत्न और आभूषण, चमड़े का सामान, हस्तशिल्प का सामान, कालीन, समुद्री उत्पाद, पर्यटन, खनिज एवं इंजीनियरिंग उत्पाद और छोटे एवं लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार मंदी के कारण लगभग 30 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। इनमें से कुछ को दूसरी जगह काम मिल गया लेकिन अधिकांश आज भी बेरोज़गार हैं। सरकारी सूत्रों ने 5 लाख लोगों के बेरोज़गार होने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि इस विषय में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान अतिरंजित हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था के लिए संकट गहरा और गंभीर था।

सरकार ने स्थिति का दृढ़ता से सामना किया और निर्यात क्षेत्र को बैंक ऋण ब्याज में 2 प्रतिशत सहायता प्रदान की, बैंक ऋण अवधि 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दी गई, निर्यात ऋण गारंटी निगम ने उन्हें अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की। बाज़ार विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें नये बाज़ार खोलने में सहायता की और सरकार ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अधिक सहायता देने को तैयार है।

सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, मांग बढ़ाने, रोज़गार के अवसर पैदा करने और सार्वजनिक संपत्ति सृजित करने के लिए उद्योगों को तीन राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए। इससे राजकोषीय घाटा जो 2007-08 में 2.7 प्रतिशत था, 2008-09 के अस्थायी अनुमान के अनुसार 6.2 प्रतिशत हो गया।

देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जिन देशों- अमरीका, जापान और यूरोपीय संघ को हम निर्यात करते हैं उनकी स्थिति में अभी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। हमारा 16-18 प्रतिशत निर्यात अमरीका को, 36-37 प्रतिशत जापान और यूरोपीय संघ को होता है। जब तक इन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता हमारे निर्यात व्यापार में सुधार नहीं हो सकता। अनुमान है कि इन देशों की आर्थिक स्थिति को संकट से उबरने में कुछ समय लगेगा और पहले की तरह अभी वे काफी समय तक भारत से आयात करने की स्थिति में नहीं होंगे। अत: विदेश व्यापार पर निर्भर उद्योगों को संकट से उबारने के लिए वित्तमंत्री ने देश में ही मांग बढ़ाने और खरीदारों को धन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। जापान और यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 37 प्रतिशत होता था।

वित्तमंत्री के सामने मुख्य समस्या यह थी मांग के अभाव में उद्योग बंद न हों, मज़दूर बेकार न हों, उनकी छंटनी न की जाए। अगर विदेशों के लिए तैयार माल वहां न जाए और देश में उसकी मांग न हो तो आखिर में कारखानों को बंद करना ही पड़ेगा। इस स्थिति से बचने के लिए जहां सरकार ने इन उद्योगों को नये बाज़ार खोलने में सहायता देने की व्यवस्था की वहीं उसने ग्रामीण क्षेत्रों के द्वार इन उद्योगों के लिए खोल दिए हैं।

तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के बाद वैश्विक मंदी के कारण 2007-08 में हमारी विकास दर 6.7 प्रतिशत रह गई। इसका असर रोज़गार के अवसरों, सरकारी राजस्व और उद्योग-व्यापार जगत पर पड़ा है। अत: सरकार के सामने जल्दी से जल्दी विकास दर को फिर से 9-10 प्रतिशत पर लाने की चुनौती थी। वित्तमंत्री ने बजट प्रस्तावों द्वारा इस दिशा में शुरुआत की है। सरकार के सामने दूसरी चुनौती थी समाज के सभी वर्गों को शामिल करके विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति समुदाय या क्षेत्र विकास के लाभ पाने से वंचित न रह जाए।

तीसरी चुनौती थी सरकार को नये सिरे से ऊर्जावान बनाने और वितरण प्रणाली में सुधार लाने की। और, इसी के साथ सरकार के सभी विभागों और संस्थाओं को इस बात के लिए तैयार करना था कि सभी नागरिकों को उच्च स्तर की सेवा, सुरक्षा और कानून का शासन उपलब्ध कराया जाए।

वित्तमंत्री ने अपने 2009-10 के बजट में 9 प्रतिशत विकास दर हासिल करने के लक्ष्य को पहला स्थान देने के बाद प्रतिवर्ष एक करोड़ 20 लाख नौकरियों के सृजन को दूसरा स्थान दिया। विकास दर और रोज़गार के अवसरों का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। दसवीं योजना में प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य था। दसवीं योजना में वर्ष 2004-05 के बाद विकास दर 9 प्रतिशत हो गई। उच्च विकास दर में रोज़गार के साधन स्वयं बढ़ने लगते हैं और उसके लिए किसी को प्रयास

नहीं करना पड़ता। समस्या तब होती है जब विकास दर कम हो जाती है।

हालांकि वित्तमंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कैसे प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख रोज़गार उपलब्ध कराएंगे लेकिन उनकी योजनाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि रोज़गार के अवसर बुनियादी सुविधा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करके प्राप्त किए जाएंगे। इससे निर्माण, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के लाखों अवसर पैदा होंगे।

इसे ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने सड़क निर्माण, सिंचाई साधनों, मकान निर्माण, विद्युतीकरण, स्वरोज़गार और सामाजिक क्षेत्र में भारी निवेश किया है। उन्होंने इस तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धन की कमी से कोई बाधा नहीं आए इसकी व्यवस्था कर दी है।

सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। उसका मानना है कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से विकास का मार्ग न केवल खुलेगा बल्कि उसमें जबरदस्त तेज़ी आएगी। सरकार ने कुछ समय पहले लंबे समय के ऋण प्रदान करने के लिए विशेष परियोजना माध्यम के रूप में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की थी। अब सरकार चाहती है कि यह कंपनी आक्रामक तरीक़े से अपना काम करे। सरकार ने फ़ैसला किया है कि आईआईएफसीएल अगले 15 से 18 महीनों के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में 60 प्रतिशत का पुनर्वित्त पोषण करे।

इस समय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में लगी सभी निजी-सरकारी परियोजनाएं व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं। कुछ परियोजनाएं लंबे समय, छह वर्ष या उससे अधिक समय में पूरी होती हैं। व्यापारिक बैंक आमतौर पर दो-तीन वर्षों के लिए ऋण देते हैं।

अब चूंकि सरकार की अल्पावधि विकास रणनीति बुनियादी सुविधाओं के विकास पर निर्भर करती है अत: उसने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक नया तरीक़ा सोचा है। बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह तरीक़ा विदेशों में काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें परियोजनाओं के लिए ऋण देने वाला बैंक या वित्तीय संस्था लंबी अवधि के इस ऋण को किसी अन्य बैंक को बेच सकती है। आईआईएफसीएल ने पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। वह यह राशि बैंकों को देने के लिए तैयार है। इस वर्ष यह बैंक 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। कालांतर में यह बैंक एक लाख करोड़ रुपये पुनर्वित्त के रूप में बैंकों को दे सकेगा।

सरकार चाहती है कि बंदरगाहों, सड़कों और हवाईअड्डों जैसी बड़ी परियोजनाओं के पूरे होने में वित्तीय समस्या नहीं आए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ वित्तमंत्री ने शहरी क्षेत्रों का भी पूरा ध्यान रखा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के लिए 12,887 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

यद्यपि बजट अनुमानों के आधार पर वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत दर्शाया गया है, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी और ऑयल बांड के 1,11,000 करोड़ रुपये के ख़र्च पर विचार करने के बाद यह 7 प्रतिशत हो जाता है। अगर इसमें राज्यों को साधन जुटाने के लिए 4 प्रतिशत घाटे को शामिल कर लिया जाता है तो यह 11 प्रतिशत हो जाता है। फिर वित्तमंत्री इस वर्ष 4,00,000 करोड़ रुपये ऋण लेना चाहते हैं। यद्यपि इसमें से केवल 2,00,000 लाख रुपये बाज़ार से लिए जाएंगे।

बढ़ते राजकोषीय घाटे का अर्थ है भारत की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अथवा वित्तीय मूल्यांकन में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, बैंकों की ब्याज दर में वृद्धि और रुपये के विदेशी मूल्य में कमी। वित्तमंत्री का कहना है कि सरकार ने विकास की गति तेज़ करने के लिए बड़ा राजकोषीय घाटा उठाने का नपा-तुला ज़ोखिम उठाया है। इसी के साथ सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार ने निवेश निधि को भंग करने का फ़ैसला किया है। 2005 में सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से प्राप्त धन को बजट से अलग रखने के लिए इस निधि की स्थापना की थी। निधि को भंग करके अब भविष्य में सरकार सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से प्राप्त धन से बजट घाटा कम कर सकती है। ख़बर है कि सरकार निकट भविष्य में ओएनजीसी और एनएचपीसी में आंशिक निवेश करेगी। अनुमान है कि उसके बाद बजट घाटे में उल्लेखनीय कमी हो जाएगी।

खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करके सरकार ने किसानों की क्रय शक्ति में इज़ाफ़ा किया है। इसी के साथ उद्योग लगाने के लिए उद्योग घरानों द्वारा ज़मीन की ख़रीद से भी किसानों के पास कुछ पैसा पहुंचा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लागू होने के बाद भी ग्रामीण इलाक़ों में कुछ पैसा पहुंचा है। यह योजना 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरू की गई थी। 2007-08 में इसे 330 जिलों में बढ़ाया गया। अब इसे शेष 279 जिलों में लागू कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 39 लाख लोगों को रोज़गार मिला था जबकि 2008-09 में 4 करोड़ 47 लाख लोगों को रोज़गार मिला। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक वयस्क व्यक्ति वर्ष में 100 दिन का रोज़गार पाने का अधिकारी है।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए 144 प्रतिशत अधिक धन

नरेगा के निमित्त वर्ष 2009-10 के लिए 39,100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वर्ष 2009-10 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि फरवरी 2006 से शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) बेहद सफल रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान नरेगा द्वारा 2007-08 में शामिल किए गए 3.39 करोड़ परिवारों की तुलना में 4.47 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोज़गार प्रदान किए गए। हम नरेगा के तहत हक़दारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मज़दूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं। नरेगा के अधीन आस्तियों की उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं को एक केंद्राभिमुख के लिए कुल 115 प्रायोजिक जिलों को चुना गया है। ❑

रोज़गार न दिए जाने पर वह मुआवज़ा पाने का अधिकारी है। सरकार अब योजना के अंतर्गत 100 रुपये रोज मज़दूरी देने के लिए वचनबद्ध है। बजट में इस योजना के लिए 39,100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वर्ष से 144 प्रतिशत अधिक है।

सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को भी महत्वपूर्ण समझती है। सरकार ने इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि में 23 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसी के साथ वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 15,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के अंतर्गत 65,000 करोड़ रुपये की लागत से 14,279 किलोमीटर लंबे 4/6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना है। यह काम दो चरणों में होगा। 31 मार्च, 2009 को 11,037 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका था। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था पेट्रोल और डीज़ल पर 2 रुपये प्रतिलीटर अधिभार लगाकर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज़ी से सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार शत-प्रतिशत अनुदान देती है। इसके लिए भी धन की व्यवस्था मुख्य रूप से डीज़ल पर अधिभार से होती है। मार्च 2009 तक 46,807 करोड़ रुपये की लागत से 2,14,281 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका था।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, विधवाओं, शारीरिक दृष्टि से अपंगों और अन्य को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकारें 25 प्रतिशत अंशदान करती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत अंशदान करती हैं। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 तक 21 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके थे। इस योजना का आवंटन बढ़ाकर 8,800 करोड़ कर दिया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक का आधार मज़बूत करने के लिए उसकी निधि में 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को नया रूप देकर यह ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा एकमात्र स्वरोज़गार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोज़गार में लगे ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को बैंक ऋण और सब्सिडी देकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह तय किया गया है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के सशक्तीकरण के लिए पुनर्गठित योजना को व्यापक रूप से लागू किया जाए ताकि 2014-15 तक ग़रीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सब्सिडी के अलावा ग़रीब परिवार को एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाए।

वित्तमंत्री के प्रयासों से लोगों के पास अतिरिक्त धन पहुंचेगा। यह धन 1,00,000 करोड़ रुपये के आसपास है। इससे बाज़ार में, विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में, मंदी का जो माहौल है वह समाप्त होकर उत्साह का वातावरण बनेगा। जब लोगों के पास अतिरिक्त धन पहुंचेगा तो वे उसे ख़र्च करेंगे। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे और अंततः विकास दर में वृद्धि होगी। ❑

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं**
**ई-मेल:** pantnavin@yahoo.com)

# 100 दिन रोज़गार के

## खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 350 नये उद्योगों में देगा 35,000 रोज़गार

### क्या होगा 100 दिन में

- **एपीएमसी कानून में होगा संशोधन या करेगा उसे ख़त्म**
- **दो शहरों में बनेगा मेगा फूड पार्क, इनमें से एक हरिद्वार में**
- **हॉकरों की मदद से 70 शहरों में फूड स्ट्रीट शुरू करना**
- **उद्योग लगाने पर सरकार बतौर मदद देगी लागत की 25 फीसदी रकम**

मंदी के दौर में जब हज़ारों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 100 दिनों में 35,000 लोगों को रोज़गार देने जा रहा है। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े 350 नये उद्योगों को हरी झंडी दिखा दी है और 100 दिनों के भीतर ये उद्योग चालू हो जाएंगे।

हर उद्योग की स्थापना पर सरकार की ओर से अधिकतम 50 लाख रुपये या कुल लागत की एक चौथाई राशि बतौर मदद दी जाएगी। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार अगले 100 दिनों में ठेके पर खेती और किसानों से सीधे तौर पर कृषि उत्पाद खरीदने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानून भी बदलेगी या उसे खत्म कर देगी। इस दौरान 2 मेगा फूड पार्क शुरू करने की योजना है और पहले फूड पार्क के लिए हरिद्वार को चुना गया है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अगले दो महीनों के दौरान देश के 70 शहरों में फूड स्ट्रीट स्थापित करने का ऐलान किया। फूड स्ट्रीट कार्यक्रम के तहत सड़क किनारे रेहड़ी-ठेली पर खाने-पीने की चीज़ बेचने वाले हॉकरों की मदद ली जाएगी। और उन्हें उन्नत और स्वच्छ तरीक़े से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जाएंगे। हॉकरों से कोई कर भी नहीं लिया जाएगा।

श्री सहाय ने बताया कि 1 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 18 और परोक्ष रूप से 64 लोगों को रोज़गार मिलता है। 20 लोगों को इससे जुड़ी आपूर्ति शृंखला में नौकरी मिलती है यानी ऐसे एक उद्योग से 102 लोगों को रोज़गार मिलता है। ❑

# जनस्वास्थ्य और आम बजट

● ए.के. अरुण

इस साल के आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को कोई खास राहत नहीं है फिर भी वर्ष 2009-10 के स्वास्थ्य बजट में कोई 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। आंकड़ों में देश का स्वास्थ्य बजट 21,113.30 करोड़ रुपये का तो हो गया है, लेकिन इसमें नियमित टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य जीवाणु जनित बीमारी रोकथाम तथा स्वास्थ्य बीमा जैसे मदों में कटौती कर आम लोगों तथा जनस्वास्थ्य के ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बजट में 2,057 करोड़ की बढ़ोतरी कर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत बनाने का संकेत दिया है।

वर्तमान बजट में सरकार ने बढ़ते मरीजों और जनसंख्या के दबाव को नज़रअंदाज करते हुए जनस्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं पर होने वाले ख़र्च में कटौती की है। ज़ाहिर है इससे पहले से ही जर्जर स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए सरकार ने नियमित टीकाकरण योजना शुरू की थी। कई दशक पहले शुरू की गई इस योजना के लगातार चलने के बाद भी अभी तक देश की पूरी आबादी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के ही अनुसार बीसीजी का टीका देश के 87 फीसदी बच्चों को ही दिया जा सका है। ऐसे ही खसरे का टीका लगने वाले बच्चों की संख्या महज 71 फीसदी है। डीपीटी का टीका तो मात्र 68.4 फीसदी बच्चों को ही लग पाया है। पोलिया उन्मूलन की पूरी कोशिश के बावजूद मात्र 67.5 फीसदी बच्चे ही पोलियो की बचाव खुराक ले पाए हैं।

एक तो नित नयी महामारियां सामने आ रही हैं, ऊपर से पुरानी महामारियों के पुनः पहले से ज्यादा ख़तरनाक रूप में उभर कर सामने आने का सिलसिला बढ़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण बजट में कटौती जनस्वास्थ्य के लिये एक बुरी ख़बर है। पिछले वर्ष के बजट से यदि तुलना करें तो 466.30 करोड़ के मुक़ाबले मौजूदा बजट में यह राशि घटाकर 388.2 करोड़ कर दी गई है। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य का बजट भी 269 करोड़ से घटाकर 99.50 करोड़ कर दिया गया है। जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम और बचाव योजना का बजट भी 434.42 करोड़ से घटाकर 407.45 करोड़ किया गया है।

सन् 2000 से पहले के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो 'केंद्र सरकार के 2000 तक सबके लिये स्वास्थ्य' के तहत ग़रीबों के लिये स्वास्थ्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष' के गठन का संकल्प स्पष्ट था। यह कोष कुछ गंभीर रोगों से पीड़ित उन लोगों की मदद के लिये था जो ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये एक व्यापक रोग निगरानी प्रणाली विकसित किए जाने की योजना थी। भारतीय औषधि प्रणाली एवं होमियोपैथी (आईएसएमएंडएच) विभाग को बढ़ावा देने का संकल्प भी अधूरा ही है।

'सबके लिये स्वास्थ्य' और 'ग़रीबों के लिए स्वास्थ्य' की जगह अब चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (एसपीएचसी) ने ले ली है। पहले स्वास्थ्य का जिम्मा बहुत हद तक सरकार के पास था। अब इसे निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। निजी बीमा कंपनियां एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए धन उपलब्ध करा रही हैं। भारत में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे कभी आर्थिक सुधारों के केंद्र में नहीं रहे। बल्कि इन्हें तो सुधारों के मुख्य लक्ष्य, निवेश और विकास की राह में बाधक माना जाता है। हम देख रहे हैं कि 1991 के बाद रोगों में चल रहे आर्थिक सुधारों का जनस्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है।

भारत ने 1978 में अल्मा अता घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर 'वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य पाने की प्रतिबद्धता जताई थी। 1981 में आईसीएसएसआर और आईसीएमआर के संयुक्त पैनल ने 'सबके लिए स्वास्थ्य- एक वैकल्पिक रणनीति' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। 1983 में भारतीय संसद ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' को पारित कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया था, लेकिन आज 8 वर्ष बाद भी

## राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,057 करोड़ रुपये की वृद्धि

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,057 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान किया है। अंतरिम बजट में इसके लिए 12,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी और इसकी शुरुआती अनुक्रियाएं काफी अच्छी रही थीं। 18 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के छियालीस लाख से भी अधिक ग़रीबी से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस योजना से ग़रीब परिवार निजी अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों की सूची में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का अस्पताल चुनने में स्वतंत्र हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ग़रीबी से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवारों को इसमें शामिल करेगी और इसके लिए 350 करोड़ रुपये मुहैया कराए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। ❑

आम लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? यह किसी से छिपा नहीं है।

भारत में अब भी संक्रामक रोगों से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। टीबी संक्रमण की वार्षिक दर आज भी 1.5 फीसदी से ज्यादा है। विश्व औसत से यह दर लगभग दोगुनी है। भारत में प्रत्येक वर्ष क़रीब 15 करोड़ टीबी रोगियों की पहचान होती है। इनमें से सालाना 3 लाख अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। यहां कुष्ट रोगियों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। यह दुनिया के कुल कुष्ट रोगियों की संख्या का एक तिहाई है। प्रत्येक वर्ष दस्त से ही मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 5 लाख है।

पोलियो के उन्मूलन कार्यक्रम को ही देखें तो 1995 से चल रहे इस कार्यक्रम पर काफी ख़र्च करने के बाद भी पोलियो से मुक्ति की घोषणा करने की स्थिति नहीं बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पोलियो उन्मूलन अभियान पर प्रत्येक वर्ष 1,100 करोड़ रुपये ख़र्च होते हैं। लेकिन नीतिगत खामियों की वजह से पोलियो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।

एचआईवी/एड्स को लेकर भारत में चर्चित विवाद आंकड़ों, उसके नाम पर हो रहे ख़र्च और एड्स रोकथाम के सुझावों आदि को लेकर बना ही हुआ है। प्रत्येक वर्ष मलेरिया, डेंगू और कालाजार विकराल रूप धारण करते हैं। हज़ारों जानें जाती हैं लेकिन हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी सोच को जनपक्षीय नहीं बना पा रहे। मलेरिया 1947 में भारत में भयानक रूप में था। 7.5 करोड़ प्रभावित लोगों में से आठ लाख लोग मौत के शिकार हुए थे। सन् 1964 तक यह नियंत्रित हो चला था लेकिन अब फिर मलेरिया घातक रूप से फैल रहा है। इतना ही नहीं मलेरिया की जानलेवा प्रजाति 'फैल्सिफेरम मलेरिया' के मामले बढ़ रहे हैं। कालाजार भी 1960 तक खत्म हो चुका था। लेकिन इधर कालाजार के मामले 77 हज़ार से बढ़कर ज्यादा हो गए हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है।

भूमंडलीकरण के दौर में ये स्थितियां और विकट हुई हैं। आज देश में 13 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज पैसे देकर करा सकने की स्थिति में नहीं हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1995 की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करें। इस रिपोर्ट में अत्यधिक ग़रीबी के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में एक रोग माना गया है। इसे जेड 59.5 का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़रीबी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके कारण विभिन्न देशों और एक ही देश के लोगों के बीच दूरी भी बढ़ती जा रही है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर हुई हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रत्येक तीन में से दो बच्चे कुपोषित हैं। गिनती में यह संख्या सात करोड़ है। विश्व में 17 प्रतिशत कुपोषित बच्चों में से 40 प्रतिशत बच्चे भारतीय हैं।

इधर कुछ वर्षों से बढ़ती मंहगाई और सरकारी नीतियों की वजह से महाराष्ट्र, उड़ीसा, बुंदेलखंड, बिहार, झारखंड आदि में भुखमरी के कारण हुई मौत की ख़बरें आई हैं। किसानों के बड़े पैमाने पर आत्महत्या की ख़बर जग-ज़ाहिर है। स्पष्ट है कि पोषण और पर्याप्त भोजन के अभाव में रोग संक्रमण और संक्रामक रोगों का ख़तरा तो बढ़ेगा ही। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खून की कमी (एनीमिया) से प्रभावित महिलाओं की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की मौजूदा नीतियों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट दिखता है कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित करने, सरकारी सेवाओं के माध्यम से ही आमदनी बढ़ाने व बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं/संस्थाओं को स्वैच्छिक व निजी संस्थाओं के हवाले कर देने की ओर

## ग़रीबी की दर में गिरावट लेकिन कुपोषण की स्थिति गंभीर

मानव विकास अथवा लोगों के रहन-सहन में सुधार लाने का लक्ष्य रख कर किया गया सामाजिक कल्याण विकास आयोजना का एक मुख्य लक्ष्य है। सरकार यह मानती है कि आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ लोगों के जीवनस्तर में सुधार होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक ज़ारी रहे। इससे भी ज्यादा ज़रूरी यह है कि यह विकास समावेशी स्वरूप का हो। समावेशी विकास की धारणा अनिवार्य रूप से इस बात से जुड़ी है कि सभी को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ एक सफल और सार्थक जीवन जीने के समान अवसर प्राप्त हों। यह ग़रीबी उपशमन के उद्देश्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें मानव विकास एवं समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से समाज के साधनहीन और हाशिये पर रहने वाले जन-समूह का आर्थिक एवं सामाजिक विकास शामिल है। ऐसे समूहों को न केवल आर्थिक एवं सामाजिक मुख्यधारा में लाना होगा, बल्कि उन्हें विकास में सक्रिय भागीदार भी बनाना होगा।

बजट सत्र में ज़ारी आर्थिक समीक्षा 2008-09 में सरकार का कहना है कि निर्धनता की दर में काफी गिरावट हुई है लेकिन कुपोषण की स्थिति अभी गंभीर ही बनी हुई है। तीन वर्ष से कम आयु वाले कमज़ोर बच्चों को सामने रखकर कुपोषण का हिसाब लगाने पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 (एनएफएचएस-3) के अनुसार तीन वर्ष से छोटे बच्चों में कुपोषण की मात्रा 45.9 प्रतिशत है, जो अभी भी काफी अधिक है। इसमें 1998-99 (एनएफएचएस-2) में 47 प्रतिशत के स्तर से कोई खास कमी नहीं आई है। कुपोषण स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों, दोनों के असंतुलन को दर्शाता है जो आंतरिक/बाह्य परिवेश के कारण अनुचित खान-पान और अकुशल जैविक उपयोग के कारण हो सकता है। शैशव काल और बचपन में उचित आहार न मिलने के कारण कई परेशानियां हो जाती हैं; जैसेकि बोधगम्यता और सामाजिक विकास की कमी, विद्यालय में पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियों में पिछड़ना और वयस्क होने पर कार्यक्षमता में कमी होना आदि। इसलिए कुपोषण की समस्या सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आयुवर्ग के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में यह एक सबसे बड़ी बाधा है। इससे पता चलता है कि वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों में कुपोषण पर कोई ख़ास बल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इनमें संशोधन किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि अनाज़ की प्रतिव्यक्ति खपत में गिरावट हुई है, लेकिन खाद्य की खपत में अनाज-भिन्न मदों के हिस्से में इतनी वृद्धि नहीं हुई कि अनाज़ की उपलब्धता में कमी की पूर्ति की जा सके। ❑

है। सरकार का यह नया और आधुनिक दृष्टिकोण संविधान के 'सबको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने' के संकल्प एकदम प्रतिकूल है। संविधान की शपथ को भुलाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना सरकार ने उदारीकरण से सीखा है। जहां स्वास्थ्य सेवाओं में मुनाफ़ा ढूंढा जाने लगे और 'ख़र्च' को 'निवेश' समझा जाने लगे वहां सामाजिक और नैतिक दायित्वों की अहमियत नहीं रह जाती है। सेवा के नाम पर लगभग मुफ़्त की ज़मीन पर खड़े पांच सितारा अस्पतालों को अब हम शेयर मार्केट में देख सकते हैं।

आर्थिक सुधारों का कमज़ोर वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सन् 2000 के बाद भी 6 से 24 माह की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या बढ़ी ही है। कुछ प्रमुख राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान) में नवजात शिशु मृत्युदर भी बढ़ा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में पड़े 4 करोड़ 57 लाख टन खाद्यान्न बेकार हो गए लेकिन कई राज्यों में सूखा पीड़ितों तक यह अनाज नहीं पहुंचा। सरकार ने इस भंडारित खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा कम दर पर निर्यात किया। इस बाबत पीयूसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। भारत की वस्तुस्थिति यह है कि यहां 10 एकड़ ज़मीन का स्वामी भी अपनी रोज़ाना भोजन आवश्यकता की 2,287 कि. कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता। इससे नीचे के वर्ग की हालत तो और बदतर है।

विडंबना यह है कि सरकार ने कल्याणकारी सोच को त्याग कर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1997 में ही साफ़ कर दिया था कि निजी क्षेत्र अब अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को पहचानने लगे हैं। डब्ल्यूएचओ व डब्ल्यूटीओ के इस दर्शन का नतीज़ा हम देख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र लगभग पूरी तरह निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अब प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा बनकर रह गई है। इन सेवाओं में अब मुख्यतः परिवार कल्याण, एड्स, मलेरिया, डेंगू आदि रोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम ही शामिल है।

यहां विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्था की भूमिका पर विचार करना ज़रूरी है। दरअसल, विगत ढाई दशक से अमरीका और अन्य ओईसीडी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की सहायता से अपना हाथ खींच लिया है। इससे संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं आर्थिक दबाव में हैं। ज़ाहिर है डब्लयूएचओ वित्तीय ज़रूरत के लिए निजी क्षेत्र अथवा बाज़ार पर निर्भर है। देखा जा सकता है कि सन् 1995 के बाद डब्ल्यूएचओ ने विश्व बैंक की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली एजेंसी की तरह काम करना शुरू कर दिया है। अपने बजट की शून्य वृद्धि स्थिति को बचाने के लिए अमरीका की चिरौरी करने का इसके पास यही एक तरीका था। स्पष्ट है डब्ल्यूएचओ अब विश्व बैंक के सुर में गाने लगा है।

भारत में मुक्त व्यापार व्यवस्था का लाभ उठा कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तीसरी दुनिया के देशों में असुरिक्षत और पुरानी दवाओं, संक्रमित खाद्य पदार्थों का अंबार लगा दिया है। इस खेल में हमारी सरकार इनकी जूनियर पार्टनर बन गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिलने से दूसरों के साथ मिलकर ये संस्थाएं न्यूनतम ज़ोखिम उठाकर अपने निवेश का भरपूर लाभ ले रही हैं।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) के नेतृत्व में 130 देशों में 7,000 से ज्यादा वाणिज्यिक कंपनियों ने सहयोग किया है। पूरी दुनिया में इस आयोग की विश्वसनीयता स्थापित करने के बाद अब यह साफ़ देखा जा सकता है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नये अनुसंधान और अध्ययन यह बताते हैं कि विकास प्रक्रिया, कृषि एवं उद्योग के तौर तरीक़े कैसे रोगों से जुड़ रहे हैं। मलेरिया, दमा, एड्स टीबी आदि रोग उदारीकरण के दौर में बढ़ रहे हैं। विश्व निजी-सार्वजनिक भागीदारी (जीपीपीपी) का तकाज़ा यह है कि स्वास्थ्य जैसे जनकल्याणकारी क्षेत्र अब विश्व व्यापार संगठन के दायरे में हैं। विकासशील देशों पर विकसित देशों का दबाव सहज देखा जा सकता है। जीपीपीपी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उपकरण सिद्ध हो रहा है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के तहत 'मलेरिया के लिए दवा' अभियान में प्रतिवर्ष 3 करोड़ अमरीकी डॉलर जमा करने का लक्ष्य है लेकिन सच यह है कि इसका ज्यादा हिस्सा सार्वजनिक कोष से आएगा। कंपनियों ने तो हवाई वायदेभर किए हैं। एक और उदाहरण देखें, अमरीकी दवा कंपनी मायर स्क्विब ने 183 अरब अमरीकी डॉलर दवा बेच कर कमाया लेकिन जीपीपीपी के तहत पिछले पांच वर्ष में महज 10 करोड़ अमरीकी डॉलर का अनुदान किया। स्पष्ट है, जीपीपीपी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति का मुख्य स्रोत बन गया है और अब ये कंपनियां तीसरी दुनिया के देशों की राष्ट्रीय पूंजी को निगलने में लग गई हैं। विश्व बैंक भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार करता है कि अधिकांश देशों में ग़रीब देशों की स्वास्थ्य स्थिति बहुत ख़राब है।

हालांकि मौजूदा बजट में जहां एक ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना ख़र्च में भारी कटौती की गई है वहां केंद्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों का बजट आवंटन बढ़ाया गया है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं की क़ीमतें घटाने की कोशिश की गई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट भी बढ़ाया गया है। लेकिन बजट से पहले ही दवा कंपनियों ने टीबी और मलेरिया जैसे आम लोगों के रोगों के दवाओं की क़ीमतों में 5 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

मौजूदा बजट में स्वास्थ्य को लेकर लोगों की ज्यादा उम्मीदें थीं। मसलन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किए जाने का इंतजार था लेकिन वित्तमंत्री की तंग जेब ने शायद उन्हें ऐसा करने से रोके रखा। बहरहाल, सरकार को अपनी स्वास्थ्य नीति पर गंभीर चिंतन करना होगा। बढ़ती रोगों की चुनौतियों से मुक़ाबला करने के लिये 'उपचार' के बजाय 'बचाव' पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैकल्पिक कही जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होमियोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों आदि को मुख्यधारा में लाकर प्राथमिक स्तर पर ही स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करना होगा ताकि महानगरों में अस्पताल का बोझ कम हो सके। स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन से जुड़ा है इसलिए इस पर से बाज़ार का प्रभुत्व ख़त्म करना होगा तथा जनस्वास्थ्य के दूसरे पहलू जैसे- पैरामेडिकल, योग, संतुलित आहार, जैविक खान-पान, रोगों की सामुदायिक रोकथाम, साफ- सफ़ाई, स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन आदि के सहारे भविष्य के बढ़ते स्वास्थ्य बजट से निबटा जा सकता है और लोगों को दीर्घकालीन स्वस्थ जीवन भी प्रदान किया जा सकता है। ❑

*(लेखक स्वास्थ्य वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होमियोपैथिक चिकित्सक हैं।*
**ई-मेलः** docarun2@ gmail.com)

# तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर

● विमल कुमार

पिछले कुछ सालों से देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हो रहे हैं। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में संप्रग सरकार के प्रथम कार्यकाल में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई नयी एवं बड़ी घोषणाएं हुईं। संप्रग सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई तो उसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना सुधार जारी रखा। यशपाल समिति ने इसी बीच अपनी रिपोर्ट पेशकर दी जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बुनियादी एवं क्रांतिकारी परिवर्तनों की सिफ़ारिशें की गईं हैं।

नये मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने मंत्रालय के 100 दिन का एजेंडा पेश करते हुए शिक्षा के विस्तार, निवेश और गुणवत्ता को अपना तीन मूल मंत्र बताया। कपिल सिब्बल का ज़ोर इस बात पर है कि पूरी दुनिया में उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के कारण आए बदलावों को देखते हुए शिक्षा के स्वरूप और उसकी ज़रूरतों में परिवर्तन आ गया है। भारत में इसका असर दिखाई देने लगा है। आज विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान पीढ़ी भारत में है। उनकी आबादी क़रीब 26 करोड़ से अधिक है। आर्थिक मंदी के दौर में वह बेरोज़गारी का सामना कर रही है। ऐसे में श्री सिब्बल तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणाओं को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्री श्री सिब्बल मानते हैं कि सन 2020 तक उच्च शिक्षा में छात्रों के दाखिले का प्रतिशत बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाना चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 14.15 प्रतिशत रखा गया है। ज़ाहिर है इसके लिए अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वर्ष बजट में 16 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 827 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ये विश्वविद्यालय उन राज्यों में स्थित होंगे जहां अब तक कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है मसलन बिहार, राजस्थान जैसे अनेक राज्य।

संप्रग सरकार का दूसरा बड़ा ज़ोर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 नये आईआईएम और 8 नये आईआईटी खोलने की घोषणा पहले हो चुकी है। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आईआईटी और एनआईटी के लिए कुल 2,113 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया है जिसमें से 450 करोड़ रुपये नये आईआईटी और एनआईटी के लिए हैं।

इसके अलावा कौशल विकास मिशन को 495 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि पॉलिटेकनिकों को अपग्रेड किया जाए। संप्रग सरकार का जोर इस बात पर है कि शिक्षा को सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए। स्कूलों-कॉलेजों में कंप्यूटर लगाए जाएं और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाए। 'वर्चुअल विश्वविद्यालय बनाने की भी कल्पना है जिसके तहत कोई छात्र घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिये पूरी पढ़ाई कर सके, लेक्चर सुन सके एवं ऑनलाइन परीक्षा भी दे सके। वित्तमंत्री ने इस बार बजट के आईसीटी के जरिये शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

इस तरह सरकार ने शिक्षा पर कुल बजट 36,400 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जिनमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 26,800 करोड़ रुपये तथा 9,600 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किए हैं। अगर गैरयोजना ख़र्च को भी मिला दिया जाए तो शिक्षा पर कुल बजट 44,528.21 करोड़ रुपये हो जाएगा।

अगर अंतरिम बजट को ध्यान में रखें तो उच्च शिक्षा के बजट में क़रीब 2,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अंतरिम बजट में उच्च शिक्षा के लिए 7,593.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्रणब मुखर्जी के बजट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 4,375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें ओवर-साईट कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू करने का ख़र्च भी शामिल है। गौरतलब है कि सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए ओवरसाइट कमीशन गठित किया था।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद के लिए इस बार 3,902 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें ओवरसाइट कमीशन की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन भी शामिल है।

इस बार बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 13,100 करोड़ रुपये, मिड-डे मील

कार्यक्रम के लिए 8,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 1,354 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री सिब्बल ने कहा है कि संसद के वर्तमान सत्र में ही मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पारित कर लिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि तीन साल के भीतर पूरे देश में नेवरहुड स्कूल यानी पड़ोस स्कूल बनाए जाएंगे ताकि आसपास के छात्र वहीं पढ़ सकें। लेकिन इस बार बजट में इस विधेयक के लिए कोई अतिरिक्त पैसा आवंटित नहीं किया गया है। समझा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की राशि इसमें ख़र्च की जाएगी।

कई शिक्षाविदों और राजनीतिज्ञों ने इस बार बजट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिए जाने की आलोचना की है। इस बजट की एक खास बात यह है कि इसमें रोज़गार कार्यालयों का आधुनिकीकरण सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल अलग से बनाया जाएगा और छात्र ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर सकेंगे तथा सरकार एवं कंपनियां अपने यहां रिक्त पदों का डाटाबेस भी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी।

संप्रग सरकार ने शिक्षा ऋण पर सब्सिडी देने की भी घोषणा इस बजट में की है। तकनीकी और पेशेवर कोर्स करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण पर कम ब्याज देना होगा। इस योजना के जरिये मोरेटोरियम अवधि के दौरान शिक्षा ऋण लोन पर पूरी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सरकारी बैंकों से मान्यता प्राप्त संस्थानों को मिलेगी। उम्मीद है कि क़रीब 5 लाख छात्र इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यह योजना आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए है।

इसके अलावा बजट में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तथा केरल के मल्लापुरम में अलीगढ़ पुलिस विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने के लिए भी 25-25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मौलाना आज़ाद शिक्षण प्रतिष्ठान के लिए भी अनुदान सहायता बजट में बढ़ाई गई है और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की स्कीमों के वास्ते भी आवंटन किए गए हैं। शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान देहरादून को 100 करोड़, भारतीय वनस्पति सर्वे तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वे को 15-15 करोड़ एवं भारतीय भूगर्भ सर्वे को भी 15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को भी 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में सरकार एक कदम आगे बढ़ी है पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत ख़र्च करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सरकार को शिक्षा पर और अधिक ख़र्च करना होगा। संप्रग सरकार ने पिछले घोषणापत्र में ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही थी, पर गत पांच वर्षों में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। संप्रग सरकार केंद्र में अब फिर है। देखना है कि वह बढ़ती बेरोज़गारी और आबादी को देखते हुए शिक्षा का कितना विस्तार कर पाती है। ❑

(**लेखक** यूनीवार्ता **के वरिष्ठ संवाददाता हैं**)

## नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा बुनियादी अधिकार

**86वें** संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान के भाग तृतीय में एक नया अनुच्छेद 21-क समाविष्ट किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना बुनियादी अधिकार बना दिया। सरकार का मानना है कि 86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए एक उपयुक्त अनुवर्ती विधान की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में सर्वशिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है तो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है और 14 से 18 वर्ष की आयु समूह के बीच युवा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा और हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार करती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1950-51 में 7,416 से बढ़कर 2006-07 में एक लाख 68 हज़ार 9 सौ हो गई है।

शैक्षिक वर्ष 2006-07 के दौरान उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 2006-07 में उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक करोड़ 16 लाख 10 हज़ार पंजीकरण हुए, पिछले वर्ष यह संख्या एक करोड़ 13 लाख 40 हज़ार थी। इसमें से महिला विद्यार्थियों की संख्या 47 लाख थी, जो 40.55 प्रतिशत बैठती है।

सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल उन्नयन करने पर रहा है। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकारें इसमें शामिल होती हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा में वैश्विक स्तर की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के साथ-साथ व्यावसायिक विनियमों द्वारा अफसरशाही नियंत्रणों को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

आईआईटी/आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए अंधी दौड़ होती है। बड़ी संख्या में प्राइवेट कोचिंग संस्थान इस स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों पर इंजीनियरिंग अथवा प्रवेश परीक्षा की प्रतिस्पर्धा के लिए बड़ी मात्रा में धन ख़र्च कर रहे हैं। इसके कारण बच्चों पर भारी दबाव है। इसलिए सरकार का मानना है कि ऐसे संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने की आवश्यकता है। ❑

# निर्यात : जो करना था किया

● अमितेंदु पालित

वित्तमंत्री ने वर्ष 2009-10 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आए महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तनों की ओर भी ध्यान आकर्षिक किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ढांचागत सुधारों का आमतौर पर अर्थ राष्ट्रीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान और उसी मामले में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्रों की ठहरी हुई भूमिका से होता है। परंतु, वर्तमान संदर्भ में, वित्तमंत्री विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ते एकीकरण का उल्लेख कर रहे थे। जैसाकि बाद में उन्होंने बताया, माल और सेवाओं के क्षेत्र में भारत का मौजूदा व्यापार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 47 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एकीकरण के इस स्तर को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात क्षेत्र के महत्व को नज़रअंदाज़ किया जा सकता।

**बजट की पृष्ठभूमि**

बजट संकटग्रस्त बाह्य (निर्यात) क्षेत्र परिदृश्य की पृष्ठभूमि में पेश किया है। वर्ष 2008-09 के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) के अनुमान, बजट की प्रस्तुति से ठीक एक सप्ताह पूर्व 30 जून, 2009 को ज़ारी किए गए थे। केंद्रीय बजट आमतौर पर फरवरी के अंत में पेश किए जाते हैं। यह वह समय होता है जब बीओपी के बारे में केवल 6 माह की सूचना ही उपलब्ध होती है। परंतु इस बार बजट इस मामले में कुछ अधिक ही समृद्ध था। क्योंकि उसे पूरे वर्ष के उतार-चढ़ाव की जानकारी थी। इन घटनाक्रमों में निर्यात क्षेत्र पर पड़ रहे कुछ दबावों को रेखांकित किया गया था। किसी भी परिस्थिति में, इन दबावों को ढांचागत कमज़ोरियों के उभार का संकेतक नहीं माना जा सकता। फिर भी, हाल के दिनों में भारत के निर्यात क्षेत्र की उम्दा स्थिति को देखते हुए, पिछले माह के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवधिक रिपोर्ट जारी की है। उसमें तनाव के कुछ बिंदुओं की ओर स्पष्ट संकेत किए गए हैं।

प्रमुख असंतुलन सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वर्तमान चालू खाता घाटे के अनुपात के बारे में दर्ज़ किया गया है। जीडीपी के 2.6 प्रतिशत पर पूंजी खाता घाटा अधिकतर लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक था। जीडीपी के 2.0 प्रतिशत से अधिक चालू खाता घाटा 1988-89 से 1990-91 के कठिन दिनों की याद दिलाने लगता है। यह वह समय था जब भारत को स्वतंत्रता के बाद के दिनों में गंभीर बाह्य (निर्यात) क्षेत्र के संकट का सामना करना पड़ा था।

वर्ष 2007-08 जीडीपी के 1.5 प्रतिशत चालू खाता घाटे के साथ समाप्त हुआ था। परंतु किसी को भी यह आशा नहीं थी कि 2008-09 में पूरे विश्व को इस क़दर दम फुलाने वाली मंदी का सामना करना पड़ेगा। यह भी नहीं सोचा गया था कि वैश्विक मंदी का भारत के बाह्य क्षेत्र पर इस क़दर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यहीं पर, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय व्यापार का एकीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से मंदी का प्रभाव सर्वव्यापी और एक समान नहीं रहा है। इसी के साथ-साथ, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादा वैश्विक एकीकरण के कारण ही विश्व व्यापार में जो संकुचन

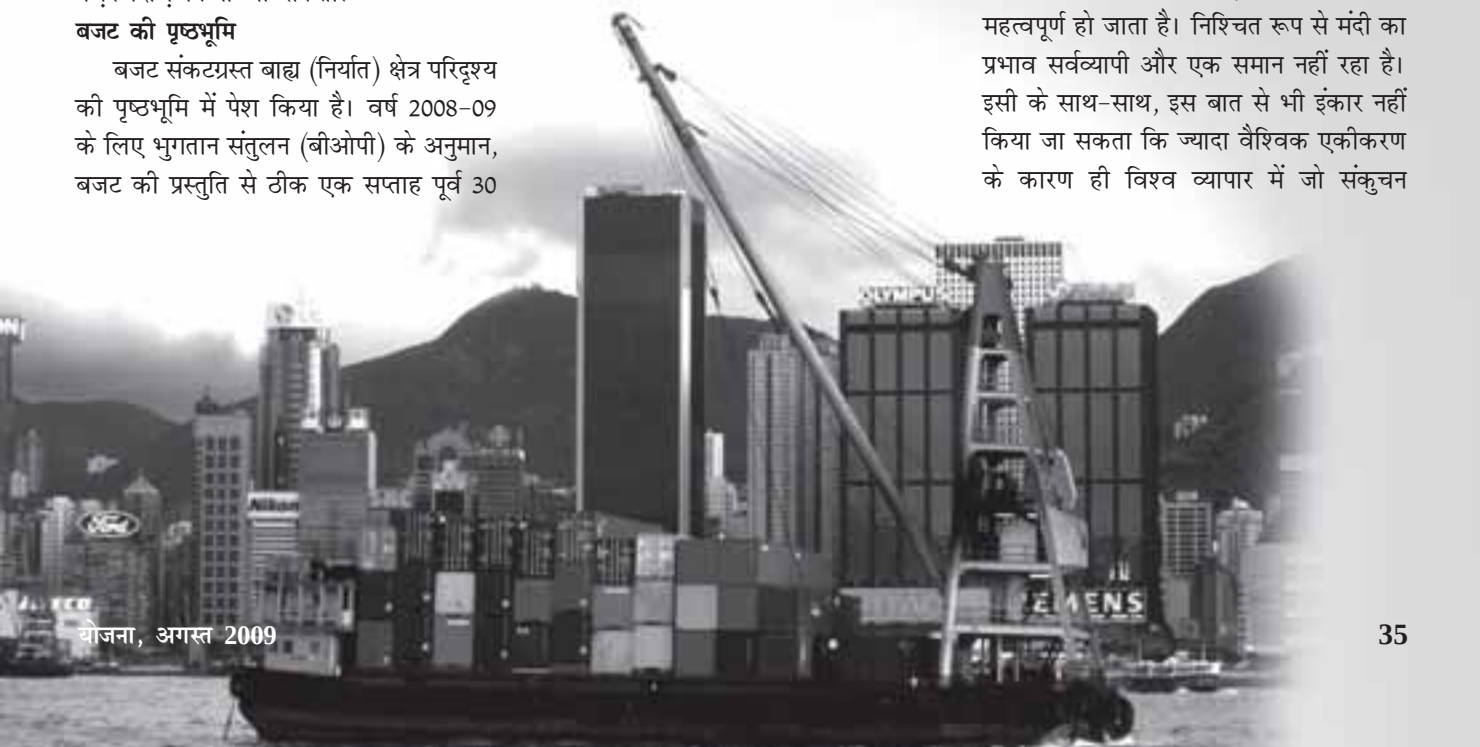

आया है उसका ख़ामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है।

मर्चेंडाइज (जिंसों) के निर्यात में आई तेज़ गिरावट के कारण व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है, जो अंतत 2008-09 के अंत तक जीडीपी के 10.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यदि अदृश्य अतिशेष (जीडीपी का 7.7 प्रतिशत) ने व्यापार घाटे के अधिकांश भाग की भरपाई न की होती तो चालू ख़ाता घाटा निश्चित रूप से जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक ही रहा होता।

उच्च व्यापार घाटे से मर्चेंडाइज़ के आयात और निर्यात दोनों के विकास दरों में आई तेज़ गिरावट का पता चलता है। वर्ष 2008-09 में मर्चेंडाइज़ के निर्यात में कुल 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2007-08 में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई थी। वर्तमान वर्ष में विकास दर में आई गिरावट वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध में निर्यात में आई कमी का ही नतीज़ा है। इस अवधि में निर्यात की वृद्धिदर नकारात्मक (-20.0 प्रतिशत) रही थी। वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में आयात में नकारात्मक वृद्धि काफी उल्लेखनीय रही। इस दौरान, उत्पादन संबंधित आयात में आई भारी गिरावट से घरेलू मोर्चे पर आई औद्योगिक मंदी का पता चलता है।

**बजटीय उपाय**

व्यापार के नज़रिये से केंद्रीय बजट की प्राथमिकताएं प्रारंभ से ही स्पष्ट थीं। बजट को निर्यातकों की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना था। परंतु इस संबंध में बजट की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण होगा। बजट व्यापार नीति का कोई अभ्यास नहीं है। अपने आप में, यह केवल निवेश-आय में वृद्धि को गति प्रदान कर अर्थव्यवस्था के भीतर मांग को उत्तेजित भर कर सकता है। परंतु, यह बाहरी मांग-निर्यात की जीवनरेखा को उत्तेजित करने में असमर्थ है। भारत के निर्यात की मांग का पुनर्जीवन उत्तरी अमरीका और यूरोप जैसे प्रमुख बाज़ारों की सेहत में सुधार पर निर्भर करता है। और इसमें अभी कुछ देरी है। अत: बजट मुख्य रूप से केवल निर्यातोन्मुखी उद्योगों और निर्यातकों की कुछ विशिष्ट चिंताओं को दूर करने भर में अपना योगदान कर सकता था, और ये चिंताएं वस्तुत: 'गैर-मांग' प्रकृति की थीं।

निर्यात में वृद्धि की बहाली के लिए बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

- बुरी तरह से त्रस्त निर्यात क्षेत्रों को निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) की 9 प्रतिशत तक समायोजन सहायता योजना का विस्तार मार्च 2010 तक कर दिया गया था।
- बाज़ार विकास सहायता योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- सात रोज़गारोन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व (प्री-शिपमेंट) ऋण पर ब्याज अनुदान योजना 30 सितंबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दी गई है।
- आयकर अधिनियम की धारा 10ए और 10बी के अंतर्गत निर्यात से होने वाले लाभ से एसनसेट क्लॉज के लिए कटौती एक साल के लिए और यानी वित्त वर्ष 2010-11 तक बढ़ा दी गई है।
- खेल सामग्री- चमड़े का सामान, कपड़ा उत्पाद और जूते-चप्पल आदि के निर्माताओं/निर्यातकों द्वारा आयातित कच्चे माल/सामग्री वाली कर छूट की सूची में विस्तार किया गया है।
- दो करयोग्य सेवाओं- सड़क के ज़रिये माल परिवहन और विदेशी एजेंटों को कमीशन का भुगतान को सेवाकर से मुक्त कर दिया गया है, बशर्ते निर्यातक को विपरीत प्रभार आधार (रिवर्स चार्ज बेसिस) पर सेवाकर चुकाना ज़रूरी हो। इस प्रकार निर्यातकों को पहले भुगतान करने और बाद में उस को वापस (रिफंड) प्राप्त करने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती। निर्यात संवर्द्धन परिषदों और भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) की सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्कों पर सेवाकर 31 मार्च, 2010 तक हटा लिया गया है।

पहले तीन उपाय निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2008-09 में घोषित प्रोत्साहन उपायों के एक अंग के रूप में प्रोत्साहनों को ज़ारी रखने की प्रक्रिया है। सभी उपायों का लक्ष्य निर्यातकों की ऋण स्थिति को सुधारना है। वैश्विक मंदी के छाने के साथ कमज़ोर पड़ती मांग के दो अन्य प्रभाव पड़े हैं। इनमें से एक तो निर्यातकों को देर से होने वाला भुगतान है। दरअसल, अनेक अवसरों पर तो विदेशों से मिले ऑर्डर को निरस्त भी करना पड़ा है। इस तरह की घटनाओं से निर्यातकों के लिए भारी वित्तीय कठिनाइयां पैदा हुई हैं, विशेषकर, उन छोटे और मध्यम दर्ज़े की इकाइयों को, जिन्होंने निर्यात ऑर्डर पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज़ ले रखा है। दूसरी समस्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा कम किए जाने से उत्पन्न नकदी के संकट के कारण पैदा हुई है जिससे व्यापार के लिए पैसे का स्रोत सूख रहा है। इन दोनों के कारण निर्यातकों की ऋण स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

## निर्यात वृद्धि के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा

आम बजट 2009-10 में निर्यात क्षेत्र में वृद्धि और निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है। वैश्विक मंदी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिसंबर 2008 में 95 प्रतिशत वृद्धि निर्यात ऋण और गारंटी निगम कवर प्रदान करने के लिए समायोजन सहायता योजना शुरू की गई थी। उन्होंने निर्यात की कमी के मद्देनज़र योजना को मार्च 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। बाज़ार विकास सहायता योजना के लिए 2008-09 की तुलना में 148 प्रतिशत की अवधि का प्रस्ताव किया गया है।

रोज़गारोन्मुखी निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए लदान पूर्व ऋण पर दी जा रही 2 प्रतिशत ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता योजना की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक करने का प्रस्ताव किया है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि प्रिंट मीडिया अब भी कठिन दौर से गुज़र रहा है इसलिए फरवरी 2009 में दिए गए प्रोत्साहन पैकेज़ की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2009 तक करने का प्रस्ताव है। अति लघु और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की विशेष निधि बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो इस क्षेत्र को उचित ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ❑

## वैश्विक मंदी से निपटने के लिए 1,86,000 करोड़ रुपये

केंद्रीय बजट वर्ष 2009-10 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने मांग बढ़ाने, रोज़गार एवं लोक आस्तियां सृजित करने हेतु सरकारी परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के लिए कर राहत के रूप में 3 संकेंद्रित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया है।

वित्तमंत्री ने कहा लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस राजकोषीय समायोजन से राजकोषीय घाटा 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 6.2 प्रतिशत हो गया। इस दौरान वास्तविक आंकड़ों के बीच आए अंतर के कारण कुल राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 2008-09 के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों की राशि मौजूदा बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत पर 1,86,000 करोड़ रुपये बैठती है।

वित्तमंत्री ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि ये उपाय 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धिदर में गिरावट रोकने में प्रभावशाली रहे और देश ने 6.7 प्रतिशत की वृद्धिदर हासिल की। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी रखेंगे। ❑

रोज़गार देने वाले निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान 1 दिसंबर, 2008 से 30 सितंबर, 2009 तक देने के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी। यह सुविधा जिन क्षेत्रों पर लागू है वे हैं- कपड़ा (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु एवं मध्यम संगठनों में रोज़गार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र। इन उद्योगों की संभावनाओं में ह्रास से न केवल आयात से होने वाली आय में कमी आएगी, बल्कि रोज़गार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ब्याज अनुदान से इन क्षेत्रों के निर्यातकों की ऋण संबंधी कठिनाइयों के निराकरण में मदद मिलेगी। लागत कम करने के उपायों से छंटनी की समस्या पैदा हो सकती है। कर्ज़ की कमी से भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। निर्यातकों द्वारा लदान पूर्व लिए जाने वाले ऋण पर देनदारी कम होने से उनकी वित्तीय कठिनाइयां भी कम हो सकती हैं और साथ ही इससे उनके उद्यमों पर पड़ने वाले प्रभाव (संकुचन) को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। इसी प्रकार के लाभकारी प्रभाव ईसीजीसी योजना के विस्तार और बाज़ार विकास सहायता के समर्थन से भी पड़ने की आशा है। परंतु इस बात पर ध्यान देना होगा, और जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि इन सभी उपायों से निर्यातकों के बोझ को केवल अल्पावधि के लिए ही कम किया जा सकता है। यह आशा करना मूर्खता होगी कि इन उपायों से कोई दीर्घकालीन लाभ मिलेगा।

सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'सनसेट क्लॉज' का विस्तार 2010-11 तक कर दिया जाना चाहिए। ये भी वे क्षेत्र हैं जो धूमिल निर्यात परिदृश्य के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इनमें रोज़गार सृजन की भारी संभावनाएं हैं। इसके लिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10ए और 10बी के अंतर्गत छूटों को ज़ारी रखने से होने वाले अतिरिक्त लाभ के अंश को बचा कर निवेश में लगाया जा सकता है। इससे उनको अपने मौजूदा टेक्नोलॉजी पार्कों में बने रहने को प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी ओर, खेल सामग्री, चमड़े का सामान, कपड़ा और जूते-चप्पल निर्माताओं को करमुक्त कच्चे माल के आयात की अनुमति देने से इन उद्योगों को ऐसे समय में बेहतर कार्यकुशलता हासिल करने में मदद मिलेगी जब वे ऋण संकुचन और धूमिल परिदृश्य से दुखी हैं। निर्यातक समुदाय के लिए सेवाकर में छूट भी स्वागत योग्य कदम है। परंतु तटीय क्षेत्रों में माल परिवहन पर लगाए गए सेवाकर से वे अवश्य कुछ नाखुश होंगे।

**भविष्य की ओर**

निर्यातकों और निर्यातोन्मुख क्षेत्रों की सहायता करने का जो एकमात्र रास्ता था, बजट में वही करने का प्रयास किया गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ऋण संकुचन की स्थिति और न बिगड़ने पाए। निर्यातकों के लिए ऋण सुविधाओं में सुधार के बाद अब भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षा है कि वह भी लदान पूर्व और लदान बाद के ऋण पर ब्याज दरों में कटौती कर समान रूप से प्रोत्साहन दे। परंतु ये सब पूर्णत: अलग मुद्दे हैं और इनका बजट से कोई लेना-देना नहीं।

क्या बजट को दूसरे ढंग से पेश किया जा सकता था? बाह्य (निर्यात) क्षेत्र के नज़रिये से और निर्माताओं तथा निर्यातकों की समस्याओं के निराकरण के संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसने जितना संभव था, उतना किया है। इन उपायों को पहले उठाए गए कदमों की निरंतरता के रूप में देखा जाना महत्वपूर्ण होगा। इस सीमा तक बजट ने वर्तमान सरकार की प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करने की बचनबद्धता को पूरा किया है।

अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट में कुछ ऐसी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है जिनका मध्यम अवधि के नज़रिये से निर्यात संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भारत के निर्यात के नज़रिये से महत्वपूर्ण यह है कि उत्पादों की पिटारी में विविधता लाई जाए और मूल्य संवर्द्धन हासिल किया जाए। वास्तव में, भारत को निर्यात की जाने वाली अपनी पारंपरिक सूची से आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है और उसे अपेक्षाकृत आधुनिक मूल्यवर्धित क्षेत्रों को और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। ताज़े और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का निर्यात इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आमतौर पर लोगों को यह अहसास नहीं होता कि निर्यात में दक्षता प्राप्त करने का मामला घरेलू अर्थव्यवस्था में लागत में कमी से जुड़ा होता है। कृषि संबंधी ढांचे के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसी तरह के और उपाय दीर्घावधि में भारत की निर्यात संभावनाओं की वृद्धि में मददगार हो सकते हैं। ❑

**(लेखक सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसएस) में विज़िटिंग रिसर्च फेलो हैं। ई-मेल:** isasap@nus.edu.rg)

**Ranked best school in imparting training in IAS Exam.***
*(Business Sphere, Feb. 2009)

**KSG**
Passionate about your success...

**G.S.**
with
**DR. Khan**
(पूर्व में लैक्चरर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय)
**पी.ओ.डी. तकनीक** द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी
*केवल खान स्टडी ग्रुप द्वारा
सामान्य अध्ययन में 18 वर्षों के अध्यापन अनुभव से
डॉ. खान द्वारा विकसित एक अनुपम विधि

# सामान्य अध्ययन
**आपके व्यक्तिगत लक्ष्य में सहभागी**

● इतिहास ● मनोविज्ञान ● लोक प्रशासन

**मुख्य परीक्षा**
**गहन अध्ययन कोर्स**
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के तुरंत बाद

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु
उपलब्ध पत्राचार कोर्स

- सामान्य अध्ययन (English/हिन्दी)
- भूगोल (English/हिन्दी)
- इतिहास (English/हिन्दी)
- लोक प्रशासन (English/हिन्दी)
- समाजशास्त्र (English/हिन्दी)
- मनोविज्ञान (English/हिन्दी)

छात्र-छात्राओं के लिए पृथक होस्टल की सुविधा में सहयोग

विवरण पुस्तिका हेतु रू.50/- का डीडी/एमओ भेजें

**Separate Batches**
**for English & Hindi Medium**

KSG

खान स्टडी ग्रुप स्वयं कठिन परिश्रम में विश्वास रखता है; हमें यह अपेक्षा है कि मात्र वे प्रत्याशी ही प्रवेश लें जो कठिन परिश्रम के लिए तैयार हों। ध्यान रहे: हमें सफलता के किसी शॉर्ट-कट की जानकारी नहीं है।

## KHAN STUDY GROUP
**2521, Hudson Line, Vijay Nagar Chowk, Near G.T.B. Nagar Metro Station, New Delhi - 110 009**
**Ph: 011-6455 4955, 2713 0786, 2713 1786, 97173 80832, send us mail: drkhan@ksgindia.com**
**You can also download Registration Form from our Website: www.ksgindia.com**

YH-8/09/2

# रेल बजट का फ़ोकस : आम आदमी

● अरविंद कुमार सिंह

रेलमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा संसद में 3 जुलाई को पेश वर्ष 2009-10 के रेल बजट का फ़ोकस वास्तव में आम आदमी है। रेल बजट में आम आदमी को केंद्र में रखकर विविध क्षेत्रों के लिए काफी मज़बूत ताना-बाना बुना गया है। चाहे ग़रीब आदमी हो या असंगठित मजदूर, किसान हो या बेरोज़गार युवा, सबके लिए कुछ न कुछ ठोस पहल इस बजट में नज़र आती है। रेल बजट में सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है और व्यापक संतुलन बिठाते हुए काफ़ी मेहनत की गई है। इसी नाते यह रेल बजट जनोन्मुखी होने के साथी विकासोन्मुखी और प्रगतिशील भी है। रेलमंत्री के रूप में सुश्री बनर्जी पहले भी दो रेल बजट पेश कर चुकी हैं। यह उनका तीसरा रेल बजट है जिसे भारतीय रेल इतिहास के सबसे शानदार बजट के रूप में देखा जा रहा है। यूपीए सरकार का यह सातवां रेल बजट है जिसमें किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। वैश्विक मंदी और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि रेलमंत्री कम से कम वातानुकूलित श्रेणी में किराया तथा माल भाड़ा ज़रूर बढ़ाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके विपरीत रेलमंत्री ने यात्री सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में पहल की है तथा साफ़ कहा कि "अर्थव्यवस्था की मंदी से हमारे समाज के ग़रीब वर्ग पर काफी आर्थिक भार पड़ा है इस नाते किसी भी दर्ज़े के किराये या मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।" उनका इरादा भारतीय रेल को एक मज़बूत, जवाबदेह और गतिशील संगठन बनाने का है, जिसमें ऊंचे दर्ज़े की क्षमता और प्रभावशीलता हो। इसी के साथ रेलमंत्री ने यह शेर पढ़कर भविष्य में कुछ नया कर गुज़रने का संकेत भी दिया है:

भंवर से लड़ो,
तुम लहरों से उलझो,
कहां तक चलोगे,
किनारे-किनारे।

भारतीय रेल इतिहास में वैसे तो कई रेल बजट काफी चर्चा में रहे हैं, पर यह एक ऐसा बजट है जिसकी एक स्वर से सराहना की गई है और माना गया है कि इसमें आम आदमी का खास ख्याल रखने के साथ रेलमंत्री ने दूरदृष्टि भी दर्शाई है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रेल बजट का स्वागत करते हुए कहा कि "यह बजट सुविधा, संरक्षा और सुरक्षा में सुधार पर केंद्रित है।" रेलमंत्री ममता बनर्जी ने कम समय में यथेष्ट कार्य पूरा किया है। उन्होंने माल भाड़े में बढ़ोतरी किए बिना बजट प्रस्तुत किया। खासतौर पर पिछड़े इलाकों के कल्याण, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने जैसी कई नयी पहल की व्यापक चर्चा हो रही है। रेलमंत्री ने रेलों के आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव इस बजट में रखा है साथ ही सामाजिक सरोकारों पर उनका खास ध्यान रहा। यह भारतीय रेल को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम है। इस बजट में भविष्य में रेल को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में ठोस पहल भी नज़र आती है। हालांकि विपक्ष ने रेल बजट की रस्मी तौर पर आलोचना की है। पर अन्य सभी क्षेत्रों ने इसकी सराहना की है। उद्योग संगठनों ने इसे उद्योगों के हित में बताया है और कहा है कि आर्थिक समस्याओं के बावजूद भाड़े में वृद्धि नहीं करना एक बड़ी उपलब्धि है। रेलमंत्री ने पिछले काफी समय से रेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित पश्चिम बंगाल को भी कई रेल परियोजनाएं प्रदान की है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि हम सभी वाणिज्यिक सेवाएं मानवीयता को बरकरार रखते हुए अर्पित करें, हमारा यह प्रयास रहेगा।

भारतीय रेल को देश की जीवनरेखा कहा जाता है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। रेल नेटवर्क में यह विश्व में दूसरे नंबर पर है जबकि एशिया में नंबर एक पर है। रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में 16 क्षेत्रीय रेल मुख्यालय देशभर में रेल कार्यालयों की मदद से रेल प्रशासन चलाते हैं। रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलों को नीतिगत मामलों में दिशा देता है। भारतीय रेल की रोज़ चलने वाली 13 हजार रेलगाड़ियां रोज़ाना चार बार धरती से चांद तक जाने जितनी दूरी तय कर रही हैं। इसका नेटवर्क 63,273 किलोमीटर से अधिक लंबा है और 14 लाख कर्मचारी इसकी सेवा में लगे हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारतीय रेल बेहद अहम भूमिका निभाती है। भारतीय रेल प्रणाली कितनी विशाल है इसका अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि यह प्रतिदिन 1.80 करोड़ मुसाफ़िरों को गंतव्य तक पहुंचाती है और 2.20 लाख टन माल ढोती है। इस नाते इसकी घर-घर तक पहुंच है। यही वजह है कि रेल बजट का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं।

इस बार के रेल बजट ने तमाम वर्गों के लिए खास तोहफ़ा तो दिया ही है, यात्रियों की तमाम व्यावहारिक दिक्क़तों को भी ज़मीनी धरातल पर बैठकर देखने का प्रयास किया गया है। रेल बजट के आर्थिक पक्ष को देखें तो साफ़

## भारतीय रेल: कुछ रोचक तथ्य

- दिल्ली में सबसे पहली रेलगाड़ी सन् 1864 में चली थी और उसमें सिर्फ़ 100 यात्री थे।
- सबसे अधिक रेलमार्गों को एक-साथ जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम है।
- भारतीय रेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
- शुरू के 55 वर्षों तक भारतीय रेलगाड़ियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उच्च श्रेणी के डिब्बों में शौचालय की व्यवस्था 1868 में की गई और निम्न श्रेणी के डिब्बों में यह व्यवस्था 1909 में गई।
- भारत स्थित विश्व विरासतों में से तीन भारतीय रेल से संबद्ध हैं- मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे तथा नीलगिरी रेलवे।
- विक्टोरिया टर्मिनस के निर्माण में 10 वर्ष लगे थे और उसकी लागत 16,35,562 रुपये थी। अब यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहलाता है।
- भाप से चलने वाली विश्व की सबसे पुरानी रेल इंजन फेयरी क्वीन, प्रत्येक वर्ष चार महीने (नवंबर-फरवरी) नयी दिल्ली से अलवर स्टेशन के बीच दौड़ती है।
- भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी नियोक्ता है जिसके अधीन 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।
- भारतीय रेल की सबसे लंबी यात्रा 3,751 किलोमीटर जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है, जिसे हिमसागर एक्सप्रेस 66 घंटे में तय करती है।
- सोन नदी पर बना नेहरू सेतु सबसे बड़ा रेल पुल है, जिसकी लंबाई 10,044 फीट है।
- भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल और खंडाला के बीच स्थित है जिसकी लंबाई 7,000 फीट है।
- प्रथम श्रेणी के कुछ वातानुकूलित डिब्बों का प्रचलन 1936 में शुरू हुआ।
- भारत में रेल पटरियों की कुल लंबाई 63,273 किलोमीटर है।
- भारतीय रेल के अंतर्गत 8,018 स्टेशन हैं।
- भारतीय रेल के पास कुल 7,817 रेल इंजन हैं।
- भारतीय रेल के पास 40,000 यात्री डिब्बे हैं।
- भारतीय रेल के पास 2,28,000 माल डिब्बे हैं।
- भारतीय रेल रोज़ाना एक करोड़ अस्सी लाख यात्रियों को ढोती है।
- भारतीय रेल रोज़ाना दस लाख टन वजन ढोती है।
- भारतीय रेल रोज़ाना 13,684 रेलगाड़ियां चलाती है जिसमें से 200 रेलगाड़ियां नयी दिल्ली से छूटती है।
- पूर्ण रूप से वातानुकूलित पहली रेलगाड़ी दिल्ली से हावड़ा से बीच 1956 में चली थी।
- कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली की शुरुआत 1986 में की गई।
- भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी है, जिसकी रफ़्तार 140 किलोमीटर प्रतिघंटा है।
- भारत में सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म खड़गपुर में जिसकी लंबाई 2,732 फीट है। ❑

होता है कि वैश्विक मंदी के बावजूद रेलवे ने पिछले वर्ष 83.3 करोड़ टन माल का लदान किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। इससे यातायात प्राप्तियों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 79,862 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। इसी दौरान कड़े किफ़ायती उपायों के चलते 676 करोड़ रुपये की बचत की गई। पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए 13,600 करोड़ रुपये के वितरण के बावजूद रेलवे ने 17.40 करोड़ रुपये का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस हासिल किया। पर 2009-10 के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है और 85 करोड़ टन के लक्ष्य की तुलना में 1.7 करोड़ टन की कमी रही। इसी तरह रेलवे की फालतू भूमि से प्रत्याशित राजस्व भी संतोषजनक नहीं रहा। इन कमियों का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में मंदी माना जा रहा है। परंतु इन सबकी समीक्षा के साथ रेलमंत्री ने माल यातायात का लक्ष्य 88.2 करोड़ टन निर्धारित किया है जो 2008-09 की तुलना में 4.9 करोड़ टन अधिक है। यही नहीं विशेष उपायों और खासतौर पर लंबी दूरी के यातायात को हासिल करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इन उपायों से माल यातायात से 58,525 करोड़ रुपये की आमदनी होने की संभावना है जो 2009-10 के निष्पादन से 5,092 करोड़ रुपये अधिक है। अन्य आमदनी को बढ़ाने पर भी रेलमंत्री ने विशेष ज़ोर दिया है। उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-1012) के आखिर तक प्रारंभिक माल लदान 110 करोड़ टन तक बढ़ने और यात्री यातायात के 840 करोड़ से अधिक होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके लिए रेलवे भारी-भरकम निवेश भी कर रहा है और लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। रेलमंत्री यह भी मानती हैं कि रेलों के गैर-पारंपरिक स्रोतों का अभी तक दोहन नहीं किया गया। इस क्षेत्र में आमदनी की विशाल संभावना है। अपने पिछले रेलमंत्री काल में ममता बनर्जी ने इस दिशा में ठोस पहल की थी। अब इस काम को वे और गति देने जा रही हैं तथा इन कार्ययोजनाओं की गहन निगरानी भी रखी जाएगी।

रेलवे की वार्षिक योजना 2009-10 में योजनागत परिव्यय 40,745 करोड़ रुपये है और इसमें अंतरिम बजट की तुलना में 2,840 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नयी लाइन मद में 2,921 करोड़ रुपये, आमान परिवर्तन के लिए 1,750 करोड़ रुपये, यात्री सुविधाओं के लिए 1,102 करोड़ रुपये, कर्मचारी आवास के लिए 335 करोड़ रुपये तथा कर्मचारी सुविधाओं के लिए 424 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इस साल 18,000 माल डिब्बों की ख़रीद की जाएगी। साथ ही पूर्वोत्तर और कश्मीर में चल रही 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 1,949 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजट सहायता मांगी गई है। इन सभी योजनाओं में काफी संसाधन उपलब्ध कराया गया है और उचित बढ़ोतरी की गई है। इस तरह रेलमंत्री ने आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है।

रेल बजट का खास आकर्षण रेलगाड़ियां होती हैं। इस रेल बजट में 57 नयी रेलगाड़ियां

चलाने, साथ ही 27 गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने तथा 13 गाड़ियों के फेरे बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। इस बजट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि रेलमंत्री ने आम आदमी को केंद्र में रखकर 'इज़्ज़त' स्कीम के तहत 1,500 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के ग़रीबों के लिए 100 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 25 रुपये का मासिक रियायती पास जारी करने की घोषणा भी की है। इस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इससे लाखों लोगों को सम्मान के साथ यात्रा करने का मौक़ा मिलेगा। यह योजना संसद सदस्यों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

इसी तरह पहली बार पत्रकारों की भी परेशानियां दूर की गई हैं। कई सालों से पत्रकार कूपन से पीछा छुड़ाना चाहते थे पर यह काम अब जाकर पूरा हुआ। उन्हें अब फोटो पहचानपत्र और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा विशेष श्रेणी की गाड़ियों में उन्हें दी जानेवाली रियायत 30 से 50 प्रतिशत कर दी गई है। उपनगरीय सेवाओं की तरफ भी रेलमंत्री ने खास ध्यान दिया है और प्रमुख महानगरों में केवल महिलाओं के लिए ईएमयू गाड़ियों को चलाने के साथ नयी वातानुकूलित युवा रेलगाड़ियों की शुरुआत का भी ऐलान किया है। यह सेवा वातानुकूलित होगी और इसमें बैठने का स्थान सुलभ होगा। खासतौर पर युवाओं और कम आमदनी वाले वर्गों को इससे काफी राहत मिलेगी। ये गाड़ियां कई जगहों से महानगरों या प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी और 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए इनका किराया 299 रुपये और 2,500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए कुल किराया 399 रुपये होगा। फिलहाल तीन माह के भीतर मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता के बीच पायलट आधार पर सेवाएं शुरू की जाएंगी। यही नहीं भारतीय रेल इतिहास में पहली बार दूरोंतो (दूरांत) के नाम से प्रस्थान से गंतव्य स्थल तक मार्ग में बिना रुके चलनेवाली 12 रेलगाड़ियां शुरू की जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

रेलमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह संकेत दिया कि उनका ज़ोर वंचित और सुविधाविहीन इलाकों पर होगा। आर्थिक व्यहार्यता के तराज़ू पर परियोजनाओं को तौलने के बजाय वे सामाजिक दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देंगी क्योंकि इन परियोजनाओं से वास्तविक आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा जो भावी विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। भारतीय रेलवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचेवाली सुविधाओं का निर्माण करने से बड़ी संख्या में देश के ग़रीबों को मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए कौन से उपाय तलाशे जाएं इस बारे में जल्दी ही एक ख़ाका तैयार होगा। इससे यह तो संकेत मिलता ही है कि रेलमंत्री भविष्य में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को साकार करना चाहती हैं। इस रेल बजट में रेलमंत्री ने क्षमता विस्तार पर भी खास ध्यान दिया है। इसी के तहत समर्पित माल गलियारे का निर्माण, नयी लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के कार्यों के लिए भारी निवेश की योजना बनाई गई है।

**समर्पित माल यातायात गलियारा**

भारतीय रेल की बेहद महत्वपूर्ण समर्पित माल गलियारा योजना के महत्व को देखते हुए रेलमंत्री ने इसे डायमंड रेल गलियारा के रूप में घोषित किया है। इस परियोजना को रेलमंत्री ने देश के गले का हार कहा है। पश्चिमी गलियारा उ.प्र., दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, जबकि पूर्वी गलियारा दानकुनी के रास्ते लुधियाना से कोलकाता तक जाएगा और पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते से गुजरेगा। अन्य ट्रैक मार्गों जैसे उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण तथा दक्षिणी गलियारों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। सरकार ने पूर्वी गलियारे का दानकुनी तक विस्तार करने के कार्य को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना को समयबद्ध आधार पर और किफायती रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात भी

## रेल बजट 2009-10 की विशेषताएं

- यात्री किराये और माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं।
- असंगठित क्षेत्र के ग़रीबों के लिए 'इज्जत' योजना के तहत 25 रुपये में मासिक पास।
- दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में केवल महिलाओं के लिए ईएमयू, डीएमयू।
- रेल भर्ती में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, खिलाड़ियों और पिछड़े वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व।
- लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में ऑन बोर्ड सूचना और मनोरंजन सेवाएं।
- 50 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों का निर्माण।
- जनता खाना में राष्ट्रीय के साथ क्षेत्रीय व्यंजनों को भी महत्व।
- 50 विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों का निर्माण।
- पहली बार बिना रुके गंतव्य तक पहुंचेगी एक दर्जन नयी 'दूरोंतो' गाड़ियां।
- 57 नयी रेलगाड़ियां, 27 गाड़ियों का विस्तार और 13 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि।
- युवा पीढ़ी की मदद के लिए वातानुकूलित 'युवा' रेलगाड़ियां।
- देशभर में 375 आदर्श स्टेशनों का विकास होगा।
- मदरसों में पढ़नेवाले छात्रों को नि:शुल्क मासिक सीजन टिकटें मिलेंगी।
- बीते पांच साल के प्रदर्शन पर जारी होगा श्वेतपत्र।
- तत्काल यात्रा हुई यात्री अनुकूल, पत्रकारों की व्यावहारिक दिक्कतें समाप्त।
- 53 नयी लाइनों, 3 आमान परिवर्तन व 12 लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्ताव पर होगी कार्रवाई।
- यात्रियों की सेवा, सुविधाओं, खानपान गुणवत्ता, संरक्षा-सुरक्षा व समय पालन पर विशेष ध्यान।
- आरक्षित-अनारक्षित टिकट जारी करेंगे 'मुश्किल आसान' मोबाइल वैन।
- व्यावसायिक आधार पर रेलवे कारख़ानों का पुनर्गठन।
- पूर्वी व पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के साथ मेगा लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित होंगे।
- कांचरापाड़ा-हालिशहर रेलवे परिसर में बनेगा नया उपनगरीय सवारी डिब्बा कारखाना।
- आद्रा में बनेगा 1,000 मेगावॉट का बिजलीघर।
- परियोजनाओं में विलंब रोकने के लिए परियोजना निगरानी तंत्र का विकास।
- पूर्वोत्तर तथा कश्मीर की रेल परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता।

रेलमंत्री ने कही है जो सभी पहलुओं की जांच कर एक सुदृढ़ कार्ययोजना का विकास करेगी। पश्चिमी गलियारे के प्रभाव में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक हब, रेल पोर्ट संपर्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा मेगा पावर प्लांट शामिल हैं। इसका कार्यान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में किया जाएगा। इसी तर्ज़ पर पूर्वी गलियारे का विकास होगा। रेलमंत्री ने रेलवे भूमि के रचनात्मक उपयोग का प्रस्ताव भी किया है ताकि लागत में वृद्धि से बचा जा सके और औद्योगिक परियोजनाओं को भी शीघ्र शुरू किया जा सके। इसकी गति को तेज़ करने के लिए दानकुनी, माझेरहाट तथा नवपारा क्षेत्र में चल स्टॉक उत्पादन और असेंबली सुविधाओं तथा सवारी डिब्बों की पुनर्स्थापना के लिए निवेश शामिल किया गया है। इसी तरह पूर्वी औद्योगिक गलियारे के आसपास रेल आधारित औद्योगिक समूह की स्थापना के लिए नींव रखी जाएगी। इसके कोयला तथा अयस्क खानों के निकट होने से श्रमशक्ति की उपलब्धता तथा भारत के सर्वाधिक बड़े धातु बाज़ार के आंतरिक लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे।

इसी तरह कांचरपाड़ा-हालिशहर रेल परिसर में संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर 500 ईएमयू, मेमू तथा मेट्रो सवारी डिब्बों की वार्षिक क्षमतावाली नयी फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। आंध्र में आदिवासी क्षेत्र में ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से 1,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। युवा कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों के लिए दानकुनी में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। बर्न स्टैंडर्ड तथा ब्रेथवेट कारखाने का अधिग्रहण करने पर विचार के साथ रेलवे ने कई और कदम भी उठाए हैं।

रेलमंत्री ने 'तत्काल' योजना को और जनोनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने की बात कही है। इसी तरह रेलगाड़ियों तथा स्टेशन परिसरों की साफ़-सफ़ाई, खानपान की गुणवत्ता, संरक्षा और सुरक्षा के साथ समय पालन पर खास ध्यान दिया है तथा आम लोगों को राहत देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाया है साथ ही विभिन्न जनोपयोगी क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी का इंतजाम भी किया गया है। 50 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने, 375 स्टेशनों को यात्री सुविधाओं के लिहाज़ से आदर्श स्टेशन बनाने, तीर्थ स्थानों तथा पर्यटन स्थलों से जुड़े 50 रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण जैसे कदमों से रेलवे की आय और साख दोनों में इज़ाफ़ा होगा।

विकलांगों तथा बुजुर्ग यात्रियों के प्रति भी रेलमंत्री ने उदार नज़रिया अपनाया है। लंबी दूरी की गाड़ियों में डॉक्टरों की उपलब्धता पर विचार के साथ सात शहरों में एंबुलेंस सेवाओं के साथ नयी शुरुआत और इंटरसिटी सेवा के लिए वातानुकूलित डबलडेकर सवारी डिब्बे चलाना बेशक नयी सोच की परिणति है। इसी तरह दो घंटे से अधिक समयवाली यात्रा ईएमयू तथा डीएमयू गाड़ियों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने, एक हजार नये स्थलों पर आरक्षण सुविधा मुहैया कराने तथा अनारक्षित टिकट बुकिंग सेवाओं के विस्तार से भी यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। डाकघरों और मोबाइल टिकट सेवा के माध्यम से रेल आरक्षण से आम जनता को लंबी लाइनों से निज़ात मिलेगी। 140 संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा योजना के साथ महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला रेल सुरक्षा बल दस्तों की भी तैनाती की जाएगी। रेलमंत्री ने पहली बार उपेक्षित पड़े रेलवे प्रिंटिंग प्रेसों को भी जीवनदान देने का प्रयास किया है। इसके लिए मुंबई (भायकला), दिल्ली (शकूरबस्ती), कोलकाता (हावड़ा) तथा चेन्नई के प्रिंटिंग प्रेसों को अपग्रेड कर उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया है।

इसी तरह बेहतर रेल संपर्क के लिए नयी लाइनों के 53, आमान परिवर्तन के लिए तीन और दोहरीकरण के कार्यों के लिए 12 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। रेल विद्युतीकरण के लिए भी तीन खंडों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन मदों में अंतरिम बजट की तुलना में 24 प्रतिशत और अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। रेलमंत्री ने पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर रेल विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव भी किया है। इसी तरह सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनकी निगरानी का दायित्व वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है।

रेलवे के ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क को इस्तेमाल करने और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ दूर-दराज तक पहुंचाने के लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के साथ रेलमंत्री ने परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब से बचने के लिए परियोजना निगरानी समिति जैसा तंत्र भी खड़ा किया है। यही नहीं बीते पांच साल के प्रदर्शन के आधार पर संगठनात्मक, परिचालनिक और वित्तीय स्थिति के संबंध में रेलवे श्वेतपत्र भी प्रस्तुत करेगा और दीर्घकालिक और अल्पकालिक नीति के लिए विजन 2020 भी तैयार किया जा रहा है।

मालभाड़ा और पार्सल व्यवसाय को बढ़ावा देने के तहत कंटेनर संचलन के लिए नियत पारगमन समय के साथ प्रीमियम सेवा, माल गलियारे के साथ-साथ मेगा लॉजिस्टिक हबों की योजना के साथ किसान विजन की महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी रेलमंत्री का ज़ोर है, ताकि किसानों को विशेष लाभ हो सके। इसी तरह तीव्रगामी पार्सल सेवा भी तीन समर्पित टर्मिनलों से चलेगी। इससे रेलवे को काफी आय होने की संभावना है। इसी तरह कोलकाता की सर्कुलर और मेट्रो रेलवे के कार्यकरण को और बेहतर बनाने के लिए सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर की रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में होने वाले विलंब को देखते हुए रेलमंत्री ने परियोजना निगरानी समिति का गठन करके नयी पहल की है। कर्मचारी कल्याण के तहत रेलमंत्री ने 14 लाख रेल कर्मियों पर भी खास ध्यान दिया है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान किया है। खासतौर पर कर्मचारी आवास के मामले में आवंटन को बढ़ाकर 335 करोड़ रुपये किया गया है जो अंतरिम बजट से 45 प्रतिशत ज्यादा है। रेलमंत्री ने ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अलावा सात नर्सिंग कॉलेज भी रेलवे भूमि पर खोलने का प्रस्ताव किया है। खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उन्होंने काफी ज़ोर दिया है। इसी तरह रेल भर्ती बोर्डों की समीक्षा के साथ विभिन्न कोटों में रिक्त भर्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान को चलाने पर भी रेलमंत्री ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ❑

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।**
**ई-मेल:** arvindksingh@email.com)

# आधारभूत ढांचे के विकास में सुधार की परिकल्पना

● देवेन्द्र उपाध्याय

आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि वर्ष 2008-09 में गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गई। यह विगत पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) में 8.8 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर से 2.1 प्रतिशत की गिरावट का द्योतक है। पांच वर्षों की उच्च संवृद्धि ने लोगों की प्रत्याशाओं को बढ़ा दिया है। आधारभूत ढांचे के विकास में सुधार की परिकल्पना करते हुए कहा गया है कि आधारभूत ढांचे के विकास से न केवल वृद्धि हेतु आपूर्ति के मार्ग में आने वाली अड़चनें दूर होंगी, बल्कि इससे अपेक्षित मांग की वृद्धि हेतु प्रोत्साहन भी मिलेगा।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद की बजट सभा के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत जैसी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं प्रारंभिक चरण में वैश्विक वित्तीय संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। अगस्त 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर थी। प्रारंभ में वैश्विक वित्तीय संकट का भारत पर सकारात्मक प्रभाव ही नज़र आया क्योंकि सितंबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान 22.5 अरब अमरीकी डॉलर का भारी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ। जबकि अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान यह 11.8 अरब अमरीकी डॉलर था। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक वित्तीय संकट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु यह विश्व अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक वैकल्पिक इंजन का काम कर सकती है। यह आधार तर्कसंगत नहीं रह सका क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट बढ़ गया और भुगतान संतुलन में पूंजी तथा चालू लेखे के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करने लगा।

इसमें कहा गया है कि वैश्विक संकट ने मंदी और पूंजी प्रवाह के वित्त विपर्यय के माध्यम से उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। बावजूद इसके आर्थिक उपायों, सरकार की पहलों और वैश्विक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की पहल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाई है।

विदेशी निवेश अंतर्वाह

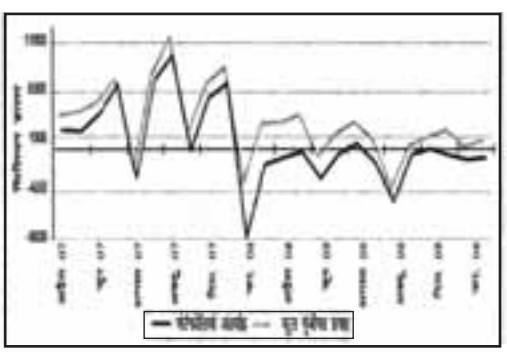

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार

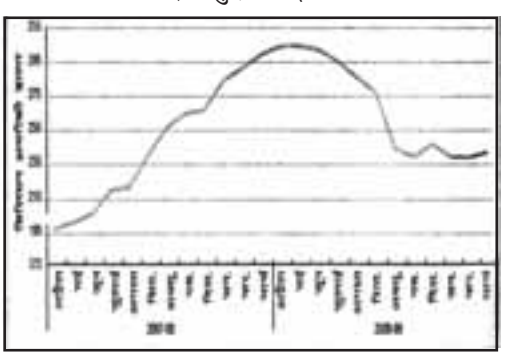

विनिमय दर (रुपये/अमरीकी डॉलर)

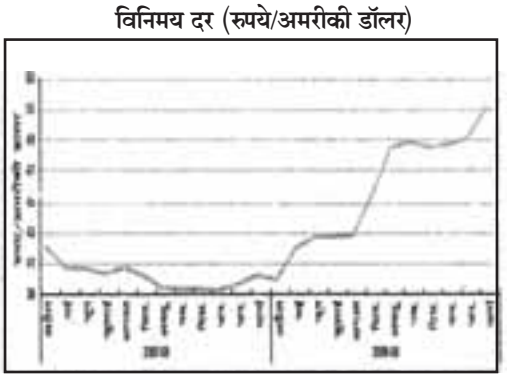

निर्यात और आयात की प्रवृत्तियां

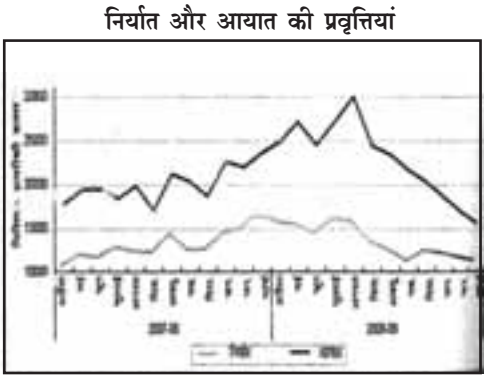

**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में वृद्धि:** वर्ष 2008-09 में विदेश प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह की महत्ता बढ़ी है। इससे यह संकेत मिला कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक स्थल है। इसके पीछे उदारीकृत निवेश माहौल, आर्थिक विकास के अवसरों हेतु स्थिर तथा ठोस आर्थिक एवं राजनीतिक आधार है। विदेशी पूंजी निवेश भारतीय कारपोरेट की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। इसलिए एफडीआई के दोहरे प्रवाह का आशय है कि जहां एक ओर विश्व भारत की बाज़ार संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कंपनियां विदेशों में तेज़ी से अधिग्रहणों की बराबर प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत में एफडीआई अंतरप्रवाह में वर्ष 2006-07 के बाद से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2005-06 के 8.9 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2007-08 में सकल एफडीआई 34.4 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। राजकोषीय वर्ष 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में सकल एफडीआई 27.5 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। एफडीआई अंतरप्रवाह में वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, बैंकिंग सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी आदि कई आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं।

## आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 की विशेषताएं

- प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी। वर्ष 2008-09 में प्रतिव्यक्ति आय 17,334 रुपये दर्ज़ की गई, जबकि 2007-08 में यह 17,097 थी।
- वर्ष 2008-09 के दौरान चावल का 993.7 लाख टन, गेहूं का 776.3 लाख टन, दालों का 141.8 लाख टन, तिलहन का 281 लाख टन और गन्ने का 2,892 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है।
- कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट और तैयार इस्पात में 2008-09 के दौरान 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रारंभिक चरण में वैश्विक वित्तीय संकट का अधिक प्रभाव नहीं।
- वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बढ़ा।
- मार्च 2009 के अंत में 252 अरब अमरीकी डॉलर की राशि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में थी।
- वर्ष 2008-09 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि में 1.6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज़ की गई।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के विकास पर विशेष ध्यान।
- आधारभूत ढांचे के विकास में सुधार।
- निर्धनता दर में गिरावट लेकिन कुपोषण की स्थिति गंभीर।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) देश के 14 राज्यों के 312 चिह्नित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोज़गार के पांच करोड़ 80 लाख अवसर पैदा किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकीकृत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से एक रेलयात्री प्रणाली चलाए जाने का प्रस्ताव है।
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत अब तक 2.7 लाख से अधिक नये स्कूल खोले गए।
- पूंजी बाज़ार में पुनर्जीवन के संकेत। ❑

**विदेशी मुद्रा भंडार :** भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर ने मार्च 1991 के अंत में 5.8 करोड़ अमरीकी डॉलर के न्यूनतम स्तर को छुआ था, जबकि मई के अंत में यह 314.6 करोड़ अमरीकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। इसके पश्चात प्रारक्षित (रिज़र्व्ड) भंडार नवंबर 2008 के अंत में गिरकर 247.7 करोड़ अमरीकी डॉलर और फिर मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 252 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। भारत के विदेशी भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), सोना, एसडीआर और आईएमएफ में प्रारक्षित ह्रास स्थिति (आरटीपी) शामिल है।

**विदेशी ऋण में वृद्धि :** भारत का विदेशी ऋण मार्च 2008 के अंत में 224.77 करोड़ अमरीकी डॉलर था जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 53.44 करोड़ अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान दिसंबर 2008 तक कुल विदेशी ऋण बढ़कर 230.8 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया।

**उद्योग और अवसंरचना :** औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 2007-08 की पहली छमाही में धीमी होनी शुरू हो गई थी, कुल मिलाकर वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि 8.5 प्रतिशत के उच्चस्तर पर बनी रही। वर्ष 2008-09 के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक तीव्र मंदी की ओर संकेत करता है जिसमें 2.4 प्रतिशत वृद्धि आंकी गई है।

**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां :** वर्ष 2008-09 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि में (संशोधित अनुमान के अनुसार) 1.6 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 12.2 प्रतिशत था। देश के रोज़गार में भी लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा इसी का था। कृषि वृद्धि में तेज़ी से उतार-चढ़ाव आए हैं तथा यह प्रकृति की अनिश्चितता के कारण भी असुरक्षित है।

**प्रतिव्यक्ति आय, उपभोग और पूंजी निर्माण:** आर्थिक समीक्षा के आकलन के अनुसार वर्ष 2008-09 में सतत बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अर्थ में मानी गई प्रतिव्यक्ति आय 17,344 रुपये थी जबकि 2007-08 में यह 17,097 रुपये थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में 6.4 प्रतिशत से बढ़कर सरकारी क्षेत्र में सकल निवेश दर 2007-08 में 9.1 प्रतिशत हो गई जबकि निजी क्षेत्र में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 28.7 प्रतिशत हो गई।

**कृषि उत्पादन :** लगातार तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) से अनाज उत्पादन में एक करोड़ टन से अधिक की औसत वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में कुल अनाज उत्पादन 2,173 लाख टन हुआ जबकि 2007-08 में बढ़कर 2307.08 लाख टन हो गया। अनुमान के अनुसार 2008-09 में 2,298.5 लाख टन अनाज उत्पादन होने की संभावना है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश के 14 राज्यों के 312 चिह्नित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें चावल मिशन 14 राज्यों के 136 जिलों, गेहूं मिशन नौ राज्यों के 141 जिलों, दलहन मिशन 14 राज्यों के 171 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें चावल और गेहूं मिशन के अधीन अन्य सुविधाओं के अलावा आईसीआरआईएसटी

प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परियोजना प्रबंधन दल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8,813.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

**कृषि ऋण में वृद्धि :** वर्ष 2008-09 में सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों ने 2,64,455 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए, जबकि लक्ष्य 2,80,000 करोड़ रुपये था। वर्ष 2008-09 में (फरवरी 2009 तक) 26,828 करोड़ रुपये की सीमा वाले 47.26 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

**नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बुनियादी अधिकार :** 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 5, 21क को शामिल किया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना बुनियादी अधिकार बना दिया गया है। सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों का योगदान रहेगा। सरकार का यह भी मानना है कि शिक्षा में वैश्विक स्तर की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के साथ-साथ व्यावसायिक विनियमों द्वारा अफसरशाही नियंत्रणों को प्रतिस्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

**निर्धनता दर में कमी, लेकिन कुपोषण की स्थिति गंभीर :** सरकार ने कहा है कि निर्धनता की दर में काफी गिरावट आई है लेकिन कुपोषण की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की मात्रा 45.9 प्रतिशत है, जो 1988-89 में 47 प्रतिशत थी।

सरकार का मानना है कि कुपोषण की समस्या सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है क्योंकि एक महत्वपूर्ण आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में यह सबसे बड़ी बाधा है।

**विकास दर में वृद्धि :** आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2003-04 के आसपास शुरू हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तिमूलक विकास दर में वृद्धि घरेलू निवेश और बचत दर में हुए महत्वपूर्ण सुधारों के कारण संभव हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मई 2009 के आंकड़ों के अनुसार 32 में से 27 राज्यों और संघ राज्यों ने अपने निष्पादन में सुधार किया है। निवेश दर 2002-03 के 25.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 39 प्रतिशत से अधिक हो गई। अखिल भारतीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धिदर 2000-01 से 2003-04 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 से 2007-08 में 8.9 प्रतिशत हो गई।

**आधारभूत ढांचे के विकास में सुधार :** सरकार ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से न केवल वृद्धि हेतु आपूर्ति के मार्ग में आने वाली अड़चनें दूर होंगी बल्कि इससे अपेक्षित मांग की वृद्धि हेतु प्रोत्साहन भी मिलेगा। राजमार्गों का तीव्र गति से निर्माण करने से मानव और सामग्री दोनों की संपूर्ण देश में आवाजाही सरल और सुगम हो जाएगी।

शहरी अवसंरचना के संबंध में सरकार का मानना है कि शहरी आधारभूत संरचना पर आबादी के निरंतर बढ़ते हुए दबाव से पेयजल आपूर्ति, मल व्ययन, कचरा प्रबंधन तथा शहरी प्रबंधन सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।

**चुनौतियां और दृष्टिकोण :** आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि सरकार ने समावेशी विकास की कार्यनीति को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से अनेक कार्यक्रमों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र और जनता रहे हैं। इस संदर्भ में भारत निर्माण और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का जिक्र किया गया है, जो ग्रामीण तथा शहरी ग़रीबों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना में ग्रामीण ग़रीबों को अधिकार के रूप में रोज़गार की मांग करने को संवैधानिक अधिकार मिल चुका है।

आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति से शुरुआत करते हुए इसके दस अध्यायों में चुनौतियां, नीतिगत अनुक्रिया और मध्यावधि संभावनाएं, राजकोषीय घटनाक्रम और लोकवित्त, क़ीमतें और मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय मध्यस्थता और बाज़ार, वैदेशिक क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, उद्योग, ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, संचार तथा मानव विकास, निर्धनता और जन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 की समीक्षा की गई है, साथ ही चुनौतियों एवं दृष्टिकोण को भी दर्शाया गया है।

**विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा :** वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 1990 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006 में 1.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1990 में विश्वव्यापी निर्यात 33,03,563 लाख अमरीकी डॉलर की तुलना में भारत का निर्यात 18,143 लाख अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2006 में बढ़कर 1,18,87,549 लाख अमरीकी डॉलर हो गया जिसमें भारतीय निर्यात 12,61,260 लाख अमरीकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2008-09 में 5,84,702.8 करोड़ रुपये का निर्यात भारत ने किया। ❑

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)**

## मुद्रास्फीति रोकने के उपाय

सरकार ने राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन के अलावा आवश्यक वस्तुओं के आयात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने, टैरिफ और व्यापार नीतियों के ज़रिये कारगर आपूर्ति मांग प्रबंधन जैसे अनेक उपाय किए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2007-08 के विपणन मौसम के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
- वर्ष 2007-08 के विपणन मौसम के लिए धान की विभिन्न श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 645-880 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। साथ में 50-100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस।
- वर्ष 2008-09 में गेहूं की रिकॉर्ड 226.8 लाख टन की खरीद।
- घरेलू अनाज भंडार में कमी को रोकने के लिए गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक। गेहूं के निर्यात पर फरवरी 2007 से लगी रोक अब तक ज़ारी।
- नवंबर 2008 से मक्खन और घी पर से सीमा शुल्क कम करके 30 प्रतिशत किया और कच्चे गोंद युक्त सोयाबीन तेल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया। शून्य शुल्क पर खांड (कच्ची चीनी) का आयात अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत करने की अनुमति। सरकारी अभिकरणों को 10 लाख टन सफेद चीनी के नि:शुल्क आयात की इज़ाज़त। ओजीएल के तहत खांड के आयात पर निर्यात संबंधी बाध्यताएं समाप्त की गईं। खुले बाज़ार में बिक्री के लिए अधिक चीनी ज़ारी की गई। ❑

# बजट शब्दावली

बजट भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें समझने में मुश्किल आती है। ऐसे शब्दों को जानकर आप सही मायने में बजट का मर्म समझ सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी दे रहे हैं जिनसे आप भी बजट की पहेली को सुलझा सकते हैं।

**बजट**– आगामी वर्ष के लिये सरकारी आय-व्यय के अनुमानित आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरा।

**संतुलित बजट**– सरकार द्वारा बढ़ते हुए व्ययों पर रोक लगाते हुए केवल उतना ही धन व्यय करने की नीति का अपनाया जाना जितनी उसकी कुल आय होती है।

**घाटे का बजट**– ऐसा बजट जिसमें कुल मांग में वृद्धि करके देश में आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से सरकारी व्यय करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है।

**आधिक्य का बजट**– कुल मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से विशेष रूप में मुद्रास्फीति के समय में सरकार द्वारा सरकार की आय को उसके व्यय की तुलना में अधिक रखा जाना।

**परफॉरमेंस बजट**– ऐसी बजट प्रक्रिया जिसका आधार सरकार के कार्यक्रम, क्रियाएं एवं योजनाएं होती हैं तथा जिसमें सरकारी व्यय का विश्लेषण मौद्रिक तथा पारिमाणिक दोनों प्रकार से किया जाता है।

**जीरोबेस बजट**– ऐसी बजट प्रक्रिया जिसमें प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद पर गंभीरतापूर्वक विचार तथा नये सिरे से मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है मानों वह बिल्कुल नयी मद हो और निर्णय का आधार लागत लाभ तथा लागत प्रभाविकता होती है।

**अंतरिम बजट**– जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे वर्ष हेतु आय-व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीनों हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये आय-व्यय के प्रावधान किए जाते हैं।

**बजट घाटा**– किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा राजस्व के रूप में प्राप्त आय और किए गए व्यय का अंतर।

**पूंजीगत आय**– बाज़ार से, रिज़र्व बैंक से तथा विदेशी संस्थाओं से ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त धनराशि आदि।

**पूंजीगत व्यय**– भूमि, भवन, मशीनों जैसे परिसंपत्तियों पर व्यय, शेयर-ऋणपत्रों में निवेश, राज्य सरकारों व अन्य संस्थाओं को दिया गया ऋण आदि।

**राजस्व व्यय**– कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय।

**कर राजस्व**– सरकार को निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि से प्राप्त होने वाली आय।

**राजस्व आय**– सरकार के कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व की प्राप्तियों का योग।

**योजनागत व्यय**– केंद्रीय योजना (पंचवर्षीय/वार्षिक) पर होने वाला समस्त सरकारी व्यय।

**गैर-योजना व्यय**– सरकार की ऋण अदायगी, पेंशन भुगतान, राज्यों को किया जाना वाला वैधानिक अंतरण, सुरक्षा, विदेशी मामलों, नोट-सिक्के बनाने, पूर्व निर्मित परिसंपत्तियों का रखरखाव, सामाजिक सुविधाओं को पूर्ववत रखने आदि पर किया जाने वाला व्यय।

**वित्त विधेयक**– वित्तमंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ-साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव जिससे नया कर लगाने, पुराने करों की दरें घटाने-बढ़ाने, हटाने अथवा अन्य संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

**विनियोग बिल**– लोकसभा में बहस के बाद बजट मांगों की स्वीकृति के उपरांत वित्तमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत एक प्रस्ताव जिसके पास होने के बाद ही सरकार को ख़र्च करने का औपचारिक अधिकार प्राप्त होता है।

**मनी बिल**– कर लगाने, समाप्त करने या बदलने, समेकित निधि तथा आकस्मिकता निधि का संरक्षण, उनमें पैसा डालना या निकालना, समेकित निधि में से धन का विनियोग जैसे किसी भी विषय से संबंधित प्रस्ताव।

**पूरक मांगें**– लोकसभा द्वारा पास किए गए बजट की राशि कम पड़ जाने पर अथवा किसी नये कार्यक्रम को शुरू करने हेतु अतिरिक्त धन की मांग।

**ऋण अनुदान (वोट ऑन क्रेडिट)**– राष्ट्रीय संकट जैसे समय में धन की स्वीकृति का प्रस्ताव जिसके बारे में सरकार विवरण अथवा तर्क देना उचित नहीं समझती।

**लेखा-अनुदान (वोट ऑन एकाउंट)**– सरकारी ख़र्चों को चलाने के लिए अस्थायी रूप से प्रदत्त ऐसी वित्तीय स्वीकृति जिसे सरकार समय (1 अप्रैल के बाद) पर बजट पास न करा पाने के कारण स्वीकृत कराती है।

**कटौती प्रस्ताव (कट-मोशन)**– प्रस्तावित मांग को अधिक बताते हुए उसमें कमी करने का सुझाव जो नीति संबंधी कटौती (नीति की आलोचना विषयक), मितव्ययिता संबंधी कटौती

(सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता विषयक) अथवा सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव (सरकारी निंदा का विषय) हो सकता है।

**मतदान अयोग्य मदें**– भारत की समेकित निधि में से व्यय किए जाने वाली ऐसे ख़र्चों की मदें जिनमें राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल ऑफ इंडिया आदि के वेतन-भत्ते आदि शामिल होते हैं। इसके संबंध में लोकसभा के सम्मुख मांगें नहीं पेश की जातीं।

**अवमूल्यन**- भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक किए जाने के उद्देश्य से किसी देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में दाम का घटाया जाना।

**भुगतान संतुलन**– विदेशी सरकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ सरकार के चालू खाते से और पूंजी खाते से लेन-देन का लेखा-जोखा।

**चालू खाता**– वस्तुओं के आयात-निर्यात तथा सेवाओं (बैंकिंग, पर्यटन, जहाज़रानी, ऋण अदायगी आदि) के आयात-निर्यात का लेखा-जोखा।

**पूंजी खाता**– विदेशी सरकारों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण का लेखा-जोखा।

**प्रत्यक्ष कर**– वह सरकारी कर जो व्यक्तियों पर या उनकी आय व संपत्ति पर लगाए जाते हैं जैसे– आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर।

**अप्रत्यक्ष कर**– वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिभार के रूप में लिया गया कर जो व्यक्तियों, संस्थाओं या समूहों द्वारा सरकार को अंतरित किया जाता है जैसे– उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात कर, मनोरंजन कर आदि।

**निगम कर**– सभी कंपनियों एवं निगमित संगठनों के लाभांश वितरण से पूर्व ब्याज एवं अंतर्देशीय राजस्व भत्ते को छोड़कर बचे लाभ पर पाया जाने वाला कर।

**उपहार कर**– किसी दूसरे को दी जा चुकी किसी ऐसी संपत्ति पर सरकार द्वारा लगाई गई लेवी।

**आयकर**– एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की संपूर्ण आय पर लगाया जाने वाला कर।

**बिक्री कर**– उपभोक्ता से वसूला जाने वाला वह कर जो किसी सामान की बिक्री के मूल्य पर लगाया जाता है।

**आंतरिक ऋण**– सरकार द्वारा देश की सीमाओं के अंदर से प्राप्त किया गया ऋण।

**बाह्य ऋण**– विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋण।

**लोक ऋण**– विकास योजनाओं हेतु कर राजस्व से प्राप्त संसाधनों के कम पड़ जाने पर अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋण।

**ऋणपत्र**– लिमिटेड कंपनियों द्वारा लंबी अवधि के लिये निर्धारित ब्याज पर ऋण प्राप्त करने हेतु जारी प्रपत्र।

**बाज़ार ऋण**– सरकार द्वारा जनता से प्राप्त किया गया ऋण।

**ट्रेजरी बिल**– सामान्यतया बजट घाटा पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए 13 सप्ताह की अल्प अवधि में बैंक से प्राप्त ऋण।

**आकस्मिकता निधि**– राष्ट्रपति द्वारा अत्यावश्यक अप्रत्याशित ख़र्चों को बिना संसद की अनुमति के वहन करने के लिए कोष, जिसे ख़र्च करने के बाद संसद की अनुमति अनिवार्य होती है।

**समेकित निधि**– सरकार के सभी ख़र्चों को वहन करने हेतु प्रयुक्त निधि जिसमें राजस्व, ऋण और ऋण अदायगी सम्मिलित रहते हैं।

**सेनवैट**– सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स में वैट का क्षेत्र अधिक व्यापक करते हुए किसी वस्तु के मूल्य में सभी निवेशों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग करों की दरों के स्थान पर एक दर निर्धारित की जाती है।

**मोड वैट**– मोडीफाइड वैल्यू एडेड टैक्स निर्धारण में बाज़ार में बिकने हेतु अंतिम रूप से तैयार वस्तु के कुल कर में से उसके उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न इनपुटों पर लिया गया कर घटा दिया जाता है।

**कंसॉलिडेटेड फंड**– यह सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के ऋण से हासिल होने वाली रकम का जोड़ होता है। राज्यों के सभी ख़र्च इसी फंड के ज़रिये पूरे होते हैं।

**आपातकालीन कोष**– सभी प्रकार की आपातकालीन ज़रूरतों को इस 500 करोड़ रुपये के फंड से पूरा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी होती है। इस फंड से निकाली गई राशि को कंसॉलिडेटेड फंड के ज़रिये जमा किया जाता है।

**लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट)**– जब इस एकाउंट की बात होती है तो इसमें सरकार की भूमिका एक बैंकर से ज्यादा नहीं होती। यह पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की तरह आम लोगों के पैसे के आधार पर तैयार होता है।

**फ्रिंज बेनेफिट टैक्स (एफबीटी)**– यहां कुछ भी मुफ़्त में नहीं मिलता है। अगर आप जैम के साथ ब्रेड और बटर भी चाहते हैं तो आपको ज्यादा भुगतान करना होगा। 2005-06 के बजट में सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं पर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया। इनको फ्रिंज बेनेफिट के नाम से जाना जाता है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को क्लब की सदस्यता देकर उसे 'साधारण बिज़नेस ख़र्च' की बात कहकर टैक्स के भुगतान से नहीं बच सकती थी। इस बजट में उस कर को समाप्त कर दिया गया है।

**सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एटीटी)**– शेयर में निवेश करने पर आपको कुछ राशि बतौर कर चुकानी पड़ती है। शेयर या म्यूचुअल फंड के खरीद-बिक्री में आप जितनी राशि चुकाते हैं या फिर हासिल करते हैं उसका कुछ हिस्सा कर के तौर पर देना होता है। इसे ही एसटीटी कहते हैं। साल 2004-05 में सरकार ने एक साल से ज्यादा अवधि तक रखे गए शेयरों की बिक्री से हुए मुनाफ़े पर लगने वाले कर को हटा दिया था।

**सीमा शुल्क**– विदेश से होने वाली किसी भी खरीदारी पर शुल्क देना पड़ता है। इस तरह से सरकार आयात पर कर लगाती है। इससे सरकार को मुख्य तौर पर दो तरह का फायदा होता है। पहला, इसके ख़जाने में पैसा आता है और दूसरा सरकार घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करती है।

**केंद्रीय उत्पाद शुल्क**– ऐसा कोई भी उत्पाद जोकि देश की सीमा के भीतर बना हो, उससे भी सरकार शुल्क वसूलती है। इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है।

**सेवाकर**– बाज़ार में मौजूद कई तरह की सेवाओं, जैसे– मोबाइल, सैलून, कोचिंग वगैरह के बदले में कुछ मात्रा में शुल्क देना पड़ता है। सरकार इन सेवाओं के बदले सेवाकर वसूलती है। सेवाकर की जद में अनेक तरह की सेवाएं आती हैं।

**अधिभार**– 10 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी वाले लोगों पर कर दायित्व का 10 फीसदी अतिरिक्त अधिभार के तौर पर होगा। एक करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियां इस अधिभार से मुक्त हैं।

**वैट और जीएसटी**– तमाम चर्चाओं के बाद सरकार ने कराधान का ज्यादा पारदर्शी रूप वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लागू किया है। यह कर उत्पादित माल की क़ीमत और माल तैयार करने में लगने वाली लागत के बीच के अंतर पर आधारित है। इसका मक़सद फर्मों के माल तैयार करने में किए गए मूल्यवर्द्धन पर भी कर लगाए जाने का है न कि पूरी लागत पर। इससे वैट के ज़रिये उत्पाद पर लगने वाले तमाम करों के झंझट से मुक्ति मिलती है क्योंकि हर उत्पाद कई अलग-अलग चरणों में तैयार होता है। दूसरी ओर, जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स में किसी सामान पर वहन होने वाले सभी तरह के कर शामिल होंगे।

**गैर-कर राजस्व**– राज्य सरकारों, सार्वजनिक, संस्थाओं, उद्यमों को दिए गए कर्ज़ पर सरकार को ब्याज मिलता है। इस मद से सरकार को बेहद ज़रूरी प्राप्तियां हासिल होती हैं। इसके अलावा सरकार को सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश और मुनाफ़े के तौर पर रक़म भी मिलती है। कई तरह की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के बदले में सरकार की कमाई होती है। इसमें से रेलवे एकमात्र अलग विभाग है, हालांकि इसके सभी ख़र्च और प्राप्तियां एक कंसॉलिडेटेड फंड के ज़रिये होती हैं। रेलवे अपना बजट इसी वजह से अलग से प्रस्तुती करता है। सरकार को रेलवे से तगड़ी आमदनी होती है। इस तरह से देखा जाए तो सरकार को कई मदों से पूंजी की प्राप्ति होती है।

**सार्वजनिक कर्ज़**– सार्वजनिक कर्ज़ जनता द्वारा लिया कर्ज़ नहीं है। बजट में पूरे साल होने वाली उधारियों (सार्वजनिक कर्ज़ प्राप्तियां) और भुगतान (सार्वजनिक कर्ज़ वितरण) को सार्वजनिक कर्ज़ में डाला जाता है। सार्वजनिक कर्ज़ को दो हिस्सों, आंतरिक कर्ज़ (देश में ली गई उधारियां) और बाह्य कर्ज़ (गैर-भारतीय सूत्रों से लिया गया कर्ज़) में बांटा जाता है। आंतरिक कर्ज़ में ट्रेजरी बिल, एमएसएस और छोटी बचत के बदले जारी की गई सिक्योरिटीज़ आती हैं।

**ट्रेज़री बिल**– ये बांड होते हैं जिनकी परिपक्वता एक साल से कम होती है। इन्हें प्राप्तियों और ख़र्च में पैदा हुए अल्पावधि असंतुलन को दूर करने के लिए ज़ारी किया जाता है। दीर्घावधि परिपक्वता वाले बांडों को डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है।

**राजकोषीय घाटा**– सरकार को इसकी वजह से मुश्किलें पेश आती हैं। यह अक्सर उसके अनुमान से ज्यादा होता है। इसके बाद सरकार को अधिक धन के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। घाटा कब होता है– जब सरकार की गैर-उधारी प्राप्तियां– राजस्व प्राप्तियां, सरकार को मिलने वाला कर्ज़ का भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां और विनिवेश से प्राप्त होने वाली रकम ख़र्च से कम होती है। गैर-उधारी प्राप्तियों और कुल ख़र्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है।

**राजस्व घाटा**– यह केवल घाटा होने की वजह से ही महत्वूपर्ण नहीं है, यह राजस्व घाटा है इसलिए यह एक बड़ा संकेत है। राजस्व खाते के सभी ख़र्च आदर्श स्थिति में प्राप्तियों से पूरे होने चाहिए। राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार पर कर्ज़ का बोझ होगा।

**प्राथमिक घाटा**– यह एक ऐसा प्राथमिक संकेत है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति की निगाह रहती है। जब यह घटता है तो इसका मतलब है कि हमारी राजकोषीय सेहत ज्यादा ख़राब नहीं है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए उधार ब्याज के भुगतान को घटाने से प्राप्त होने वाला आंकड़ा होता है। यह घाटे का मूल आंकड़ा है।

**घाटा और जीडीपी**– व्यापक आर्थिक परिदृश्य में इनके महत्व को समझना जरूरी है। बजट में घाटे को जीडीपी के फीसदी के रूप में दिखाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में इसका आकार छोटा है तो यह चिंताजनक नहीं है। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए यह ज़रूरी है कि सामान्य ख़र्चों के लिए सरकार की निर्भरता कर्ज़ पर न हो।

**वित्तीय समावेशन**– इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों के पास बैंक में ख़ाता हो और सभी वित्तीय संस्थान जवाबदेह हों। इसमें यह सुनिश्चित किया जाना है कि आम लोगों को समय पर सस्ता लोन मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक बैंकों के तामझाम से उनके मन मे आतंक न हो। लेकिन यह मामला शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाया है। ❑

## वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बढ़ा

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पूंजी प्रवाह का सर्वाधिक आकर्षक माध्यम माना जाता है। इससे न सिर्फ़ अद्यतन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलता है बल्कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह की महत्ता बढ़ी है। उच्च अंतर्प्रवाह से यह संकेत मिला है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक स्थल है। इसके पीछे उदारीकृत निवेश माहौल, आर्थिक विकास के अवसरों हेतु स्थिर तथा ठोस आर्थिक एवं राजनीतिक आधार है। विदेशी पूंजी निवेश भारतीय कॉरपोरेट की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को प्रदर्शित करता है। इसलिए एफडीआई के दोहरे प्रवाह का आशय है कि जहां एक ओर विश्व बाज़ार संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कंपनियां विदेशों में तेज़ी से अधिग्रहणों की बराबर प्रतीक्षा कर रही हैं।

नीतियों, बेहतर आधारभूत संरचना, उर्जस्वी वित्तीय क्षेत्रों में सुधारा से भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह में वर्ष 2006-07 के बाद से बढ़ोतरी हुई है। सकल आधार पर एफडीआई अंतर्प्रवाह 2005-06 के 8.9 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2007-08 में 34.4 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। राजकोषीय वर्ष 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में सकल एफडीआई 27.5 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। एफडीआई अंतर्प्रवाह में वित्तीय सेवाओं विनिर्माण, बैंकिंग सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा निर्माण जैसी कई आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। ❑

# सितारों से आगे पहुंचने की तमन्ना

*एक नवप्रवर्तक का कार्य तो बस काम करके दिखाना है: यह तो वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक समुदाय का काम है कि वे उसकी व्याख्या करें और वह कार्य कैसे हो रहा है, इसके लिये वैज्ञानिक सिद्धांतों का निरुपण करें। यह कहना है मणिहार शर्मा का, जोकि आला दर्ज़े के मिस्त्री हैं। मणिहार जैसे सरहदों को तोड़ कर प्रसिद्धि हासिल करने वाले कारीगरों की सृजनशीलता के कारण ही मणिपुर प्राय: चर्चा में रहता है*

ऑटो रिक्शा और छोटा-मोटा रेस्तरां चलाने से लेकर अपने डॉक्टर मित्र के सहायक के तौर पर काम करने के बाद मणिहार शर्मा अब एक ऐसे नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित हो गए हैं, जिनका पूरा समय नयी-नयी चीज़ों की रचना में ही बीतता है। उनकी जन्मजात सृजनात्मकता, जीवकोपार्जन के लिए दिन-प्रतिदिन होने वाले सतत संघर्ष से किंचित भी धूमिल नहीं हुई है। समाज और उनके अपने परिवार के लोग ही इस बात के लिये अक्सर उनका मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आज की स्वार्थी दुनिया के अनुकूल नहीं हैं वे; क्योंकि उनमें व्यावहारिकता बिल्कुल नहीं है।

उन्होंने आर्थिक समस्याओं के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक छोटी-सी स्थानीय कार्यशाला में एक मिस्त्री के रूप में काम करने लगे। कार्यशाला में बचे-खुचे कल-पुर्ज़ों से छोटी-छोटी मशीनों और खिलौनों को बनाते हुए उनका दिमाग भी चलता रहता। उनके मस्तिष्क में उथल-पुथल मची रहती। युवावस्था में ही उन्होंने छोटी गाड़ियों और अन्य इंजनों की मरम्मत और रखरखाव में महारत हासिल कर ली थी। इन सब बारीक़ियों और क़ारीगरी की प्रेरणा उन्हें अपने स्वर्गीय मिस्त्री उस्ताद (शिक्षक) से मिलती थी, जो बिना किसी परिष्कृत और बढ़िया उपकरणों एवं औज़ारों की मदद के ज़टिल और उन्नत मशीनों को सुधार दिया करते थे। मशीनों और यंत्रों के बारे में अपने इस गुरु से समय-समय पर सहज तौर पर मिलने वाली सलाह से मणिहार शर्मा की जानकारी बढ़ती रही जो आगे जाकर उनकी नवाचारी भावना की मेरुदंड बनी।

जब वे अपने डॉक्टर मित्र के साथ काम कर रहे थे, ओवर हेड टंकियों से ऊपर बह कर गिरने वाले पानी का दृश्य उनको सदैव व्यथित करता रहता, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को तो पीने का पानी लाने के लिये काफी दूरी तय करनी होती थी और यहां वही पानी बेक़ार बह रहा था। तब उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार करने के बारे में सोचना शुरू किया जो पानी और इंसानी ताक़त की बर्बादी को कम कर सके। शीघ्र ही उन्होंने अपने पहले अभिनव प्रयोग स्वचालित पंप ऑपरेटर मशीन पर काम करना शुरू कर दिया।

नया-नया रूप देकर पुराने उपकरणों और यंत्रों को सुधारने की धुन उन पर सवार थी। इसी उधेड़बुन में उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र की सहायकी का काम छोड़ दिया। परिवारजनों, मित्रों और हितैषियों ने बहुत मना किया पर उन पर तो नया कुछ कर गुज़रने की धुन सवार थी। पंप ऑपरेटर के एक अधकचरे नमूनों ने उनके मन को बड़ा बढ़ावा दिया, परंतु पैसे के अभाव ने उन्हें निराश कर दिया। प्रदर्शनियों में सराहना और प्रशंसा तो मिलती थी, परंतु इससे पैसे की समस्या नहीं हल हो पा रही थी। सौभाग्यवश, मणिपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के एक अधिकारी की सहायता से उन्हें अपने यंत्र का नमूना तैयार करने के लिए तकनीकी-उद्यमी उन्नयन कार्यक्रम (टीईपीवी) का लाभ मिला।

शुरुआती समस्या तो दूर हो गई थी, परंतु आगे और समस्या आने वाली थी। उन्हें जिन यांत्रिकी और विद्युतीय पुर्ज़ों की ज़रूरत थी, बाज़ार में वे उपलब्ध नहीं थे। उन्हें केवल थोक में, कोलकाता अथवा गुवाहाटी से ही ख़रीदा जा सकता था। महंगे कलपुर्ज़ों को राज्य के बाहर से न ख़रीद पाने की मज़बूरी के चलते उन्होंने प्लास्टिक के इन पुर्ज़ों का निर्माण ख़ुद ही शुरू कर दिया। प्रत्येक पुर्ज़े का सांचा तैयार करने में लाखों रुपये की ज़रूरत थी, जो वे ख़र्च नहीं कर सकते थे। इसलिए इस शुद्धतावादी और मितव्ययी नवाचारी ने पचास वर्ष से भी अधिक आयु में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईपीईटी) में प्लास्टिक मोल्डिंग के तीन माह के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। वे प्रशिक्षण पाने वाले सैकड़ों लोगों में से अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लिया।

चीज़ों को सही ढंग से करने की अपनी धुन के कारण वे शुरू में कई वर्षों तक हाथों से ही प्लास्टिक का सांचा तैयार करते रहे। उनके कठिन परिश्रम, लगन और धैर्य को देखते हुए सीपेट ने भी उन्हें ऐसे काम देने शुरू कर दिए जिन्हें मशीनों से नहीं किया जा सकता था। अपने पंप ऑपरेटर के लिए वे अब तक 30 से अधिक लकड़ी के सांचे तैयार कर चुके हैं। विद्युतीय पुर्ज़े को छोड़कर प्रत्येक पुर्ज़ा और हिस्सा उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वाले कलपुर्ज़ों को लगाने

के लिए सर्किट बोर्ड में सुराख करने के लिए उन्हें बरमे (ड्रिल) को काफी देर तक हाथ से पकड़े रहना पड़ता था। इससे बड़ी असुविधा होती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने पुराने ट्रांजिस्टर, मोटर और अन्य कल-पुर्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक सूक्ष्म बरमे (माइक्रो ड्रिल) का विकास किया।

पंप ऑपरेटर उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का द्योतक है, क्योंकि न केवल उसके सभी पुर्ज़े वर्षों की तपस्या के बाद हाथ से बनाए गए थे, बल्कि उनकी छोटी-सी कार्यशाला में लगे सभी उपकरणों का सुधार और पुननिर्माण भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया था। आत्मतुष्टि और अरुचि उन्हें छू तक नहीं गई थी। वे अपने मस्तिष्क और हाथों को तब तक विश्राम नहीं देते जब तक वे बनाई गई नवाचारी मशीनों के विभिन्न पुर्ज़ों की शुद्धता और गुणवत्ता से स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते। पंद्रह वर्षों के सतत संघर्ष के बाद उन्होंने पंप ऑपरेटर मशीन का निर्माण पूरा करने में सफलता पाई। उन्होंने उसके सात विभिन्न प्रकार विकसित किए।

**सामाजिक नवाचारी**

अपने बुरे से बुरे समय में भी वे दूसरे नवाचारियों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं रहे। जिनको भी उनकी मदद की ज़रूरत होती वे बिना किसी झिझक के उसकी सहायता करते। उन्होंने अपने डॉक्टर मित्रों की सहायता और उनके अस्पतालों के उपकरणों का सुधार कई बार किया। उन्होंने कई हताश लोगों की सहायता ऐसे प्लास्टिक कल-पुर्जों को तैयार कर की, जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं थे। इनमें फोटोकॉपी मशीन के गियर और ज़िम उपस्करों के पहिये जैसी चीज़ें शामिल हैं। घर में बने अपनी अस्थायी कार्यशाला में, जब वे किसी अभिनव प्रयोग में व्यस्त नहीं होते, अपने मित्रों, पड़ोसियों और संबंधियों की लाई हुई मशीनों को सुधारने में व्यस्त रहते हैं, या फिर छोटे-मोटे प्लास्टिक उपकरणों को तैयार करने में लगे होते हैं। प्राय: वे एक नज़र में ही मशीनों की गलती/समस्या को भांप लेते हैं। इसे वे ईश्वर की देन मानते हैं। अत: अपना रेडियो, टीवी, लाइटर, टार्च, टेबल घड़ी, छाता आदि ठीक कराने लाने वालों से तब तक कोई पैसा नहीं लेते, जब तक उसमें कोई पुर्ज़ा बदलना न हो।

हनी-बी नेटवर्क के एक अंग के रूप में उन्होंने नवप्रवर्तकों के लिए एक कार्यशाला का अयोजन किया। शुरू में तो उन्हें हिचकिचाहट हुई, परंतु बाद में इस बैठक के लिए मंडप (घर में स्थित धार्मिक स्थान) का उपयोग करने के लिए वे राज़ी हो गए। सभी नवप्रवर्तकों की मेज़बानी करते हुए वे गर्व और खुशी का अनुभव कर रहे थे। वे मणिपुर के अनेक नवप्रवर्तकों की सहायता करते रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के सचल पुर्ज़ों को प्लास्टिक के पुर्ज़ों से बदलकर मणिपुर की रीलिंग मशीन मैमू मूगा/इदी की तो शक्ल ही बदल दी है। उन्होंने सामग्री की लागत के अलावा इसके लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लिया।

एक ऐसी जगह जहां रिश्तेदारी और दोस्ती को अन्य अनेक चीज़ों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति को कभी बुरा नहीं माना जाता। एक बार तो वे अपने मित्र के भाई के अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं ले सके। वे काम में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें इसकी याद ही नहीं रही। अगले दिन जब उनका मित्र काम पर आया तो घंटों उनकी नयी मशीनों के बारे में बातें करता रहा। भाई की अंतिम यात्रा में शामिल न होने से उसे बुरा लगा या नहीं, इस बात का उनको आभास ही नहीं होने दिया।

उनके तीन बेटियां और एक बेटा है। उनकी एक बेटी नि:शक्त है। उनकी पत्नी एम.गीता देवी भी अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाकर और कशीदेकारी तथा सिलाई कर क़रीब 3,000 रुपये हर महीने कमा लेती हैं। मणिहार शर्मा नवाचारों और आविष्कारों से कोई निश्चित आय नहीं होती। शुरू में उन्हें इस बात की शिकायत रहती थी, परंतु अब तो वे उनका समर्थन और सराहना करने लगी हैं। उनके पड़ोसी भी पहले उन्हें दीवाना या पागल कहा करते थे, परंतु जब सरकारी अधिकारी उनके घर आने-जाने लगे और उन्हें सरकारी अनुदान मिला, तो उनकी क्षमता का अहसास सबको हुआ।

**नवाचारी क्रियाकलाप**

सन् 1960 के आसपास जब वह अविवाहित थे, उनके मन में एक ऐसे साइकिल रिक्शा का विचार आया, जिसमें 6-7 लोग बैठ सकते हों। परंतु उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पंप ऑपरेटर के विकास के बाद (नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में) उन्होंने पुन: उस पर विचार करना शुरू किया, परंतु तकनीकी उपकरणों और वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण वे इसे पूरा नहीं कर सके।

उनके तीन प्रमुख नवप्रवर्तनों- स्वचालित पंप ऑपरेटर, अभिनव ड्रायर (सुखाने वाला यंत्र) और धूपबत्ती/अगरबत्ती बनाने की मशीन को लोगों ने खूब पसंद किया है। वे अब तक सात पंप ऑपरेटर, तीन ड्रायर और 20 धूपबत्ती मशीन बेच चुके हैं। उनके उत्पादों का कोई प्रचार नहीं होता। मज़े की बात यह है कि उन्होंने अब तक किसी पेटेंट के लिए आवेदन नहीं किया है, क्योंकि उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है।

**स्वचालित पंप ऑपरेटर (एपीओ)**

उन्होंने घरेलू जल-प्रबंधन की एक ऐसी

सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई है जिसके उपयोग में कोई झंझट नहीं है। पंप में एक केंद्रीय नियंत्रण वाला पैनल इस्तेमाल किया गया है जो ओवरहेड जलाशय (टंकी) के पानी के निम्नतम स्तर तक पहुंचने के बाद स्वत: ही चालू हो जाता है और उसके भर जाने पर अपने आप ही बंद हो जाता है। यही सिद्धांत भूतल के जलाशय पर भी लागू होता है। इसमें तालाब, नदी, टंकी, पाइपलाइन सभी साधन शामिल हैं जिनमें पानी पंप करने वाले प्रणाली की ज़रूरत होती है। आवश्यकतानुसार यह पंप, नीचे की टंकी से ऊपरी टंकी में पानी भेज सकता है और ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली में।

**अभिनव ड्रायर**

यह अधिक कार्यकुशल यांत्रिकी वाली सुखाने की सरल-सी मशीन है। गर्म हवा को नीचे से सुखाने वाले कक्ष (चैंबर) में छोड़ा जाता है। इसके लिए सामान्य गर्म छड़ों और एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। सुखाने वाली ट्रे की प्रत्येक सतह एयर गाइड (वायु दिग्दर्शक) से जुड़ी होती है जो गर्म हवा का समान रूप से वितरण करती है। मशीन के ऊपरी कोने में लगा एक्जॉस्ट पंखा लगातार नमी को बाहर फेंकता रहता है। प्रारंभिक परीक्षणों से इस बात के संकेत मिले हैं कि फलों और सब्ज़ियों को तेज़ी से और एक समान रूप से सुखाने की यह बेहतर प्रक्रिया है। अतिरिक्त लाभ यह है कि मशीन सिंगल फेज़ बिज़ली से चलती है, जिसका तात्पर्य है कि इसे किसी भी घरेलू लाइन से जोड़ा जा सकता है। इसमें बिज़ली की खपत भी कम होती है। समान क्षमता वाला एक मानक ड्रायर 15,000 वाट पर चलता है, जबकि इस मशीन में केवल 6,000-8,000 वाट की खपत होती है।

**धूपबत्ती मशीन**

उनकी धर्मपत्नी परिवार के लिए धनोपार्जन करने के लिए हाथ से धूपबत्ती बनाया करती थी। उनकी तकलीफ़ों ने उन्हें धूपबत्ती बनाने वाली मशीन बनाने के लिए प्रेरित किया। हाथ से चलने वाले इस यंत्र में दो पत्तियां (ब्लेड) लगे होते हैं। एक से बांस की छोटी-छोटी खपच्चियां बनाई जाती हैं और दूसरे से छोटी-छोटी तीलियां। अलग-अलग आकार की तीलियां बनाने के लिए मल्टी ब्लेड (कई पत्तियों वाली) व्यवस्था होती है। दोनों ब्लेड एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के दोनों ओर जुड़े होते हैं। इस दक्ष और कार्यकुशल मशीन का मुख्य लाभ यह है कि यह अकेली मशीन है जिससे कच्चे और सूखे दोनों तरह के बांसों से तीलियां बनाई जा सकती हैं। दरअसल, सूखा बांस ज्यादा पसंद किया जाता है। धूप की गुणवत्ता अन्य किसी भी उपलब्ध धूप से बेहतर होती है, चाहे वह हाथ से बनी हो या मशीन से। साथ ही, बांस का अधिक से अधिक उपयोग होता है, बेकार नहीं होता।

मणिपुर भले ही देश की सामाजिक-आर्थिक चेतना के हाशिये पर हो, परंतु यह भारत की नवाचारी आत्मा के हृदय में बसा है। मणिहार शर्मा ने सिद्ध कर दिया है कि ज़मीनी स्तर पर जीवन में बदलाव लाने और आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने में मन की उग्रता ही प्रमुख शक्ति के रूप में काम करती है।

**उम्मीद अभी बाकी है**

मणिहार शर्मा की इच्छा है कि ऐसी छोटी-सी कार्यशाला हो, जिसमें वे नयी-नयी प्रकार की चीजें बना सकें। पुराने यंत्रों को आधुनिक संदर्भ में उपयोगी बना सकें। उनके अनेक नवप्रयोगों के उपयोग की भारी संभावनाएं हैं, किंतु एकमात्र बाधा उनको वाणिज्यिक रूप से सफल न बना पाना है। अपने नवप्रयोगों और नवाचारों के ज़रिये आरामदेह जीवन जीना उनकी इच्छा नहीं है; वे तो बस अपने परिवार का भरण-पोषण भर चाहते हैं। कभी-कभी इतनी परेशानियां आती हैं कि सब कुछ छोड़ देने का मन हो आता है। पर उनकी हठ-इच्छा और भावना अंतत: पुन: हावी हो जाती है और वे अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।

उनकी इच्छा है कि व्यापार का काम कोई और संभाल ले ताकि वे केवल अपने नवाचारी काम में जुटे रह सकें। दिन ढलते ही वे उसी कार्यशाला (वर्कशेड) में चले जाते हैं और बाकी समय अधूरे कार्यों को पूरा करने और अपने नवप्रयोगों को और अधिक परिष्कृत करने का प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है कि उनके पास जाने की और कोई जगह न हो, कुछ दूसरा विकल्प न हो, या यह भी हो सकता है कि उन्होंने किसी नये यंत्र के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता ख़ोज लिया हो, और आगे उम्मीद बाक़ी हो।

राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने इस तरह की अनेक कहानियों को अपने भागीदारों की सहायता से संकलित और दस्तावेज़ी रूप देने का काम हाथ में लिया है जिसमें लोगों ने अपनी और समाज की समस्याओं को हल करने का सफल प्रयास किया है। इन विचारों और नवाचारों को डाक से पोस्ट बॉक्स नं. 15051, अंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015 के पते पर अथवा ई-मेल से campaign@nifindia.org पर भेजा जा सकता है। विद्यार्थियों को विचारों/नवाचारों की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा इग्नाइट (IGNITE) '09 में शामिल होने के लिए उनसे 31 अगस्त, '09 तक अपने विचार/नवाचार भेजने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। ❑

## अनाज बैंक

# खाद्य सुरक्षा का संकल्प

● गोविंद शर्मा

आज़ादी के बाद से ही भूखमरी और ग़रीबी मिटाने का वायदा जनता से किया जा रहा है। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी कई नये-नये कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। '70 के दशक में ग़रीबी मिटाओ का नारा प्रमुखता से सारे देश में लगाया गया। मगर यह भी केवल नारा बनकर चारदीवारी के अंदर ही सिमटा रहा। ग़रीबों को इसकी छाया भी देखने को नहीं मिली। नतीज़ा हर वर्ष ग़रीबी और भूखमरी के कारण हज़ारों लोगों की जानें गईं।

खासकर दलित समुदायों के लोगों को भूखमरी का क्रूर रूप आज़ादी के बाद भी देखने को मज़बूर होना पड़ा। भूखमरी के शिकार लोगों के लिए आज़ादी का अर्थ क्या था, आज तक कोई भी समाजशास्त्री उसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं हो सका।

लेकिन 21वीं शताब्दी में भूख से मरने वाले हज़ारों दलित परिवारों ने सरकारी सहायता की आशा छोड़कर भूख से मुक्ति पाने का संकल्प ले लिया है और यह पूरा होगा, ऐसा इनके अनाज बैंक स्थापित करने के अभिनव प्रयास से पता चलता है। सरकारी अधिकारी भी इस प्रयास को आश्चर्यभरी नज़रों से देख रहे हैं। आखिर अनाज बैंक के नये प्रयोग का यथार्थ क्या है? देश के अधिकतर दलित मज़दूर के परिवारों में रोज़ मज़दूरी कर कमाने और उस कमाई से दोनों शाम खाने की परंपरा है। जिस दिन काम नहीं, उस दिन चूल्हा ठंढा रहता है। दलित परिवारों में आज भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि उन्हें सालों भर गांव में काम नहीं मिलता है। खासकर आश्विन और कार्तिक के महीने में उनके सामने भुखमरी की समस्या रहती है। ऐसे समय में अधिकांश दलित परिवार, कुछ विशेष टोली के लोग खाने के लिए किसानों, साहूकारों से ड्योढ़िया नियम पर चावल, धान, गेहूं आदि लाते हैं। यानी एक मन चावल के बदले उन्हें माघ-फागुन में डेढ़ मन चावल लौटाने पड़ते हैं। यह शोषण और मज़बूरी का फायदा उठाने का एक क्रूर किंतु प्रचलित जरिया है। इसका नतीज़ा यह होता है कि दलित परिवारों के लोग जो कमाते हैं, उसे ड्योढ़िया के कारण साहूकारों या बड़े किसानों के हवाले कर देते हैं। उनके घर पहले जैसा ही खाली रह जाते हैं। अगर उन्हें हर दिन काम मिला तो चूल्हें जलेंगे, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। आज भी अधिकांश परिवारों का यही हाल है।

पटना के विक्रम प्रखंड के मुसहर परिवार की कुछ महिलाओं ने इस समस्या पर विचार किया और एक समाधान निकाला। उन लोगों ने सोचा क्यों न रुपये-पैसे के बैंक की तरह अनाज का बैंक भी छोटे पैमाने पर शुरू करें और इससे अपने परिवार के लोगों को भूख से बचाएं। यह बहुत अच्छी और प्रगतिशील सोच थी। फिर पुरुषों ने भी इसे अपने लिए अच्छा समझा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, अनाज ख़रीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसे कौन चलाएगा, अनाज कहां रखा जाएगा आदि प्रश्न उठने लगे। एक दिन कुछ महिलाओं और पुरुषों ने विक्रम स्थित प्रगति ग्रामीण विकास समिति के समन्वयक उमेश कुमार जो समय-समय पर ग़रीबों के लिए जागरुकता अभियान चलाते थे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी संस्था के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित

किया करते थे, के पास गए और अपनी अनाज बैंक की योजना को उनके सामने रखा। उमेश सारी बातें सुनकर योजना से सहमत हो गए। अगले दिन उमेश ने पटना स्थित वंचितों के क्षेत्र में काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था 'एक्शन-एड' के अधिकारियों के सामने ये बातें रखीं। उन अधिकारियों को भी भूख मुक्त समाज बनाने की यह पहल समझ में आ गई और उन लोगों ने इसे कार्यान्वित करने में आर्थिक मदद करने का वादा किया।

कुछ ही दिनों के बाद वर्ष 2004 में एक्शन-एड ने विक्रम प्रखंड की दलित बस्तियों में अनाज बैंक की ख़ातिर अनाज ख़रीदने के लिए साढ़े सात हज़ार रुपये दिए। इस पैसे से चावल ख़रीदी गई। उसे टीन के चदरे के बने दो ड्रम में रखा गया। इस बीच इस प्रखंड के हैबसपुर की इंदु देवी, तेलपा की मनेर, सुदामी देवी, सुंदरपुर की चिंता देवी, चिहुटा की बिछिया देवी और बारा की कबुतरी देवी ने अपने-अपने टोले में अनाज बैंक की स्थापना की। आज दलित महिलाओं के प्रयास से इस प्रखंड के लगभग 30 टोलों में अनाज बैंक संचालित हैं। अनाज बैंकों का संचालन महिलाएं ही कर रही हैं। प्रगति ग्रामीण विकास समिति दुल्हिन बाज़ार और पास के पालीगंज प्रखंड में भी गठित हो गया है। अब यह संस्था भी प्रत्येक अनाज बैंक शाखा को 5 हज़ार रुपये अनाज ख़रीदने और 2 हज़ार रुपये कोठी के लिए दे रही है। अब हर अनाज बैंक के पास 5 से 15 क्विंटल तक अनाज संग्रहीत है। अनाज बैंक ने नियम बना दिया है कि एक बार में एक परिवार को ज़रूरत के अनुसार बैंक से कम से कम 5 किलोग्राम और बड़े परिवार को ज्यादा से ज्यादा 40 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। 5 किलोग्राम अनाज लेने वाले को 6 किलोग्राम और 40 किलोग्राम अनाज लेने वाले को 48 किलोग्राम अनाज बैंक को लौटाना होगा। अनाज बैंक से लेन-देन का सभी काम महिलाएं करती हैं। कटारी की शांति देवी, मोहम्मदपुर की चानमती देवी सहित उनके टोले की अन्य महिलाएं बताती हैं कि वे लोग अब अपने बाल-बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने गांव के महाजनों और बड़े किसानों के पास नहीं जाती हैं, बल्कि अपने टोले में संचालित अनाज बैंक से मामूली दर पर ज़रूरत के अनुसार अनाज लेती हैं।

अनाज बैंक अपने टोले के असहाय और अनाथ दलित परिवारों को मुफ़्त में अनाज देता है। इससे अनाज बैंक की लोकप्रियता और बढ़ रही है। कटारी अनाज बैंक की सचिव शांति देवी बताती हैं कि उनके बैंक में अभी 6 क्विंटल 80 किलोग्राम अनाज है। इसे टीन की चादरों से बनी कोठियों में जमा किया गया है। प्रगति ग्रामीण विकास समिति के समन्वयक उमेश कुमार बताते हैं कि चार वर्षों में अनाज बैंक का विस्तार तीन प्रखंडों के 60 दलित टोलों में हो चुका है। इससे लगभग 6 हज़ार दलित परिवार जुड़ चुके हैं और इतने दिनों में इन टोलों में एक भी दलित व्यक्ति भूख का शिकार नहीं हुआ है। यह पूछने पर कि आगे इसका कितना विस्तार होगा, श्री कुमार कहते हैं कि इस प्रयोग को हम अपनी संस्था की ओर से पटना जिले के सभी दलित टोलों में चलाना चाहते हैं। उहोंने बताया कि मनेर तेलपा अनाज बैंक से गांव के एक किसान ने भी अनाज लिया है।

इस तरह भुखमरी मिटाने और भूख मुक्त समाज बनाने का यह एक अभिनव प्रयोग है। भूख आज सबसे बड़ी समस्या है। इससे निबटने के लिए सरकार करोड़ों रुपये ख़र्च कर रही है। बावजूद इसके हर वर्ष लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। लेकिन दलित परिवारों ने अब अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं कदम उठा लिया है। अब एक बड़ी समस्या आसान लग रही है। सरकार का खाद्य सुरक्षा कानून बनने और लागू होने में भले विलंब हो जाए, विक्रम प्रखंड की दलित महिलाओं ने अपने लिए खाद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। ❑

**(लेखक पटना स्थित पत्रकार हैं**
**ई-मेलः** iconcommunications.patna@gmail.com)

## अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

**– वरिष्ठ संपादक**

संस्कृत की तैयारी हेतु समर्पित भारत का एकमात्र कटिबद्ध गौरवमय संस्थान

IAS **PANINI CLASSES** PCS

संस्कृत साहित्य में 2008 में कुल 10 अभ्यर्थियों का चयन के साथ आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र का

SEEMA TRIPATHI

PRANAV KUMAR

PAWAN KUMAR

M.S. Mina

IAS राहुल शर्मा
(प्रथम प्रयास) उम्र (21)
(AIR-88, CSE-08)

देश भर में द्वितीय पत्र में सर्वाधिक 204 अंक प्राप्त करने वाले M.S. Mina से प्रतिदिन कक्षा में मिलिये।

# संस्कृत साहित्य

द्वारा

## कैलाश बिहारी एवं एस. कुमार

### कक्षागत विशेषताएँ

- प्रारंभिक चरण से व्याकरण की संपूर्ण तैयारी।
- नियमित रूपेण संस्कृत अनुवाद का अभ्यास।
- संस्कृत-निबंध लेखन का आत्मनिष्ठ प्रयास।
- संस्कृत व्याख्या लेखन की वैज्ञानिक पद्धति।
- प्रतिखण्ड पृथक्-पृथक् साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का संशोधित अध्ययन सामग्री।
- अनदेखा पाठांश (Unseen Passage) का सतत् अभ्यास।
- संभावित बदलती प्रश्नों की प्रवृत्ति पर कक्षा में विशेष परिचर्चा।

नोटः संस्कृत अभ्यर्थी के परेशानियों को देखते हुए, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र (IAS) पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकें और निर्देशिका पुस्तिका (IAS Guide Line) "पाणिनि संस्थान" में उपलब्ध, अब बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं।

IAS
प्रातःकालीन नया बैच : 6.30 बजे
सायंकालीन नया बैच : 7.30 बजे

टेस्ट सीरीज प्रारम्भ 16 जुलाई।

स्पेशल बैच एवं क्रैस कोर्स
P.T Result के बाद

### अन्य कक्षाएँ

स्थापना वर्ष से ही NET/JRF & DSSSB में प्रतिवर्ष सफलता का सफर प्रारंभ...

प्रथम प्रयास में JRF-07 & DSSSB. TGT, SANSKRIT
संजीत कुमार झा

प्रथम प्रयास में JRF-2008
अमरजी झा

प्रथम प्रयास में JRF-08
शिखा गर्ग

प्रथम प्रयास में DSSSB-08
संदीप कुमार

DSSSB संस्कृत के लिए बैच प्रारंभ

DSSSB/PGT/TGT संभावित परीक्षा तिथि 11th Oct.'09

NET/JRF अगला बैच Sept. 09

वर्ष 2008 में DSSSB TGT Sanskrit में 100 से अधिक छात्रों का चयन

राज्य लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल बैच PT Result के एक सप्ताह बाद प्रारंभ

समयाभाव अथवा किसी कारणवश जो PANINI CLASSES में नहीं आ सकते, वे पत्राचार के माध्यम से नवीन अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए दिल्ली में भुगतान योग्य अपेक्षित राशि (6000/-) का बैंक ड्राफ्ट "MINI CHANDANI" के नाम भेजे। साथ ही दो फोटों एवं जन्म तिथि सहित पूरा पता।

A-18, (BASEMENT) Young Chamber, (Behind Batra Cinema), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 9

K.B.-09312100162, S.K.-09958122675, R.C.-09311724189

YH-8/09/5

# जी-8 का 35वां शिखर सम्मेलन

● सुरेश अवस्थी

इटली के आकिला शहर में हाल ही में (जुलाई 9-10) संपन्न जी-8 देशों का 35वां शिखर सम्मेलन इस अर्थ में उल्लेखनीय कहा जा सकता है कि इसमें मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद वैश्विक तपन की चुनौतियों का मुक़ाबला करने का संकल्प कुछ-कुछ वास्तविक-सा लगा। विश्व के 8 औद्योगिक देशों के समूह जी-8 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं। इस समूह ने जब महसूस किया कि वैश्विक समस्याओं को अकेले अपने दम पर हल नहीं किया जा सकता, तब समूह का विस्तार कर 'आउट रीच'-5 (ओ-5) को इससे जोड़ने का निर्णय लिया गया। 2003 से ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के समूह जी-5 को जी-8 की शिखर वार्ताओं में बुलाया जाने लगा। पूर्व की शिखर वार्ताओं में ओ-5 के देश अतिथि के रूप में ही भाग लिया करते थे। एक प्रकार से उनको दूसरे दर्ज़े का मुसाफ़िर माना जाता था। जी-5 देश इससे असंतुष्ट और कुछ सीमा तक अपमानित तक महसूस करते थे।

1973 के तेल और आर्थिक संकट से जी-8 समूह के गठन की नींव पड़ी। 1975 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति गिकार्ड डीस्टिंग ने विश्व के 6 संपन्न देशों की एक बैठक बुलाई, जिसमें शामिल होने वाले देश थे- जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमरीका और मेज़बान फ्रांस। तय हुआ कि इस तरह की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी और प्रत्येक देश बारी-बारी से बैठक की मेज़बानी करेगा। उस समय इसे जी-6 का नाम दिया गया। उसी वर्ष कनाडा के भी इस समूह में शामिल हो जाने के बाद से जी-7 कहा जाने लगा। 1998 में ब्रिटेन में हुए सम्मेलन में रूस भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम बदलकर जी-8 हो गया।

जी-8 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। शिखर सम्मेलन के पूर्व संबंधित देशों के विदेशमंत्री स्वास्थ्य, पर्यावरण, श्रम, न्याय, आतंकवाद, व्यापार आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। जी-8 के सदस्य नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए उनमें सहमति होनी ज़रूरी है। समूह के शिखर सम्मेलनों में अन्य देशों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाता रहा है। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी इन बैठकों में भाग लेते रहे हैं।

इटली में संपन्न 35वें शिखर सम्मेलन में कुछ नयी बातें देखने को मिलीं। विचारार्थ विषयों के अनुसार भागीदार देशों की संख्या बदलती रही। जी-8 के संस्थापक देशों के नेताओं की प्रारंभिक बैठक के बाद वार्ता के एजेंडे को व्यापक रूप दिया गया और भाग लेने वाले देशों का विस्तार किया गया। जी-8 और जी-5 के देशों की बैठक में मिस्र का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों का भी एक प्रतिनिधि सम्मेलन में शरीक हुआ।

मेज़बान इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्तस्कोनी ने वार्ता को आर्थिक संकट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, अफ्रीका और अन्य निर्धन देशों में विकास और क्षेत्रीय संकटों के समाधान पर केंद्रित करना चाहा। इटली और फ्रांस में अफ्रीकी प्रवासियों की समस्या काफी पेचीदा होती जा रही है। अतएव उनकी रुचि अफ्रीका में विकास को लेकर कुछ ज्यादा दिखाई देती है।

इससे पूर्व ट्रीस्टे में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान की घटनाएं छाई रहीं। मंत्रियों ने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुई हिंसा की निंदा की और ईरान को परमाणु कार्यक्रम के बारे में बातचीत का जो प्रस्ताव अमरीका ने दिया है उसका प्रत्युत्तर देने के लिये सितंबर तक का समय दिया। ओबामा प्रशासन और रूस के बीच हाल के दिनों में जो थोड़ा-सा सद्भाव का माहौल बना है, हो सकता है ईरान की अनुक्रिया में उससे कुछ मदद मिले। विदेश मंत्रियों ने परमाणु अप्रसार, समुद्र में लूटपाट करने वाले जल दस्युओं , अफ्रीका और उसकी क्षेत्रीय समस्याओं एवं संकट, उत्तरी कोरिया तथा पश्चिम एशिया से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी परस्पर विचारों का आदान-प्रदान किया। जी-8 देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थायित्व की समस्या के बारे में क्षेत्र के क़रीब 40 देशों और सहायता संगठनों से चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान में विश्वसनीय चुनाव का आह्वान किया जहां 20 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। विदेश मंत्रियों ने अफ़ीम के उत्पादन से हट कर वैधानिक ढंग से कृषि की वकालत कर तालिबान के प्रभाव को समाप्त करने पर ज़ोर दिया।

जैसी की अपेक्षा थी, जी-8+जी-5 देशों ने रुकी हुई दोहा व्यापार वार्ता को पुनः शुरू करने पर सहमति जताई। विश्व में छाई मंदी को देखते हुए संरक्षणवादी उपायों के ख़िलाफ़ चेतावनी दी गई। इसी वर्ष 24 सितंबर को पिट्सबर्ग में होने वाले जी-20 के शिखर सम्मेलन में आशा है कि कृषि सब्सिडी और अन्य जटिल मुद्दों पर जो मतभेद हैं उनमें कुछ कमी आ सकेगी।

इस बात की बड़ी आशा थी कि जी-8 सम्मेलन से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रयासों को कुछ गति मिलेगी। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन (डेनमार्क) में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अब कुछ ही समय रह गया है। हाल के दिनों में जो वैज्ञानिक अध्ययन सामने आए हैं उनसे यह स्पष्ट हो चला है कि यदि इस समस्या पर शीघ्र ही कदम नहीं उठाए गए तो विनाश का रास्ता आया समझो। परंतु देश के पश्चिमी क्षेत्र में अशांत स्थिति के कारण चीन के राष्ट्रपति हू चिन ताओ की इटली (आकिला)

में अनुपस्थिति के कारण जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उपलब्धि कुछ विशेष नहीं रही। परंतु राष्ट्रपति ओबामा का शताब्दी के मध्य तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 80 प्रतिशत की कटौती के इरादे की पुष्टि से आशा बनी है कि संपन्न देश अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बारे में विचार कर रहे हैं। श्री ओबामा ने ईंधन की बचत के लिए वाहनों से संबंधित कुछ कड़े उपायों पर प्रकाश डाला। साथ ही लक्षित निवेश से पर्यावरण संबंधी रोज़गार के अवसरों की संभावना भी बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री केविन रड ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर की घोषणा की, जिसे एक प्रगतिशील और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परंतु ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक ने जो 'जलवायु युद्ध' छेड़ने का आह्वान किया है, उसके लिए ये प्रयास अपर्याप्त दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक देशों ने 2020 के बाद उत्सर्जन में बड़ी कटौती का अभी तक कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है।वे इस जिम्मेदारी में भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को भी शरीक़ करना चाहते हैं, जो अपने वैकासिक लक्ष्यों के कारण वह सब नहीं कर सकते जोकि उनसे अपेक्षा की जा रही है। संपन्न देशों ने वैश्विक तपन में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का जो संकल्प व्यक्त किया है, वह कहीं एक पावन इच्छाभर न रह जाए, इसकी आशंका बनी हुई है। विकसित देशों पर उत्सर्जन में 80 प्रतिशत कमी लाने का जो दबाव है, वे इसे आसानी से स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा करने का अभी कोई कारण नज़र नहीं आता। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस संबंध में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का जो अंतरराष्ट्रीय दबाव है, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने पेरिस से लौटते हुए विमान में पत्रकारों से कहा कि भारत के दृष्टिकोण की पर्याप्त कद्र तो है, परंतु समर्थन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित और प्रमुख विकासशील देशों के समूह में भारत ही ऐसा देश है जहां प्रतिव्यक्ति सबसे कम (क़रीब एक टन ओईसीडी 2004 के आंकड़ों के अनुसार) कार्बन-डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जबकि अमरीका और कनाडा में ये 20 से 21 टन प्रतिव्यक्ति तक उत्सर्जन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उत्सर्जन नियंत्रण के लिए काम करने को तैयार है, परंतु इसके लिए जो स्वच्छ और सुगम प्रौद्योगिकी चाहिए, वह काफी ख़र्चीली है। संपन्न देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने के साथ-साथ उनको लागू करने के लिए आर्थिक मदद भी देनी चाहिए।

डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार आकिला शिखर सम्मेलन में, जिस दूसरे विषय ने सबका ध्यान आकर्षित किया वह था खाद्य सुरक्षा के तहत व्यापार के संरक्षणवाद का ख़तरा। धनी देशों के इस समूह ने विश्व में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बीस अरब डॉलर की सहायता देना मंजूर किया है। यह मदद विकासशील और ग़रीब देशों के किसानों को दी जाएगी। तेरह वर्ष पहले जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से रोम में पहला विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था, तभी से खाद्य सुरक्षा का सवाल वैश्विक मंचों पर उठता रहा है। उस सम्मेलन में 2015 तक दुनिया से भुखमरी हटाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। उसके बाद से पूरे विश्व में भूख से परेशान लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ी है। एक अध्ययन के अनुसार आज 80 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मज़बूर हैं। इनमें से अधिकांश संख्या अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देशों में निवास करती है। कुपोषण के आंकड़ों को यदि जोड़ लिया जाए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। परंतु आज प्रश्न यह है कि क्या जी-8 के ताज़ा फ़ैसले से दुनिया में भुखमरी कम होगी? सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक सहायता से समस्या हल नहीं होती। इसलिए स्वीकृत 20 अरब डॉलर के पैकेज़ को राहत पर ख़र्च करने के बज़ाय ग़रीब और विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। अनेक अफ्रीकी देशों में कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है। इस सहायता से इसमें कुछ वृद्धि हो सके तो यह एक अच्छा कदम कहा जाएगा। इसका एक पहलू यह भी है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित देशों की जनसंख्या के जीवनस्तर में भी सुधार आएगा, परंतु यह तभी संभव होगा जब इन देशों के किसानों को अपनी उपज की अच्छी क़ीमत मिले।

संपन्न और विकसित देश चाहते हैं कि कृषि का बाज़ार पूरी दुनिया के लिए ख़ोल दिया जाए। परंतु आकिला सम्मेलन में वे अपने पुराने रवैये पर ही कायम रहे कि वे अपनी निर्यात सब्सिडी में कोई कटौती नहीं करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए मदद करने के बज़ाय वे विश्व व्यापार में असंतुलन समाप्त करने को राज़ी हो जाएं तो एशिया और अफ्रीका के किसानों को इससे ज्यादा लाभ होगा। भारत ने विकसित देशों के साथ समझदारी बनाए रखने के इरादे से विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की रुकी पड़ी वार्ता को सफल बनाने का आश्वासन दे दिया है। परंतु विकसित देशों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बिगड़ते पर्यावरण के कारण मौसम में जो बदलाव आया है, उससे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा किस क़दर प्रभावित हुई है।

आकिला सम्मेलन का एक यथार्थ यह भी रहा कि संभवत: यह अंतिम जी-8 सम्मेलन साबित हो। इस सम्मेलन में यह बात स्वीकार कर ली गई कि जी-8 को अब जी-14 बनाना होगा। आमंत्रित 6 ऐसे देशों को भी इसमें स्थायी रूप से शामिल करना होगा जिनके बिना विश्व अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस तरह के संगठन, चाहे वे जी-8 कहलाएं या जी-14, कोई औपचारिक संगठन नहीं होते, परंतु उनका महत्व औपचारिक संगठनों से ज्यादा है। इन संगठनों में जो देश शामिल हैं, उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का लोहा सभी मानते हैं। उनके प्रभावक्षेत्र की व्यापकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जी-8 के विस्तार का एक तरीक़ा यह भी हो सकता है कि जी-20 को स्थायी रूप दे दिया जाए। परंतु इससे पहले से ही चल रहे मतभेद और भी पनप सकते हैं। विकसित और विकासशील देशों के हितों का टकराव, आसानी से समाप्त हो जाएगा ऐसा फिलहाल तो संभव नहीं लगता। इसके बजाय जी-14 अर्थात जी-8, आउट रीच-5 और आमंत्रित देश मिस्र को शामिल करके बनाया गया जी-14 वैश्विक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कहीं बेहतर होगा। इस संभावित जी-14 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कालातीत हो चुकी पांच सदस्यीय स्थायी समिति की जगह दे दी जाए तो संसार की इस सबसे बड़ी संस्था को वर्तमान बदलते परिवेश में और सार्थक एवं प्रासंगिक रूप दिया जा सकता है, जिसके बारे में सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। ❑

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)**

# येकातेरिनबर्ग में नये युग की शुरुआत

● सुमन तिवारी

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मध्य जून में रूस के ऐतिहासिक नगर येकातेरिनबर्ग में एक के बाद एक हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन (ब्रिक) देशों के समूह के शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। भारत ब्रिक का अभिन्न सदस्य है जबकि एससीओ का पर्यवेक्षक सदस्य। वर्ष 2001 में गठित क्षेत्रीय समूह एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं- रूस, चीन, कज़ाकिस्तान, तज़ाकिस्तान, किरगिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को इस समूह में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्ज़ा का मिला हुआ है। इससे पूर्व उसे शंघाई-5 के रूप में जाना जाता था। तब इसमें रूस और चीन के अलावा मध्य एशिया के तीन देश ही शामिल थे। शंघाई सहयोग संगठन ने 2003 में विश्व के देशों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। इस बार इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। संसार की दो-तिहाई जनसंख्या हिंद महासागर से लेकर सुदूर रूस की सीमाओं के बीच बसती है। यदि यह संगठन अपने अंतर्विरोधों से उबर सका तो कुछ वर्षों बाद यह क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक गतिशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह बन कर उभरेगा।

एससीओ और ब्रिक दोनों में से किसी को भी क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय नहीं कहा जा सकता। इनका उद्देश्य न तो मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करना या आर्थिक संघ का निर्माण करना है और न ही इन्हें नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) अथवा अब काल-कवलित हो चुके वारसा संधि देशों के समूह की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह राजनीतिक संगठन भी नहीं है। दोनों समूहों का गठन शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद हुआ है और इनका मुख्य उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था को अमरीका के एकध्रुवीय प्रभुत्व से मुक्त रखना है। विश्व की किसी भी व्यवस्था में भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील के योगदान की संभावनाओं को सुदृढ़ता प्रदान करना इनका लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और व्यवस्था में योगदान करना भी इनकी आकांक्षाओं में शामिल है। यही कारण है कि एससीओ के तत्वावधान में संयुक्त सैनिक अभ्यास भी किए जाते हैं और ब्रिक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उबरने, सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाने और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठित किए जाने पर ज़ोर दिया जाता है। एससीओ के अंतर्गत आर्थिक और ऊर्जा सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। परंतु ब्रिक के अंतर्गत आर्थिक सहयोग की संभावना कम है। इसलिए इसे एक राजनीतिक मंच कहना ज्यादा उचित होगा। परंतु इसके सदस्य देश इसे एक आर्थिक संकल्पना के तौर पर ही देखते हैं और परस्पर संवाद तथा सहयोग के आधार पर अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूती प्रदान करने के अलावा विश्व अर्थव्यवस्था में भी योगदान करना चाहते हैं।

ब्रिक के प्रथम शिखर सम्मेलन में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी भूमिका निभाने देने की वक़ालत की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत और ब्राज़ील के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस समूह के देश संयुक्त राष्ट्र में भारत और ब्राज़ील की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आकांक्षा को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में सदस्य देशों ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज़ और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है। साथ ही, व्यापार में संरक्षणवाद पर रोक लगाने की मांग भी की। शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में वैश्विक वित्तीय संकट का मुद्दा विशेष रूप से छाया रहा। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली मंदी का सामना करने में भारत अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने लंदन में हुए जी-20 देशों के सम्मेलन में लिए गए फ़ैसलों को इस मंदी के निपटने के लिए अहम बताते हुए उनको लागू किए जाने पर ज़ोर दिया। डॉ. सिंह ने ब्रिक के सदस्य देशों के बीच परस्पर व्यापार को गति देने के लिए संयुक्त व्यापारिक मंच की स्थापना का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक में भी आर्थिक सहयोग पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ के सदस्यों और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के जरिये हम वैश्विक आर्थिक संकट को एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि हमारे बीच काफी बड़ा बाज़ार, औद्योगिक आधार, प्रतिभावान मानव संसाधन और इन सबसे ऊपर राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है। अत: स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि इन संस्थाओं को मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम सतत विकास की अवधारणा को ठोस आधार देने में अब ज्यादा विलंब नहीं कर सकते। विकास के लिए विश्व को वित्तीय संसाधनों और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी की

विशेषकर, ऊर्जा, परिवहन, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में आवश्यकता है और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

आठ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए ब्रिक के सदस्य देशों की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या की 42 प्रतिशत है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में क़रीब 15 प्रतिशत और विश्व व्यापार का लगभग 13 प्रतिशत योगदान इन देशों की ओर से होता है। इसके सदस्य देश एशिया, यूरोप और लैटिन अमरीका के देश हैं जो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से काफी भिन्नता वाले हैं। प्रथम शिखर सम्मेलन में ब्रिक देशों के नेताओं ने सदस्य देशों के बीच स्पष्ट और पारदर्शी संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया है। ब्रिक को यह नाम अमरीकी बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैश ने दिया था। यह शब्द ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका को देखते हुए प्रयोग किया गया था। आज जब विश्वव्यापी मंदी के कारण गोल्डमैन सैश जैसी कंपनियों की साख दांव पर लगी है, ब्रिक विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। येकातेरिनबर्ग के पहले शिखर सम्मेलन से जो संदेश आया है वह यह कि विश्व के इन चार प्रमुख देशों ने विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य में जिस उपयुक्त विश्व अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, वह वास्तव में अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों के आधिपत्य से मुक्त करने की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिकाओं से इन देशों का असंतोष कोई नयी बात नहीं है। आर्थिक मंदी ने उनके विरोध को और भी मुखरित कर दिया है। इन सभी देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग डॉलर के रूप में ही है। डॉलर की अस्थिरता कभी भी इन देशों को संकट में डाल सकती है। सम्मेलन में डॉलर के प्रमुख से मुक्ति के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रहा। साथ ही दोहा दौर की वार्ता को नये सिरे से शुरू करने की मांग की गई। येकातिरेनबर्ग में केवल बयान ही जारी नहीं हुआ बल्कि एक कार्ययोजना भी तैयार की गई। चारों सदस्य देशों ने तय किया है कि उनके वित्तमंत्री और केंद्रीय बैंकों के प्रमुख शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श शुरू करेंगे और विश्व की नयी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस सबके बावजूद इस समूह को अमरीका विरोधी गठबंधन समझना भ्रामक होगा। इन सभी देशों के साथ अमरीका के गहरे व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते हैं।

**शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन**

और अब एक नज़र शंघाई सहयोग संगठन के नौवें शिखर सम्मेलन पर। बैठक में परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध रूस और अमरीका के प्रयासों का समर्थन करने के साथ ही इसे और बढ़ावा देने और व्यापक रूप से लागू कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद की समस्या से मुक़ाबला करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जो सामूहिक रूप से इस संकट से निपटने के लिए काम करेगा। सम्मेलन में मध्य एशिया को परमाणु हथियार मुक्त करने के बारे में 21 मार्च, 2009 को लागू समझौते का भी समर्थन किया गया। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी घोषणापत्र में परमाणु हथियारों के प्रसार को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरनाक बताया गया है। सम्मेलन के मौके पर श्री मेदवेदेव ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों से भेंट कर आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट होने पर ज़ोर दिया। श्री मेदवेदेव ने पाकिस्तान को आतंकवाद का घोंसला भी करार दिया और कहा कि जब तक पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां समाप्त नहीं होती तब तक अफगान विद्रोह का समाधान खोजना असंभव है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह से पाकिस्तान के हालात से जुड़ी हुई है। डॉ. मनमोहन सिंह ने भी कहा कि एशिया आतंकवाद से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के ख़तरे से निपटने के लिए सभी देशों में वास्तविक सहयोग आवश्यक है।

**प्रधानमंत्री की पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मुलाकात**

येकातिरेनबर्ग में जहां विश्वभर के पर्यवेक्षकों की नज़र दोनों शिखर सम्मेलनों से निकलने वाले निष्कर्षों पर लगी हुई थी वहीं वे भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुलाक़ात की ओर भी नज़रें टिकाए हुए थे। मुंबई में 26.11.'08 के आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय मुलाक़ातें और द्विपक्षीय समग्र वार्ता अवरुद्ध हो गई थी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से परे डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जरदारी अलग से मिले। डॉ. सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की धरती से भारत के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे आतंकवाद को रोके जाने से ही दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं और समग्र वार्ता प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री ने मुंबई हमलों के आरोपी जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज मुहम्मद सईद की रिहाई पर भी अपनी निराशा ज़ाहिर की। डॉ. सिंह ने श्री जरदारी से साफ़-साफ़ कहा कि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद के प्रति वैसी ही सख़्ती और प्रतिबद्धता दिखानी होगी जैसी तालिबान और अलकायदा से निपटने में दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान शांति के मार्ग को अपनाने के लिए साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाए तो भारत आधे से अधिक रास्ता तय करने के लिए तैयार है। श्री जरदारी ने कहा कि वे आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष के प्रति गंभीर हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ और मोहलत मांगी। जुलाई के मध्य में मिस्र में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में दोनों देशों के शिखर नेताओं की फिर मुलाक़ात होने वाली है तब तक इस बात का पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अपने वचन को किस प्रकार और कितना निभा सका है।

**भारत के लिए महत्व**

एससीओ और ब्रिक दोनों का भारत के लिए विशेष महत्व है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सभी नज़रिये से। एससीओ के तहत आर्थिक सहयोग भी हो सकता है और सामरिक भी। उदाहरणार्थ, ईरान और मध्य एशियाई देश हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चीन और रूस के साथ हमारे बहुआयामी सहयोग के संबंध हैं। ये संबंध मुख्यत: द्विपक्षीय हैं। दोनों शिखर सम्मेलनों में उच्चस्तरीय चर्चा के बाद इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। कुछ क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में इन देशों का बहुपक्षीय सहयोग अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। आर्थिक मंदी के इस दौर में यदि रूस, चीन, ब्राज़ील और भारत जैसे राष्ट्र अपने बाज़ारों को खुला रखें तो इस मंदी से निपटने में काफी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार अफगानिस्तान से अमरीका

की वापसी के बाद भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी। एससीओ के सदस्य देशों ने जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पिछले वर्षों में किया था, भारत ने उसमें भाग नहीं लिया। परंतु अब भारत इसके लिए तैयार है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार यदि यह संगठन भविष्य में कोई औपचारिक रूप ग्रहण कर क्षेत्र में आतंकवाद मिटाने के लिए सैनिक अभ्यास करने का विचार रखता है तो भारत उसमें भाग ले सकता है। सम्मेलन के समापन के अवसर पर श्री मेदवेदेव ने घोषणा की कि श्रीलंका और बेलारूस को एससीओ का वार्ता सहयोगी (डायलॉग पार्टनर) का दर्ज़ा दिया गया है। श्रीलंका में आतंरिक संघर्ष की समाप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दोनों शिखर वार्ताओं में भाग लेने के अलावा रूस, चीन और कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपतियों से अलग-अलग मुलाकात भी की और परस्पर हितों के बारे में विचार-विमर्श किया। चीन के राष्ट्रपति हू चिन ताओ के साथ मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग के मुद्दे पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच दो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो चुके हैं और तीसरा अभ्यास इस वर्षांत में होना है। उभरते वैश्विक वित्तीय मामलों पर साझा रणनीति बनाने के उद्देश्य से दोनों ही देशों ने द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक समिति बनाने की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पहले से ही विकसित हो रहे द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति देने पर विचार-विमर्श किया। आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में भी व्यापक विचार हुआ। उधर, कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव और डॉ. मनमोहन सिंह की बातचीत के दौरान ऊर्जा, असैन्य परमाणु सहयोग, तेल और गैस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर तेज़ी से अमल करने के लिए संयुक्त कार्यबल स्थापित करने का फ़ैसला किया।

यूराल की पहाड़ियों के बीच बसा येकातेरिनबर्ग रूस का पांचवां सबसे बड़ा शहर है। रूसी क्रांति के बाद 1991 तक इसका नाम बोल्शेविक नेता याकोव स्वेदलोव के नाम पर स्वेदलोवस्क था। रूस के अंतिम जार निकोलस को परिवार सहित इसी शहर में गोली मारी गई थी। इस शहर से भारत का भी पुराना रिश्ता है। बताते हैं कि ताजमहल में जड़े बहुत से पत्थर इसी यूराल पर्वत से गए थे। सिलसिला यहीं नहीं रुका। आज से 54 वर्ष पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहां अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ आए थे। देश के पहले इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट के लिए यहीं के प्रख्यात यूरालमाश से करार किया गया था। मतलब साफ़ है, भारत और येकातेरिनबर्ग का रिश्ता दिल की धड़कनों की तरह नाजुक और फौलाद की तरह मज़बूत है। और अब, इसी ऐतिहासिक शहर से विश्व कूटनीति की एक नयी लहर के जन्म लेने का बीजारोपण हो चुका है।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने जब बांडुंग सम्मेलन में पंचशील और गुट निरपेक्षता का नारा बुलंद किया था, विश्व के बड़े और ताक़तवर देशों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों ने बाद के वर्षों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता साबित की। यदि एससीओ और ब्रिक ने सफलता हासिल की तो आने वाली पीढ़ियां इस परिवर्तन के लिए मौजूदा नेताओं को याद करेगी। परंतु इसके लिए उन्हें अंतर्विरोधों से उबरना होगा। भारत और चीन को समझना होगा कि वे मिलकर नया इतिहास रच सकते हैं। लड़कर वे खुद को कमज़ोर ही करेंगे। रूस को भी इस भ्रमजाल से उबरना होगा कि वह कभी दुनिया का बड़ा भाई था। तमाम बड़े बदलावों से गुज़र रही इस दुनिया में, समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए जुझारू नेतृत्व की ज़रूरत है। आशा है संघाई सहयोग संगठन और ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का संगठन ब्रिक इसी आवश्यकता को पूरा करेगा। ❑

**(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)**

---

# वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि उत्पादन

लगातार तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08 तक) से अनाज उत्पादन में एक करोड़ टन से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में कुल अनाज़ उत्पादन 2,173 लाख टन हुआ जो 2007-08 में बढ़कर अनुमानित 2,307.8 लाख टन हो गया।

तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2008-09 में 2,298.5 लाख टन अनाज उत्पादन होने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमान की तुलना में तीसरे अग्रिम अनुमान में 19.7 लाख टन सुधार की उम्मीद की गई है परंतु फिर भी यह अनुमान वर्ष के निर्धारित 2,330 लाख टन के लक्ष्य तथा 2,307.8 लाख टन के अंतिम अनुमान से कम है।

वर्ष 2008-09 के दौरान चावल का उत्पादन 993.7 लाख टन और गेहूं का उत्पादन 776.3 लाख टन होने की आशा है। चावल उत्पादन 2007-08 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 26.8 लाख टन अधिक है लेकिन गेहूं उत्पादन के अनुमान 2007-08 के अंतिम आंकड़ों की अपेक्षा मामूली कम हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन 386.7 लाख टन होने की संभावना है जो 2007-08 के अंतिम अनुमानों की अपेक्षा 21 लाख टन कम है। दालों का उत्पादन 141.8 लाख टन होने की आशा है जो 2007-08 के अंतिम अनुमानों की अपेक्षा 5.8 लाख टन कम है। तिलहनों (नौ) का उत्पादन 281 लाख टन होने की उम्मीद है जो 2007-08 के अंतिम अनुमानों 297 लाख टन की अपेक्षा कम है। 232.68 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने की संभावना है जो 2007-08 के 258.84 लाख गांठों अंतिम अनुमानों की अपेक्षा कम है। गन्ने का उत्पादन 2,892 लाख टन होने का अनुमान है जो 2007-08 के 3,482 लाख टन के अंतिम अनुमानों की अपेक्षा कम है। जूट और मेस्ता का उत्पादन भी 2007-08 के उत्पादन की तुलना में कम होने की संभावना है। मार्च 2009 के अंत तक केंद्रीय पूल में 350 लाख टन गेहूं और चावल का स्टॉक था जो बफर स्टॉक के दोगुने से भी ज्यादा है।

कुल मिलाकर कृषि फ़सलों के लिए तृतीय अनुमान ऐसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं जहां अनाजों का उत्पादन 2007-08 के उत्पादन के आसपास रहने की उम्मीद है लेकिन गन्ने जैसी नकदी फ़सल का उत्पादन घट सकता है। ❑

# सहज और सस्ते न्याय की ओर

● प्रमोद कुमार अग्रवाल

17 दिसंबर, 2008 को राज्यसभा द्वारा पारित ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 भारत गणराज्य के गांवों में वाद, विवादों और मुकदमों के शीघ्र निबटारे के लिए पारित पहला अधिनियम है।

अतीत में ऐसे कई प्रयास किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश में तथा स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी न्याय पंचायतों की स्थापना हुई पर ये न्याय पंचायतें सरकार एवं जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य न कर सकीं। कुछ वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश ने भी मंडल स्तर पर ग्राम न्यायालयों अर्थात न्याय पंचायतों से संबंधित विधेयक को केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा पर वह विधेयक भी क्रियान्वित नहीं हो सका।

ग्राम न्यायालय विधेयक को 14वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में पेश करना तथा उसे पारित करना यह दर्शाता है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस विषय पर गंभीर है और चाहता है कि गांवों में मामलों का शीघ्र निष्पादन हो ताकि ग्रामीण भारत में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर सके।

आम जनता में शीघ्र और सस्ता न्याय न पाने के कारण काफी असंतोष है। आज न्यायालयों के प्रत्येक स्तर पर इतने मुकदमे लंबित हैं कि आम जनता की क्षमता नहीं है कि वे महकमा, उप-प्रभाग या जिलास्तर पर न्यायालयों में मुकदमेबाजी का सामना कर सकें। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के स्तर पर जाने की तो वे सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्गठन के साथ-साथ न्याय पंचायतों का पुनर्गठन भी अत्यावश्यक है।

संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 39क तथा 40 के अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय पहुंचाए। यही उद्देश्य ग्राम न्यायालय विधेयक का है कि निचले स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हो ताकि किसी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सके। वस्तुत: ये न्यायालय न्याय पंचायतों के स्थान पर ही प्रस्तावित हैं अर्थात नये लिफ़ाफ़े में पुराना पत्र।

आइए, इस विधेयक का हम विवेचन करें तथा देखें कि किस प्रकार यह विधेयक भारत के ग्रामों में निवास करने वाली सत्तर प्रतिशत जनता की न्याय प्राप्ति की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा।

**अभिप्राय**

'ग्राम न्यायालयों' का अर्थ उन न्यायालयों से है जो राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात पंचायत समिति या मंडल पंचायत स्तर पर एक या एक से अधिक खंड या मंडल पंचायतों के समूह स्थापित करेगी। उक्त न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए गए हैं।

**स्थापना**

प्रत्येक न्यायालय पंचायत प्रणाली के मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति अथवा मंडल पंचायत स्तर पर स्थापित होगा जिसका मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचित किया जाएगा।

राज्य सरकार इस न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

यह सचल न्यायालय होगा तथा न्यायाधिकारी उस स्थान पर जाकर कार्यवाहियां संचालित करेगा जहां पक्षकार सामान्यतया निवास करते हैं या जहां वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। न्यायालय प्रशासन इसका व्यापक प्रचार करेगा। यह कार्य ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति के माध्यम से संभव हो सकेगा।

**ग्राम न्यायालय के अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार**

इन न्यायालयों की स्थापना का मौलिक उद्देश्य था पंचायत स्तर पर ही छोटे-छोटे दीवानी तथा फौज़दारी मुकदमों के अतिरिक्त ज़मीन की माप, सिंचाई आदि संबंधी गांव के विवादों का निपटारा हो।

निम्न वादों एवं वादों की श्रेणी का ग्राम न्यायालयों द्वारा निष्पादन किया जाएगा:

**क. दीवानी प्रकृति के विवाद**

- संपत्ति क्रय करने का अधिकार;
- आम चरागाहों के उपयोग से जुड़े मामले;
- मकान, भूमि या फार्म हाउस पर कब्ज़ा संबंधवाद;
- भूमि पर कृषि में भागीदारी से उद्भूत विवाद जैसे- बटाईदार तथा पट्टादार के अधिकारों के विवाद;
- सिंचाई स्रोतों से जल लेने के नियम और समय संबंधी विवाद;
- जल सरणियों से जुड़े वाद;
- कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार संबंधी वाद;
- जानवरों के अतिक्रमण इत्यादि के मामले जो पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के अंतर्गत आते हैं;
- ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद;
- मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन दावे, जैसे- श्रमिक के मज़दूरी भुगतान का मामला;
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन दावे;

- व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद अर्थात रुपये के लेन-देन के मामले;
- दीवानी अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955;
- बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976;
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976;
- घरेलू हिंसा से निजात संबंधी महिला संरक्षण अधिनियम, 2005;
- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन पत्नियों, बालकों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश;

**ख. आपराधिक प्रकृति के विवाद**

- ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है;
- भारतीय दंड संहिता की धारा-379, धारा 380 अथवा धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य बीस हज़ार रुपये से अधिक नहीं है;
- भारतीय दंड संहिता की धारा-411 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करना या प्रतिधारित करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हज़ार रुपये से अधिक नहीं है;
- भारतीय दंड संहिता की धारा-454 और धारा-456 के अधीन अपराध;
- धारा-504 के अधीन शांति भंग करने के आशय से अपमान और भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के अधीन ऐसी अवधि के जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय आपराधिक अभित्रास;
- पूर्वोक्त अपराधों में से किसी को उकसाना या उपशमन;
- उपरोक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो।

उपर्युक्त विषयों या मामलों के अतिरिक्त राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी अधिसूचना जारी करके अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अन्य प्रकार के दावे और विवाद भी इस सूची में सम्मिलित कर सकती है।

निम्न प्रकार के विवादों को भी ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाना आवश्यक है जोकि साधारणतया गांवों में उठते रहते हैं तथा वे इतने गंभीर अथवा महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वादीगण को इन मामलों के लिए जिला न्यायालय तक दौड़ना पड़े। ये हैं:

- वैवाहिक संबंधी कौटुंबिक मामले जो परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
- विद्युत संबंधी शिकायतें एवं चोरी के मामले।
- दंगा करते हुए सड़क पर लड़ना (धारा 160 भारतीय दंड संहिता)।
- सार्वजनिक जलस्रोत या जलाशय (जैसे झरने या पानी की टंकी) को दूषित करना (धारा 277)।
- उपेक्षा कार्यों से बीमारियां फैलाना (धारा 269)
- पड़ोस के वायुमंडल को दूषित कर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना (धारा 278)।
- आम सड़क या नौपरिवहन पथ में बाधा या संकट उपस्थित करना (धारा 283)।
- मशीनरी के साथ लापरवाही (धारा 287)।
- कोई इमारत को गिराने या उसकी मरम्मत करने में लापरवाही (धारा 288)।
- सार्वजनिक स्थल में अश्लील कार्य या अश्लील गान (धारा 294)।
- स्वेच्छा या क्रोध में चोट पहुंचाना (धारा 223 व 334)।
- किसी भी व्यक्ति के लिए अवरोध खड़ा करना (धारा 341)।
- हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, मारना (धारा 352, 358)।
- बेईमानी द्वारा किसी की दी हुई संपत्ति हड़प जाना (धारा 403)।
- किसी की ज़मीन या घर में अनाधिकार प्रवेश करना (धारा 447)।
- शब्दों या हरकतों या कार्यों से किसी स्त्री की लज्जा का अनादर या इज्ज़त लूटने का प्रयत्न करना (धारा 509)।

**दीवानी मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया**

दीवानी मामलों में प्रक्रिया ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धाराओं-23 से लेकर 32 में उल्लेखित है:

- किसी भी सिविल मुकदमें में एक सौ रुपये से अधिक फीस नहीं होगी।
- ग्राम न्यायालय दिन-प्रतिदिन सुनवाई करेगा तथा कारण लिखकर ही अपवाद स्वरूप सुनवाई के दौरान स्थगित करेगा।
- यह आवश्यक नहीं है कि ग्राम न्यायालय सभी साक्ष्य अभिलिखित करें।
- सुनवाई समाप्त होने के पश्चात पंद्रह दिनों के भीतर ही निर्णय सुनाएगा।
- प्रथम न्यायालय सुलह-मशवरा कराने का भरसक प्रयत्न करेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के नियम 1 के अनुसार किसी भी ग्राम न्यायालय को एक पक्ष को किसी भी दशा में तीन से अधिक स्थगन नहीं देना चाहिए।

**आपराधिक मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया**

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 में आपराधिक मामलों की सुनवाई में त्वरित एवं सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। निम्न प्रक्रिया इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई में लागू होगी:

- इन न्यायालयों में संक्षिप्त प्रक्रिया लागू होगी जोकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 के अंतर्गत दी गई है। न्यायालय की कार्यवाही भी संक्षेप में रिकॉर्ड होगी या मौखिक ही सुनवाई होगी।
- यदि कोई मामला काफी अवधि से लंबित है तो उसकी शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन पर ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21क के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा।
- ग्राम न्यायालयों में सरकार की ओर से सहायक अभियोजक नियुक्त होंगे।
- विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक ग्राम न्यायालय में कम-से-कम दो वकील प्रत्येक न्यायालय के साथ लगाए जाएंगे जिससे कि असमर्थ तथा निर्धन पक्षकारों को मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
- सुनवाई समाप्त होने के पंद्रह दिन के अंदर न्यायालय द्वारा निर्णय खुले में सुनाया जाएगा तथा दोनों पक्षकारों को तत्काल निर्णय की एक प्रति नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।

**साधारण प्रक्रिया**

- ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां राज्य की राजभाषा में होंगी।
- ग्राम न्यायालय की समस्त कार्यवाहियां संक्षिप्त होंगी।
- न्यायाधिकारी साक्षी का साक्ष्य सार रूप में अभिलिखित करेंगे तथा वह अभिलेख का भाग बनेगा।
- कोई भी साक्ष्य ग्राम न्यायालय में शपथ-पत्र द्वारा दिया जा सकता है।

**अपील**

दीवानी मुकदमों में ग्राम न्यायालय से अपील जिला न्यायालय में होगी। यदि किसी दावे या विवादित वस्तु का मूल्य पांच हज़ार से अधिक नहीं है, तो वहां अपील दायर नहीं हो सकेगी।

इसी प्रकार उन आपराधिक मामलों में अपील नहीं हो सकेगी जहां अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है तथा ग्राम न्यायालय ने एक हज़ार रुपये से कम जुर्माना किया है। इन मामलों को छोड़कर, अन्य मुकदमों में अपील सेशन न्यायालय में होगी।

अपील का प्रावधान अत्यधिक है जो मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा। अन्य यूरोपीय देशों की भांति भारत में भी अपील का प्रावधान अत्यंत कम होना चाहिए।

**विशेषताएं**

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना भारतीय न्यायपालिका के स्थापित ढांचे के अंतर्गत हुई है इसलिए इन ग्राम न्यायालयों तथा जिलास्तर पर जिला न्यायालयों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा। इन न्यायालयों की प्रक्रिया भी संक्षिप्त रूप में होगी। यह भी प्रशंसनीय कदम है क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका अपने विलंब के बोझ से दबी जा रही है। इन विशेष न्यायालयों का उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर न्याय मिले तथा वह न्याय सस्ता एवं त्वरित हो। यहां तक कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धनों तथा साधनहीन पक्षकारों को अधिवक्ताओं की नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस अधिनियम में एक विशिष्ट उपबंध है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अन्य अपराधों अथवा दीवानी वादों या विवादों को अधिनियम की सूची में आवश्यकतानुसार आसानी से जोड़ सकती है।

**समस्याएं एवं समाधान**

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 में यह प्रावधान है कि इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे।

राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी जो प्रथम श्रेणी में नियुक्त होता है उसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन न्यायालयों में सेवा करने के लिए खंड, मंडल या पंचायत समिति स्तर पर जाना पड़ेगा तथा वहां उन्हें निवास करना पड़ेगा। यह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए इस स्तर के अधिकारी प्राय: सहमत नहीं होते हैं। पर यह उनकी पहली तैनाती होगी, तब शायद कुछ न्यायिक अधिकारी जनता के हित में इन न्यायालयों में काम करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएं पर यह कार्य शनै:शनै: होगा। यदि उनके कार्यकाल का समय तीन वर्ष निर्धारित कर दिया जाए, तो अधिकांश अधिकारीगण गांवों में चले जाएंगे। प्रथम तीन वर्षों के लिए केंद्र सरकार इन नये न्यायालयों की स्थापना का पूरा भार एवं संचालन का अर्थभार राज्य सरकार के साथ वहन करेगी। उसके पश्चात राज्य सरकारों को ही इन न्यायालयों का अर्थभार ग्रहण करना पड़ेगा। प्राय: राज्य सरकारों की चरमराती एवं अकुशल आर्थिक नीतियों के चलते यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या इन न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारें उत्साह प्रदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने प्रारंभ में प्रत्येक न्यायालय की स्थापना के लिए बीस लाख रुपये का प्रावधान किया है पर इन न्यायालयों की स्थापना में लगभग दस वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। प्राय: सभी राज्यों के पंचायत अधिकारियों में न्याय पंचायतों द्वारा छोटे-छोटे वादों एवं विवादों के हल का प्रावधान था, पर राज्य सरकारें इस ओर आवश्यकतानुसार अग्रसर न हो सकीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे ही न्यायालयों की स्थापना का विधेयक ग्रहण किया था जिसमें इन न्यायालयों में उपभोक्ता अदालतों की भांति एक से अधिक न्यायाधीश थे तथा स्थानीय विधि-विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी थी पर राज्य के वकीलों द्वारा इस अधिनियम का पुरज़ोर विरोध होने के कारण वह विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया।

गांवों में सिंचाई एवं भूमि के माप-जोख को लेकर झगड़े होते हैं, इन राजस्व मामलों का विशिष्ट प्रावधान भी तुरंत इस अधिनियम में करने की आवश्यकता है। गांवों में अधिकांश विवाद ज़मीन को लेकर होते हैं जो इस अधिनियम की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इसी प्रकार बटाईदारों एवं पट्टेदारों के भी विवाद प्राय: गांवों में देखे जाते हैं, इनका प्रावधान भी तुरंत करने की आवश्यकता है। यह सही है कि प्रत्येक नये अधिनियम को विशेष अधिनियम का दर्ज़ा दिया जाता है पर अपने देश में सभी अधिनियम न्याय प्रक्रिया में अभ्यस्त पीठासीन अधिकारियों तथा वकीलों द्वारा सामान्य अधिनियमों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। फलत: न्यायालयों से न्याय दूर होता चला जाता है। अत: इन न्यायालयों, विशेषत: दीवानी एवं राजस्व मामलों में वकीलों की उपस्थिति प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इन अदालतों को ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि स्थानीय मामलों में उनके पास तथ्य संबंधी सूचना शीघ्र उपलब्ध हो जाए अन्यथा भारतीय न्याय पद्धति में सत्य प्रक्रिया के बोझ से दबा हुआ झांकता रहता है। पंचायतें अपनी निधि से भी इन न्यायालयों का आंशिक रूप से वित्तीय भार ग्रहण कर सकती हैं क्योंकि यदि पंचायतों के रहते हुए भी गांव में झगड़े, विवाद तथा हिंसा होती रही, तो पंचायतों का अतीत की भांति अंत हो जाएगा। इन न्यायालयों द्वारा शुल्क और जुर्माना राशि वसूल होने पर कम से कम उसका पचास प्रतिशत संबंधित पंचायत समिति की निधि में जमा हो। इन न्यायालयों के माध्यम से हम आसानी से भारतीय न्याय व्यवस्था में अमरीका एवं अन्य देशों जैसी जूरी प्रणाली विकसित कर सकते हैं ताकि साक्ष्य मिथ्या तथा झूठ-फरेब पर आधारित न होकर सत्य पर आधारित हो तथा मामलों में ठीक न्याय मिले। न्याय वकीलों की दलीलों पर निर्भर न हो, वह सत्य के स्फटिक की भांति सदैव चमके।

इन न्यायालयों के माध्यम से सुलह-मशविरा का नया युग आरंभ हो ताकि न्यायालयों में वाद आरंभ होने के पूर्व ही समझौते द्वारा उसका निपटारा हो सके। सिविल प्रक्रिया संहिता में सन् 2002 में संशोधन के बाद धारा-89 में यह दिया गया है कि प्रत्येक न्यायालय वाद को सुनने के पूर्व पंचाट, सुलह-मशविरा, मध्यस्थता द्वारा वाद-विवाद के निबटारे का प्रयत्न करेगा। यह प्रावधान ग्राम न्यायालयों में पूर्ण उत्साह एवं लगन से लागू होना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता दीवानी मामलों के लिए बाइबिल है।

आशा है कि राज्य सरकारें अविलंब ही अपने राज्यों में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 का पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति से क्रियान्वयन करेंगी ताकि ग्रामीण भारत त्वरित, सहज एवं सस्ते न्याय से आप्लावित हो सके। ❑

**(लेखक विधि विशेषज्ञ हैं तथा वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महाआयुक्त, भूमि सुधार हैं।**

**ई-मेल:** pk_usha@rediffmail.com)

# विश्व अर्थव्यवस्था की सुस्ती पर चिंता

● रहीस सिंह

एक अमरीकी विद्वान लेस्टर सी. थूरो ने अपनी पुस्तक *दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म* में लिखा है कि "विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम-कायदे हमेशा वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने तय किए हैं और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभाई और 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमरीका ने। परंतु 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम-कायदों की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई भी वर्चस्वपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी। अमरीका के प्रभाव में संचालित एकध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहुध्रुवीय संसार उभरकर विश्व रंगमंच पर आ चुका है।" जब अमरीका में सब-प्राइम संकट आया तो विश्व बैंक के कुछ अर्थविदों ने ऐसी ही अवधारणा को प्रचारित किया। उन्होंने डी-कपलिंग (विच्छेदीकरण) की अवधारणा को पेश कर एक तरह से भूमंडलीकरण की अवधारणा को कमज़ोर करने की कोशिश की क्योंकि चीन हो या भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाभ-हानि के मसले से जोड़े बिना नेतृत्व कैसे प्रदान कर सकते हैं। उनकी इस अवधारणा को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक *वर्ल्ड इज फ्लैट* (दुनिया समतल है) के माध्यम से जवाब दिया। उनका कहना था कि पूंजी की गतिशीलता और आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था ने पूरी दुनिया की तक़दीर को एक- दूसरे से इस कदर जोड़ दिया है कि उसे एक साथ ही डूबना और उतराना है। यह बहस बौद्धिक धरातल पर ही सिमट कर रह जाती, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को अमरीकी सब-प्राइम के बाद उपजे संकट ने करारा झटका न दिया होता। दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, खासकर उभरती हुई या विकासशील, इस झटके से बच नहीं पाई। आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को तो खासा झटका लगा और भारत तथा चीन भी इससे बच नहीं पाए। हालांकि विश्व बैंक के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष जोसेफ स्टीगलिट्ज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि एशियाई देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास (असल में संवृद्धि) पर अधिक इतराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जुलाई 1997 में थाईलैंड से शुरू हुए और बाद में इंडोनेशिया, कोरिया, रूस, लैटिन अमरीका, ब्राज़ील आदि देशों में फैले वित्तीय संकट से उबरने के बावजूद इन देशों पर मंदी का ख़तरा अभी भी मंडरा रहा है। अब यह बात तो सिद्ध हो गई कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था उस स्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है जब अमरीका या किसी बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगे। इसलिए विचार यह करना है कि आगे संभावनाएं क्या हैं, खासकर भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं की जिनका यशोगान अकसर सुनाई दे जाता है।

पिछले दिनों विश्व बैंक ने 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2009' के नाम से अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में उसने जो ख़ाका खींचा उसके हिसाब से भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हैं। चीन की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बताई गई है लेकिन उसे भी चुनौती से मुक्त तो नहीं किया जा सकता। भारत की जो स्थिति प्रदर्शित की गई है वह सब-सहारा अफ्रीकी देशों से कुछ ही बेहतर है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2015 तक भारत की एक तिहाई आबादी बेहद ग़रीबी (1.25 डॉलर यानी क़रीब 60 रुपये प्रतिदिन से कम आय) में अपना गुजारा कर रही होगी। इसमें चीन के लिए यह आंकड़ा 6.1 प्रतिशत और सब-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के लिए 37.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हमसे लगातार बताया जा रहा है कि हमने पिछले डेढ़-दो दशक में खासी प्रगति की है और इसी प्रगति के आधार पर 'इंडिया शाइनिंग' जैसे कृत्रिम नारे भी दिए गए। लेकिन इन्हीं दशकों में भारत अपने पड़ोसी चीन के मुक़ाबले ग़रीबी के मामले में बहुत आगे निकल गया। उल्लेखनीय है कि 1990 में ग़रीबी के मामले में भारत की स्थिति चीन से बेहतर थी। उस वक्त चीन में ग़रीबी- रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या 60.2 प्रतिशत और भारत में 51.3 प्रतिशत थी लेकिन 15 साल बाद 2005 में चीन में ग़रीबी- रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या घटकर 15.9 प्रतिशत रह गई जबकि भारत में इसका प्रतिशत बढ़कर 41.6 पर पहुंच गया। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में अत्यंत ग़रीबी में जीवन गुज़ारने वाले लोगों की तादाद 1990 में 43.6 करोड़ थी जो 2005 में 45.6 करोड़ पर पहुंच गई और 2015 में भी इसके 31.3 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है।

पिछले दिनों कुछ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमरीकी अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने पर दुख प्रकट करने के बजाय खुशी ज़ाहिर की गई क्योंकि चीन और रूस जैसे देश उसमें अपनी सफलता देख रहे थे। भारत के विषय में भी ऐसी ही उपलब्धियों के दिवास्वप्नों की रूपरेखा पेश की गई। 2001 में गोल्डमैन सैच के दिमाग में उपजी 'ब्रिक अर्थव्यवस्था' की रूपरेखा को साकार करने के लिए रूस के येकातेरिनबर्ग में एकत्रित हुए रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदवे ने इस सम्मेलन से पहले ही अपने भाषण में कह दिया था कि येकातेरिनबर्ग में ब्रिक देशों का मिलना बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम करने का सुनहरा मौका मुहैया कराएगी। उनके भाषण के कई मायने थे। लेकिन अर्थव्यवस्था को

**तालिका-1**

| | 1999-2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूर्वी एशिया एवं प्रशांत** | | | | | | | |
| बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2000 अमरीकी डॉलर) | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 7.8 |
| प्रतिव्यक्ति जीडीपी (प्रतिइकाई अमरीकी डॉलर) | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | 7.0 |
| निजी उपभोग | 7.3 | 7.5 | 2.6 | 3.4 | 5.6 | 6.7 | 7.9 |
| चालू खाता संतुलन/जीडीपी (प्रतिशत) | 0.1 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | 7.7 |
| राजकोषीय संतुलन /जीडीपी (प्रतिशत) | .0.7 | .1.1 | .0.6 | 0.2 | .0.9 | .1.4 | .1.5 |
| **यूरोप और मध्य एशिया** | | | | | | | |
| बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2000 अमरीकी डॉलर) | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | 5.3 | 2.7 | 5.0 |
| प्रतिव्यक्ति जीडीपी (प्रतिइकाई अमरीकी डॉलर) | .1.3 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 2.7 | 5.0 |
| निजी उपभोग | 0.6 | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 5.3 | 6.2 |
| चालू खाता संतुलन/जीडीपी (प्रतिशत) | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 4.5 |
| राजकोषीय संतुलन /जीडीपी (प्रतिशत) | 5.0 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
| **दक्षिण एशिया** | | | | | | | |
| बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2000 अमरीकी डॉलर) | 5.2 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 6.3 | 5.4 | 7.2 |
| प्रतिव्यक्ति जीडीपी (प्रतिइकाई अमरीकी डॉलर) | 3.1 | 6.9 | 9.0 | 8.4 | 6.3 | 5.4 | 7.2 |
| निजी उपभोग | 3.9 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 5.7 | 4.7 | 5.7 |
| चालू खाता संतुलन/जीडीपी (प्रतिशत) | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | 1.9 |
| राजकोषीय संतुलन /जीडीपी (प्रतिशत) | 7.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 8.6 | 8.0 |
| **मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका** | | | | | | | |
| बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2000 अमरीकी डॉलर) | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 5.2 |
| प्रतिव्यक्ति जीडीपी (प्रतिइकाई अमरीकी डॉलर) | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 2.2 | 3.5 |
| निजी उपभोग | 3.9 | 5.0 | 6.2 | 6.1 | 7.0 | 4.2 | 6.0 |
| चालू खाता संतुलन/जीडीपी (प्रतिशत) | 0.3 | 10.9 | 14.9 | 12.8 | 13.5 | 6.0 | 4.1 |
| राजकोषीय संतुलन /जीडीपी (प्रतिशत) | 4.0 | 5.5 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| **लातिनी अमरीका और कैरिबियाई** | | | | | | | |
| बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2000 अमरीकी डॉलर) | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 2.1 | 4.0 |
| प्रतिव्यक्ति जीडीपी (प्रतिइकाई अमरीकी डॉलर) | 1.6 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 0.9 | 2.8 |
| निजी उपभोग | – | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 5.4 | 3.1 | 4.6 |
| चालू खाता संतुलन/जीडीपी (प्रतिशत) | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| राजकोषीय संतुलन /जीडीपी (प्रतिशत) | – | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |

स्रोत : विश्व बैंक

नोट : वर्ष 2008 के आंकड़े आकलित हैं

वर्ष 2009 और 2010 के आंकड़े अनुमानित हैं

प्रभावित करने वाला सबसे अहम पक्ष था अमरीका की पेपर मनी डॉलर को घेरने की युक्ति। दरअसल, कंपनियों और रीयल एस्टेट को डॉलर चाहिए। यानी व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह से डॉलर के इर्द-गिर्द सिमटी हुई हैं और यह सब सवालों के घेरे में है। यह कृत्रिम एकध्रुवीय व्यवस्था सिर्फ़ एक उपभोक्ता पर टिकी है। इसे भारी बजट घाटे के जरिये फाइनेंस किया जा रहा है और इस तरह घाटा बढ़ता जा रहा है। भले ही अपने देश की अर्थव्यवस्था पर इन सदस्यों का उतना नियंत्रण न हो लेकिन ये अमरीका पर पैनी निगाह रखे हुए हैं क्योंकि ये देश यह मानते हैं कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट अमरीका की देन है। अमरीका काफी कम उत्पादन करता है और बहुत ज्यादा उपभोग करता है। अमरीका का रक्षा ख़र्च इन देशों की नज़र में दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को बुरी तरह से अपने संजाल में जकड़े हुए है क्योंकि इसमें लगा धन दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों की रिसाइकिल मनी है। अमरीकी नागरिकों का बढ़ता ख़र्च, अमरीकी कंपनियों की ओर से विदेशी कंपनियों को ख़रीदना और विदेश में पेंटागन की ओर किया गया ख़र्च, इन सारी कवायदों में लगा डॉलर विदेशी केंद्रीय बैंकों में जमा होता है। इन बैंकों को मज़बूरी में डॉलर रिसाइकिल करना पड़ता है। इन बैंकों को अमरीकी ट्रेजरी से बांड ख़रीदना पड़ता है। और अपनी मुद्रा को डॉलर के सापेक्ष बनाना पड़ता है। आखिर में उनका निर्यात इतना महंगा हो जाता है कि यह विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाता। इससे निर्यातक देशों की बेरोज़गारी बढ़ती है और कंपनियां दिवालिया होने लगती हैं। अमरीका का मुक्त बाज़ार कुछ इस तरह दबाव बनाता है कि दूसरे देश इसे अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब ये देश डॉलर केंद्रित अर्थव्यवस्था की छाया से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? एक तो इसलिए नहीं कि अमरीका अभी भी दुनिया के माल का बड़ा ख़रीदार है। दूसरे इसलिए कि अन्य देश या ब्रिक जैसी साझा अर्थव्यवस्थाएं अपने वास्तविक आकार को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकतीं।

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं (रीजनल इकोनॉमीज़) पर अपने अध्ययन को प्रकाशित किया है। ये अर्थव्यवस्थाएं सकल

घरेलू विकास की दर के अतिरिक्त चालू खाता, भुगतान शेष, व्यापार आयतन और निश्चित निवेश के मामले में नकारात्मक प्रदर्शन करती नज़र आती हैं (देखें तालिका-1)।

तालिका में प्रदर्शित आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2007 के मुक़ाबले वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट दक्षिण एशियाई देशों की रही। इसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत की। वर्ष 2009 में इन तीनों क्षेत्रों में कमोबेश इसी दर से गिरावट आनी है। हां, मध्य-पूर्व और सब-सहारा के देश इससे अवश्य बचे रहे, लेकिन वर्ष 2009 में उन पर भी प्रभाव पड़ना है। सकल घरेलू उत्पाद की दर गिरने से सबसे पहले घरेलू मांग तो गिरेगी ही राजकोषीय संतुलन भी बिगड़ेगा। राजकोषीय मामलों में सबसे ख़राब स्थिति दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की है जिसका नेतृत्व कमोबेश भारत कर रहा है। खास बात यह है कि चालू खाता संतुलन के मामले में दक्षिण एशिया की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में यदि अमरीका और उसके खेमे की अर्थव्यवस्थाओं का लड़खड़ाना जारी रहा तो फिर इन देशों के निर्यात घटेंगे और आयातों में वृद्धि होगी जो चालू खाता घाटा और भी बढ़ा देगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण एशिया और आसियान देशों का निजी उपभोग बहुत तेज़ी से गिरा है जिससे घरेलू वस्तुओं के बाज़ार का आयतन सिकुड़ना स्वाभाविक है। इससे समग्र मांग में कमी आएगी जो निवेश प्रेरणा को कम करेगी। संभव है कि इससे निवेश और घटे। पूर्वी एशिया और प्रशांत देशों की स्थिति तो इस मामले में पहले से ही दयनीय है क्योंकि उनका निजी उपभोग 2006 में ही बहुत अधिक गिर गया था। यानी उनकी अर्थव्यवस्था के विकास का दारोमदार निर्यातों पर ही था। ऐसे में जब अमरीका जैसा बड़ा खरीदार लड़खड़ाएगा तो यह उनके लिए असल में तो खुशी की बात नहीं होगी। रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर गौर करें तो 2008 में आर्थिक संकट पूरी तरह से आने के पहले से ही वैश्विक संवृद्धि महत्वपूर्ण कमज़ोरी को प्रकट कर रही थी। यूरोप, जापान और बहुत से विकासशील देशों में 2008 की दूसरी तिमाही में ही आर्थिक विकास की दर तेज़ी से गिरी थी। अमरीका का वित्तीय बाज़ार लगातार मंदी का शिकार था और घरेलू क़ीमतों के गिरने से पिछले 12 तिमाहियों में से 6 तिमाहियों में घरेलू मांग घटी थी। अमरीकी घरेलू मांग के घट जाने से बहुत से विकासशील देशों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह स्थिति अभी तक बनी हुई है इसलिए अभी जटिलता और स्थिति के विकृत होने की शंका बनी हुई है। अगर चीन और रूस जैसे देश अमरीकी अर्थव्यवस्था के और लड़ाखड़ाने में अपना स्वर्णयुग तलाशने का प्रयास करेंगे तो इसका हर्जाना अन्य विकासशील देशों को भुगतना पड़ जाएगा।

**तालिका-2**

| क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं | शहरी | | ग्रामीण | |
|---|---|---|---|---|
| | ग़रीबी हेड काउंट (प्रतिशत में) | आय अंतराल अनुपात | ग़रीबी हेड काउंट (प्रतिशत में) | आय अंतराल अनुपात |
| पूर्वी एशिया एवं प्रशांत | 13.2 | 20.3 | 31.9 | 23.2 |
| यूरोप एवं मध्य एशिया | 2.5 | 8.7 | 8.2 | 6.6 |
| लातिन अमरीका एवं कैरेबिया | 3.7 | 37.6 | 18.6 | 43.9 |
| मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका | 2.7 | 17.8 | 15.4 | 22.9 |
| दक्षिण एशिया | 32.3 | 25.0 | 43.3 | 24.0 |
| सब-सहारा अफ्रीका | 34.1 | 38.1 | 54.9 | 41.5 |
| विकासशील दुनिया | 15.3 | 27.1 | 37.1 | 28.2 |

स्रोत : विश्व बैंक

एशिया में बढ़ते मध्यम वर्ग और घरेलू खपत पर विकसित हुए नये मॉडल की खूब चर्चा होती है और भविष्य के महल इस पर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन बातें तो सिर्फ़ बातें होती हैं उनसे वास्तविक महल नहीं खड़े हो पाते। हक़ीक़त यही है कि एशियाई देशों में तड़क-भड़क रिटेल स्टोरों की बढ़ती तादाद के बावजूद अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी मांग पर निर्भर है। एक दशक पहले जब एशिया अपने घरेलू वजहों से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था तो सकल उत्पादन का 37 प्रतिशत हिस्सा निर्यात बाज़ार के लिए था। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विनिर्मित सामानों का उत्पादन बढ़ा दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दशक बाद सकल उत्पादन का 47 प्रतिशत हिस्सा निर्यात बाजार पर निर्भर हो गया। हक़ीक़त यह है कि इस महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता विदेशी बाज़ार पर बढ़ी है जबकि इस हक़ीक़त को छुपाया जा रहा है। एशिया में चीनी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा खेवनहार तथा भविष्य का हीरो बताया जा रहा है इसलिए चीन को ही उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। कहने को तो चीन में घरेलू बाज़ार में मांग बढ़ रही है लेकिन सच यह है कि हक़ीक़त छिपाई जा रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस हिसाब से खपत नहीं बढ़ रही है। चीनी बाज़ार में चीज़ें खरीदी जा रही हैं लेकिन अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन घरेलू मांग बढ़ने के दावे को सही नहीं मानते। चीन की घरेलू खपत जीडीपी की तुलना में 35 प्रतिशत तक घटी है। वर्ष 1980 में यह 50 फीसदी थी। एशिया में अंतरक्षेत्रीय व्यापार काफी बढ़ा है। इससे यह झूठा अहसास हो रहा है कि पश्चिमी उपभोक्ताओं पर इस क्षेत्र की निर्भरता खत्म हो गई है। अब भी अंतरक्षेत्र व्यापार का साठ फीसदी टुकड़ों में होता है। टुकड़ों-टुकड़ों में होने वाली आपूर्ति आखिरकार जिस उत्पादक के पास जाती है वह अमरीकी या यूरोपीय बाज़ार के लिए माल तैयार कर रहा होता है। ब्रायन क्लीन और केनथ कुकियर ने *फॉरेन अफेयर्स* नाम की पत्रिका में लिखा है कि एशिया की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से बुरा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2008 की अंतिम तिमाही की हालत दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की भी है। जहां यह समझा जाता है कि ये अर्थव्यवस्थाएं निर्यात लुढ़कने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करेंगी, वहां यह आकलन गलत निकला।

विश्व बैंक ने अपने आकलन में एक बात और भी कही है, वह है- खाद्यान्नों की क़ीमतों में वृद्धि। खाद्यान्नों की क़ीमतों में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था और राजकोष पर तो जो प्रभाव डालेगी वह डालेगी, इसका सबसे बुरा प्रभाव

**तालिका-3**

| सकल घरेलू उत्पाद विकास दर (प्रतिशत में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्र/देश | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| यूरो देश | 2.9 | 2.6 | 1.1 | -0.6 | 1.6 |
| संयुक्त राज्य अमरीका | 2.8 | 2.0 | 1.4 | -0.5 | 2.0 |
| जापान | 2.4 | 2.1 | 0.5 | -0.1 | 1.5 |
| ब्राजील | 3.8 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 4.6 |
| रूस | 7.4 | 8.1 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |
| भारत | 9.7 | 9.0 | 6.3 | 5.8 | 7.2 |
| चीन | 11.6 | 11.9 | 9.4 | 7.5 | 8.5 |

स्रोत : विश्व बैंक

नोट : अंतिम चार ब्रिक देश हैं

सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। महंगाई हमेशा ही मुद्रा को ग़रीब से अमीर की ओर स्थानांतरित कर देती है। इससे आय-अंतराल (इनकम गैप) बढ़ेगा जिससे सामाजिक संघर्षों की संभावनाएं बढ़ेंगी। विश्व बैंक का अनुमान है कि खाद्यान्नों की क़ीमतों में ऊंची वृद्धि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ग़रीबी बढ़ाएगी (देखें तालिका-2)।

गौर से देखें तो यूरोप और मध्य एशिया को छोड़ दें तो आय अंतराल सब-सहारा अफ़्रीका में सबसे अधिक रहेगा। इसके बाद लातिनी अमरीकी देशों का स्थान आता है। दक्षिण एशिया इन दोनों के बाद आता है। लातिनी अमरीकी देशों में तो पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ पहले ही हुंकार भरी जा चुकी है। सब-सहारा अफ़्रीकी देशों में भी यदि दारफुर की स्थिति को देख लिया जाए तो अन्य किसी और पक्ष को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन क्षेत्रीय आर्थिक प्रखंडों को निकट से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी का प्रतिशत अधिक है लेकिन शहरी क्षेत्रों में आय अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है। यह स्थिति सूचित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सामाजिक संघर्षों की स्थितियां तेज़ी से उभरेंगी। जैसाकि विश्व बैंक का अनुमान है, खाद्यान्न क़ीमतें बढ़ेंगी। खाद्य क़ीमतें अन्य वस्तुओं के दामों को भी प्रभावित करेंगीं। समग्र असर धीरे-धीरे बाज़ार की स्वतंत्र चाल को प्रभावित करेगा।

बहरहाल, चक्र कब टूटेगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में विश्व व्यापार आयतन 2008 के 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुक़ाबले 2.1 प्रतिशत पर पहुंचेगा। ऐसे निर्यातक देशों का अधिक बुरा हाल होने वाला है, खासकर एशिया और प्रशांत देशों के। स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर भी अपनी पुरानी गति को अभी नहीं पकड़ पाएगी(देखें तालिका-3)। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यूरो एरिया, अमरीका और जापान की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2009 में नकारात्मक ही रहेगी। इन देशों की विकास दर में गिरावट दुनिया के निर्यातों की मांग को बहुत हद तक कम करेगी। अमरीका के आयात की आय लोच 2.2 प्रतिशत पाई गई है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि अमरीका की आय में 1 प्रतिशत की गिरावट आती है तो इसके आयात में 2.2 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। चूंकि वर्ष 2006 में अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2006 में 2.8 प्रतिशत थी वह 2008 में गिरकर 1.1 प्रतिशत पर आ गई। इसका आशय यह हुआ कि अन्य देशों की तुलना में अमरीका को होने वाले निर्यात में कमी आई होगी। जब यह 2009 में 0.5 प्रतिशत रह जाएगी तो आयात और भी कम होंगे जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जिसके कुल निर्यात का 17 प्रतिशत अमरीका को और 20 प्रतिशत यूरोपीय संघ को जाता है। हालांकि ब्रिक देश आर्थिक विकास दर के मामले में बेहतर स्थिति में रहेंगे लेकिन कम से कम चीन के उत्पादों की घरेलू खपत घट रही है और निवेश का अधिकांश भाग 'हीटिंग' प्रकृति वाला है इसलिए चीन से यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वे उसी तरह से दुनिया के उत्पादों को सोख लेगा जिस तरह से अमरीका सहित विकसित देश सोखते हैं।

फिलहाल यह वक्त तमाशा देखने और अमरीका सहित विकसित देशों को लड़खड़ाते देखने का नहीं है बल्कि आपसी सामंजस्य कायम करने का है। ❑

**(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।**
**ई-मेल:** raheessingh@gmail.com)

## भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट का अधिक प्रभाव नहीं

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं प्रारंभिक चरण में वैश्विक वित्तीय संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। अगस्त 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर थी। प्रारंभ में वैश्विक वित्तीय संकट का भारत पर सकारात्मक प्रभाव ही नज़र आया क्योंकि सितंबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान 22.5 अरब अमरीकी डॉलर का भारी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ, जबकि अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान यह 11.8 अरब अमरीकी डॉलर था। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक वित्तीय संकट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु ये विश्व अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक वैकल्पिक इंजन का काम कर सकती हैं। यह आधार तर्कसंगत नहीं रह सका, क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट बढ़ गया और भुगतान संतुलन में पूंजी तथा चालू लेखों के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करने लगा। वैश्विक संकट ने मंदी और पूंजी प्रवाह के वित्त विपर्यय के माध्यम से उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सकारात्मक आर्थिक उपायों, सरकार की पहलों और वैश्विक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की पहल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाई है। ❑

# वैश्विक मुद्रा की अवधारणा और उपयोगिता

● जगबीर कौशिक

भारत ने जी-20 सम्मेलन में शामिल होने से पहले अमरीकी डॉलर के विकल्प के तौर पर एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) के अधिक उपयोग के चीन एवं रूस के सुझाव को दोहराया था। चीन के अमरीकी डॉलर के बदले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जारी करने के प्रस्ताव पर भी भारत ने खुला रुख अपनाया है। लंदन में 2 अप्रैल, 2009 को आयोजित जी-20 सम्मेलन के सिलसिले में क्रेमलिन ने 16 मार्च, 2009 को विश्वव्यापी वित्तीय पद्धति में सुधार के लिए सुपर नेशनल रिज़र्व करेंसी का प्रस्ताव दिया। जी-20 सम्मेलन हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव दस्तावेज़ों में यह सुझाव दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- आईएमएफ (अथवा जी-20 के तदर्थ कार्यकारी समूह) को निम्नलिखित विकल्पों की समीक्षा करने हेतु विशेष रूप से विचार करने के निर्देश देने चाहिए:

- प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने के लिए स्वीकार्य उपायों के आधार पर आरक्षित मुद्राओं की सूची को बढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में हमें संभावित विशिष्ट क्षेत्रीय संरचनात्मक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जो ऐसी रिज़र्व मुद्राओं की विनिमय दरों की अस्थिरता कम करने में सहायक होगी।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सुपर-नेशनल रिज़र्व मुद्रा की शुरुआत करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका तथा पूरे विश्व समुदाय द्वारा 'सुपर-रिज़र्व' मुद्रा के रूप में एसडीआर की मान्यता सुनिश्चित करने के उपायों की व्यवहार्यता एवं आवश्यकता पर विचार करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

24 मार्च, 2009 को पीपुल्स बैंक ऑफ चीन के गवर्नर झू. क्सियाचुआन ने अंतरराष्ट्रीय रिज़र्व मुद्रा के बारे में अपनाई जा रही वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक पद्धति में सृजनात्मक सुधार करने के लिए कहा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भविष्य में आने वाले संकटों का ज़ोखिम बहुत हद तक कम हो जाएगा और संकट का प्रबंधन करने की क्षमता में वृद्धि होगी। श्री झू. ने डॉलर, यूरो, येन एवं स्टर्लिंग को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुद्रा समूह 'स्पेशल ड्राइंग राइट्स' बनाने का सुझाव दिया और कहा कि यह किसी देश विशेष की नीतियों को आसानी से प्रभावित करने वाली प्रमुख रिज़र्व मुद्रा के रूप में कार्य कर सकती है। यद्यपि अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने इस सुझाव को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि इस समय डॉलर बहुत अधिक मज़बूत स्थिति में है।

**वैश्विक मुद्रा का विवेचन:** विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक मुद्रा का उल्लेख एक ऐसी मुद्रा के रूप में किया जाता है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कारोबार किया जाता है और यह विश्व की प्रमुख रिज़र्व मुद्रा के रूप में कार्य करती है। मार्च 2009 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप चीन और रूस ने वैश्विक मुद्रा पर तत्काल विचार करने के लिए मुद्रा कोष के एसडीआर का प्रस्ताव किया। विभिन्न विशेषताओं के अनुसार अनेक प्रकार की मुद्राएं होती हैं। ये विशेषताएं हैं- प्रचालन का प्रकार, प्रचालक की किस्म तथा बैंकिंग का प्रकार।

**यूरो और अमरीकी डॉलर:** बीसवीं शताब्दी के मध्य से ही अमरीकी डॉलर विश्व मुद्रा था। राबर्ट ग्लिपिन ने अपनी पुस्तक *अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इकनॉमिक आर्डर* में कहा है कि इस अवधि के दौरान 40 से 60 प्रतिशत के बीच व्यापार अमरीकी डॉलर से होता है। कई दशकों तक डॉलर दुनिया की प्रमुख रिज़र्व मुद्रा बना रहा और 1996 में डॉलर विश्व के विदेशी मुद्रा रिज़र्व का दो-तिहाई रहा है। विश्व की अनेक मुद्राएं डॉलर के सामने स्थिर रहीं। एक्वाडोर, सेल्वाडोर एवं पनामा जैसे देशों ने अमरीकी डॉलर के पक्ष में अपनी अलग मुद्रा निर्धारित कर ली। दुनिया में 63.9 प्रतिशत वैश्विक मुद्रा रिज़र्व डॉलर के माध्यम से रहा जबकि डॉलर की तुलना में यूरो का मुद्रा रिज़र्व 26.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 1999 के बाद से यूरो ने डॉलर के प्रभुत्व को कम करना शुरू कर दिया। यूरो को अपनाने वाले देश विशाल अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन जैसे अनेक देशों द्वारा यूरो को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिए जाने की संभावना है। यूरो प्रमुख रिज़र्व मुद्रा के रूप में जर्मन मार्क (डीएम) का स्थान ले रहा है और इससे सरकारी आरक्षित कोष में यूरो की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि बैंक भी यूरो क्षेत्र में अपने रिज़र्व एवं व्यापार का विविधीकरण करते हुए विस्तार करना चाहते हैं।

जैसी स्थिति डॉलर की हुई, उसी प्रकार विश्व की कुछ मुद्राएं यूरो के विरुद्ध स्थिर हो

गईं। ये मुख्यत: इस्टोनियाई करून एवं बुल्गारियाई लेव जैसी पूर्वी यूरोप की मुद्रा तथा केप वेर्डीन एस्क्यूडो तथा सीएफए फ्रेंक जैसी अनेक पश्चिम अफ्रीकी करेंसी हैं। अन्य यूरोपीय देश जो ईयू समूह के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने सदस्य देशों के साथ मुद्रा यूनियन के कारण यूरो को अपना लिया अथवा एंडोरा, मोनाको, मोन्टेनेग्रो, सन मेरिनो एवं वेटिकन सिटी ने एकतरफा अपनी मुद्रा का स्थान दे दिया। दिसंबर 2006 में यूरो प्रचलन में नकद के मिश्रित मूल्य में डॉलर से आगे बढ़ गया।

**स्पेनिश डॉलर : 17वीं से 19वीं शताब्दी:** 17वीं और 18वीं शताब्दी में सिल्वर स्पेनिश डॉलर का उपयोग एशिया से पश्चिम की ओर तथा यूरोप से पूर्व की ओर स्पेनिश नगरों में होता था। विश्वस्तर पर स्पेन की राजनीतिक प्रभुसत्ता में अटलांटिक एवं प्रशांत के पार स्पेन के वाणिज्यिक मार्गों का महत्व था तथा चांदी के सिक्कों की गुणवत्ता एवं शुद्धता ने दो शताब्दियों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता प्रदान करने में योगदान किया। यह करेंसी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक फिलीपींस माइक्रोनेशिया, गुआम आदि स्पेन के प्रशांत महासागर के नगरों, करोलिन महाद्वीप तथा बाद में चीन और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में कानूनी रूप से प्रचलन में थी। ब्राज़ील को छोड़कर दक्षिण एवं मध्य अमरीका तथा कनाडा में भी उन्नीसवीं सदी के मध्य तक स्पेनिश डॉलर को कानूनी मान्यता प्राप्त थी। साइबेरियाई प्रायद्वीप, मिलान, नेपल्स किंगडम, सिसली, सार्दिनिया, फ्रांस और स्पेनिश नीदरलैंड की भी यह विधिमान्य मुद्रा थी तथा ऑस्ट्रेलियाई हब्सबर्ग सहित अन्य यूरोपीय देशों में भी इसका उपयोग होता था।

**19वीं और 20वीं शताब्दी:** 18वीं शताब्दी के दौरान और इससे पूर्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार सोने के वजन के अनुसार निर्मित मुद्राओं के माध्यम से होता था। उस समय अधिकतर राष्ट्रीय मुद्राएं सोने के वजन के अनुसार प्रचलन में थीं। इस प्रकार दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि सोना विश्व की पहली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा थी। प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक समाप्त होने के कारण विश्व व्यापार में अत्यधिक विसंगतियां पैदा हो गईं।

वर्ष 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स कांफ्रेंस के बाद की अवधि में पूरे विश्व में अमरीकी डॉलर की विनिमय दरें स्थिर रही और इसे सोने की निर्धारित राशि में बदला जा सकता था। इस दौरान अमरीकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया। वर्ष 1971 में स्मिथ सोनियन करार के बाद निर्धारित विनिमय दर एवं स्वर्ण मानक व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात और अस्थिर विनिमय दरों की शुरुआत से दुनिया की अधिकतर मुद्राएं अमरीकी डॉलर की तुलना में लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाईं। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका विश्व का आर्थिक सुपर पावर बना रहा। अधिकतर अंतरराष्ट्रीय कारोबार अमरीकी डॉलर के माध्यम से ही होता रहा और यह विश्व मुद्रा बना रहा किंतु वैश्विक मुद्रा के रूप में अमरीकी डॉलर के अस्तित्व को दो चुनौतियां देखने को मिलीं। 1980 के दशक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जापानी येन का उपयोग बढ़ने लगा किंतु 1990 की जापानी मंदी से इसका उपयोग कम होने लगा। अंतरराष्ट्रीय वित्त बाज़ार में हाल के वर्षों में अमरीकी डॉलर के साथ यूरो की प्रतियोगिता बढ़ी है।

**अकेली सापेक्ष सुपरनेशनल मुद्रा:** वैश्विक मुद्रा की वैकल्पिक परिभाषा में अकेली सापेक्ष वैश्विक मुद्रा या सुपर करेंसी का उल्लेख आता है। इस मुद्रा का उपयोग कारोबार में लगे मुख्य नाम (व्यक्तिगत, निगम, सरकार अथवा अन्य संगठन) की राष्ट्रीयता के बिना सारे विश्व में किया जाता है। इस समय ऐसी कोई सरकारी मुद्रा प्रचलन में नहीं है। वैश्विक मुद्रा के संदर्भ में अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं। जैसे इस मुद्रा का प्रशासनिक नियंत्रण वैश्विक केंद्रीय बैंक के पास होना चाहिए अथवा यह स्वर्ण मानक के अनुरूप होनी चाहिए। वैश्विक मुद्रा के समर्थकों ने अलग भाषा, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र, समूह द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित सुपरनेशनल मुद्रा के उदाहरण के रूप में यूरो का उल्लेख किया। सीमित विकल्प के तौर पर वर्तमान एसडीआर के क्रमिक विकास के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी हो सकती है और इसका उपयोग सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय केंद्रीय बैंकों द्वारा आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में किया जा सकता है।

**एसडीआर विषयक शंका समाधान:** एसडीआर ऐसी आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे चीन ने भी महत्व प्रदान किया है। प्रमुख आरक्षित मुद्रा के रूप में एसडीआर द्वारा डॉलर का स्थान लेने संबंधी में कई मुद्दे हैं:

- क्या एसडीआर को अधिकांश लोग स्वीकार करेंगे, खासकर यह देखते हुए कि इसे किसी सरकार का समर्थन हासिल नहीं है? व्यापक तौर पर यूरो द्वारा डॉलर का स्थान लेने के मुद्दे पर भी एक प्रश्न यह उठता है कि यूरो को किसी एक सरकार का समर्थन हासिल नहीं है।
- मुद्रा की तीन प्रमुख विशेषताओं में से एसडीआर में सिर्फ़ दो विशेषताएं हैं। यह खाते की इकाई है और इसमें संचित मूल्य है, लेकिन यह विनिमय का माध्यम नहीं है।
- डॉलर भी इन तीनों मानकों को पूरा नहीं करता है। यह खाते की इकाई है और विनिमय का माध्यम भी है, लेकिन डॉलर में संचित मूल्य नहीं है। इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए सहेज कर नहीं रखा जा सकता। भविष्य में पता नहीं कि इसका मूल्य क्या होगा? विश्व युद्ध के बाद के दौर में इसमें दो-तिहाई गिरावट देखने को मिली थी।
- किसी भी सूरत में यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि एसडीआर एक आरक्षित मुद्रा के तौर पर डॉलर की जगह ले लेगा। खासकर तब, जबकि इसे एक विनिमय के माध्यम के तौर पर स्वीकार न कर लिया जाए। आज ईरान जैसे देश तेल के लिए यूरो में भुगतान की मांग कर रहे हैं। कच्चा तेल दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी जिंस है। हालांकि बुनियादी मूल्यांकन अभी भी डॉलर में ही होता है और यूरो केवल भुगतान की मुद्रा है।

वैश्विक मुद्रा के प्रबल समर्थकों के मतानुसार ऐसी मुद्रा को मुद्रास्फीति जैसा संकट भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, अनेक अर्थशास्त्री समर्थन में यह तर्क देते हैं कि वैश्विक मुद्रा से अत्यधिक कुशलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है और इससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ अर्थशास्त्री इसके विरुद्ध तर्क देते हुए कह रहे हैं कि एकल वैश्विक मुद्रा से राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक पद्धतियां प्रभावित होंगी।

**राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को नुक़सान:** एक विचार यह आया है कि एक मुद्रा होने से ब्याज दर भी केवल एक ही (सभी देशों में एक समान) होनी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक वर्तमान मुद्रा क्षेत्र (जिस क्षेत्र में उस मुद्रा का प्रचलन है) अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल ब्याज दर निर्धारित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक तेज़ी आई है और यूरोपीय संघ मंदी की चपेट में है, एक-सी स्थिति में दोनों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल ब्याज दर निर्धारित करना कठिन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका अपनी आर्थिक तेज़ी का लाभ अपने नागरिकों को दे पाने में असमर्थ होगा अथवा यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था और अधिक संकट में घिर सकती है।

**राजनीतिक समस्याएं:** वर्तमान में विश्व के सभी देश एक मुद्रा तैयार करने और उसका समर्थन करने के लिए एक साथ नहीं आ पाएंगे। विश्व मुद्रा तैयार करने से पहले विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक, कूटनीतिक एवं आर्थिक सामंजस्य भी होना चाहिए। विश्व मुद्रा के कारण छोटे देशों को अपनी प्रभुसत्ता खोने का भय सताता रहेगा। इसके अलावा, अधिकतर आधुनिक मुद्राओं के लिए ब्याज दर निर्धारित करना आवश्यक होता है जबकि विश्व के कई धर्मों में से एक इस्लाम ऋण के लिए ब्याज का भुगतान करने के विचार के विरुद्ध है। क्योंकि इस्लाम में ब्याज को हराम माना गया है।

**आर्थिक समस्याएं:** कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एकल विश्व मुद्रा की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अमरीकी डॉलर पहले ही विश्व मुद्रा के लाभ प्रदान कर रहा है। यदि दुनिया में अनुकूल मुद्रा क्षेत्र तैयार नहीं होता तो विश्व के लिए आर्थिक दृष्टि से विश्व मुद्रा लागू करना लाभप्रद नहीं होगा किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसका विशद विश्लेषण कर लेना चाहिए।

**नयी मुद्रा से कम नहीं होगा डॉलर का दबदबा:** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया में एक नयी मुद्रा की बहस छेड़ दी है। इसे एसडीआर का नाम दिया गया है। कई लोगों को उम्मीद है, खासकर चीन को, कि आने वाले दिनों में एसडीआर डॉलर की जगह ले सकता है। इसके अलावा उम्मीद यह भी की जा रही है कि दुनियाभर के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की तुलना में एसडीआर डॉलर की जगह ले सकता है। हालांकि इस बात में संदेह है क्योंकि एसडीआर कभी डॉलर, यूरो या येन का विकल्प नहीं बन सकता। एक अलग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने के बजाय एसडीआर डॉलर एवं विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं का एक डेरिवेटिव बनकर उभर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अधिकतर देशों की आर्थिक हैसियत उनके पास विद्यमान सोने के भंडार से तय होती थी। भंडार में रखे सोने के आधार पर कोई भी देश मुद्रा जारी कर सकता था। इसका नतीज़ा यह हुआ कि मुद्रास्फीति लगभग शून्य पर चली गई। सरकार अपनी इच्छा से नोट नहीं छाप सकती थी। विश्व युद्ध में हुए ख़र्च की वजह से सरकारों को मुद्रा की आवश्कता महसूस हुई और उन्होंने सोने के मापक को हटा दिया। इसके अलावा, रूस और दक्षिण अफ्रीका में सोने के नये भंडारों की वजह से लोगों को लगा कि उन्हें इन दोनों देशों के रहमोकरम पर रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोने का महत्व कम करने के उपाय किए।

प्रिंटिंग प्रेस पर निर्भरता ने मुद्रास्फीति में उछाल को जन्म दिया। आज सरकार सोने के भंडार के आधार पर नोट छापने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हालांकि लोग मुद्रास्फीति के बारे में शिकायत भी करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सामान की क़ीमतें स्थिर रहने पर सरकार द्वारा कुछ नहीं करने की तुलना में मुद्रास्फीति में बदलाव आने पर सरकार द्वारा उसे कम करने के प्रयास करना बेहतर है। सोने के विकल्प को तिलांजलि देना सफल कदम नहीं कहा जा सकता। 1929-30 में आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा। विभिन्न देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा की वजह से क़ीमतों में कमी ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार को 80 प्रतिशत से भी नीचे पहुंचा दिया। इसके बाद वर्ष 1944 में प्रमुख मार्केट इकॉनोमी ने फ़ैसला किया कि मौद्रिक नीति बनाई जाए। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने एक नयी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का प्रस्ताव दिया। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया और नयी व्यवस्था में डॉलर का बोलबाला कायम हो गया क्योंकि उस समय यही एकमात्र मुद्रा थी जिसे सोने में बदलना संभव था। इसके मद्देनज़र आईएमएफ ने अन्य वस्तुओं की अवहेलना शुरू कर दी। हालांकि अमरीका इस बात से नाखुश था क्योंकि वही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी मुद्रा सोने से संबंधित थी। उसने भी आखिरकार 1971 में इस संबंध को समाप्त कर दिया। इसके बाद सभी मुद्राएं एक-दूसरे की तुलना में उतार-चढ़ाव झेलती रहीं। इसके बाद देशों ने विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में मुख्य रूप से डॉलर रखना शुरू कर दिया। यद्यपि कई देश स्टर्लिंग, येन और यूरो को भी महत्व देते रहे। पिछले कुछ वर्षों से अमरीका ने विश्व की अर्थव्यवस्था को संचालित करना शुरू कर दिया। इसके चलते उसे भारी कारोबार घाटा हुआ और वह विदेशी कर्ज़ में डूब गया। चीन एवं अन्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में अरबों डॉलर जमा हैं। अमरीकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ओबामा द्वारा डॉलर छापने की घोषणा की वजह से चीन को लगता है कि उसके मुद्रा भंडार और डॉलर दोनों में कमज़ोरी दर्ज़ की जाएगी। इसलिए अब चीन चाहता है कि एसडीआर को रिज़र्व के रूप में महत्व दिया जाए और धीरे-धीरे डॉलर को इससे बाहर निकाला जाए।

भारत जैसे देशों को लगता है कि एसडीआर जारी होने के बाद कर्ज़ बाज़ार में तरलता की हालत में सुधार होगा क्योंकि विकासशील देशों को कर्ज़ मिलने में समस्या हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि एसडीआर मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद की किरण बन कर आएगा। वर्ष 1970 से अब तक आईएमएफ ने सिर्फ़ 21.4 अरब एसडीआर की छपाई की है जो आज की तुलना में लगभग 32 अरब डॉलर के बराबर है। ऐसा प्रस्ताव है कि आने वाले समय में 250 अरब डॉलर मूल्य का एसडीआर छापा जाएगा। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए लाखों-करोड़ डॉलर की तुलना में काफी कम होगा। इसके अलावा, एसडीआर का वितरण आईएमएफ कोटे के आधार पर किया जाएगा। इससे एसडीआर का तीन-चौथाई विकसित देशों के पास चला जाएगा तथा भारत को 2 प्रतिशत एवं चीन को 3.7 प्रतिशत एसडीआर ही मिल पाएगा। अत: एसडीआर के बावजूद डॉलर का प्रभुत्व कायम रहेगा। ❑

**(लेखक एक मासिक पत्रिका के उप-संपादक हैं।**
**ई-मेल:**dr.kaushik@rocketmail.com)

# दलितों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के विकास पर विशेष ध्यान

सरकार अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनकी स्कूली स्तर की शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान अस्वच्छ पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान करने का लक्ष्य था। वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए प्रदेशों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 59.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

इसके अलावा पहली जनवरी 2008 से 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना' बनाई गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 4,938 बालिकाओं के लिए 64 छात्रावासों और 3,138 बालकों के लिए 45 छात्रावासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत 84.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत 1,333 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एमफिल, पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए 87.94 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 2008-09 की वार्षिक योजना में 2,121 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2007-08 में किए गए 1,719.17 करोड़ रुपये परिव्यय की तुलना में 23.33 प्रतिशत अधिक है। 2008-09 के परिव्यय में 900 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है जो जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि वन्य ग्रामों के विकास के लिए है।

सरकार द्वारा पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन अल्पसंख्यक सुमदायों के तौर पर अधिसूचित किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनंसख्या का 18.42 प्रतिशत है। अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए वर्ष 2008-09 में आयोजना परिव्यय को दुगुना करके एक हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया था। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके लिए वर्ष 2008-09 में कुल 305 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों में स्वरोज़गार और अन्य आर्थिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास एवं वित्त निगम के ऋण और लघु वित्त संचालनों को विस्तार करने के लिए इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी वर्ष 2006-07 में 650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 850 करोड़ रुपये कर दी गई है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों के अधीन नौ लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। इसी प्रकार मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए 10 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। ❑


SAROJ KUMAR'S IAS ERA

भूगोल Geography | सा०अध्ययन Gen.Studies | इतिहास History | निबन्ध Essay

(हिन्दी&EnglishMedium)

With SAROJ KUMAR

OUR SELECTED CANDIDATES IN I.A.S.

OURSELECTEDCANDIDATESINP.C.S

MAINS SPECIALS (2 Months)
GEOG.,G.S.,HISTORY+ESSAY

Foundation Course
(P.T.& Mains) 4-5 Months

TEST SERIES
Geog., G.S., History, Pub.Admn. 1 Month

Postal Course (P.T.& Mains)
Geog., G.S., History

P.C.S. Special classes

Personality Development & Interview classes

SHORTLY OPENING AT MUKHERJEE NAGAR, NEAR BATRA CINEMA

WEEKENDORREGULARCLASSES
FORDAYSCHOLARS(WorkingPeople)-
EARLYMORNINGOREVENINGBATCH

Contact: Dr. Veena Sharma
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9,RoopNagar,G.T.KarnalRd.,NearShaktiNgr.RedLight,
AboveP.N.B.NearDelhiUniversity,NorthCampus,Delhi-7
Ph.:011-64154427Mob.:9910415305,9910360051

YH-8/09/1

# अपना दीपक खुद बनो

● रख्शां हाशमी

संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है 'अप्प दीपो भव' यानी अपना दीपक खुद बनो। कहने का अर्थ यह है कि अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। हममें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास और आत्मबल की अत्यधिक कमी होती है, वह सदैव दूसरों पर आस लगाए बैठे रहते हैं। उनकी तुलना उस परजीवी कीटाणु से की जाती है, जो दूसरों की अस्थिमज्जा, रक्त पर पलकर अपना पोषण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज में भी उसकी कोई साख नहीं होती।

मनुष्य तो वही प्रशंसा के लायक है जो अपना मार्ग स्वयं बनाता है। किसी के आगे हाथ पसारना दरिद्रता का द्योतक है। सहायता पाने की कामना उसे ही होती है, जिसमें इच्छा शक्ति और बाहुबल का अभाव होता है। नेपोलियन अक्सर कहा करते थे कि किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए उसे स्वयं करना चाहिए। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भी 'एकला चलो रे' का उद्घोष किया था। अपना पथ स्वयं बनाने वाला स्वत: ही लोगों का आदर्श बन जाता है। उसके तेज़, शौर्य और शक्ति के आगे विकट परिस्थितियां भी आत्मसमर्पण कर देती हैं। महान विचारक ख़लील ज़िब्रान अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे मधुर संगीत निकालते हो या बेसुरी आवाज़ें।

ईश्वर ने हमें दो हाथ, दो पांव और एक मस्तिष्क दिया है, वह इसलिए कि अपना पथ प्रशस्त करने के लिए इतना ही काफी है, अन्यथा ईश्वर के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। करुणा के अवतार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को निर्वाण प्रदान करने की बात न कर सदैव यही कहा करते थे कि निर्वाण का मार्ग स्वयं खोजो.... मैं तुम्हारे आगे-आगे कब तक रहूंगा।

मंजिल के अन्वेषी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, उनकी नज़रें हमेशा अपने लक्ष्य पर होती हैं। हेलेन केलर का यह परामर्श मनन करने योग्य है- "अपना मुंह सूर्य की ओर रखें तो परछाई देखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।"

एक बार एक क़ाहिल किस्म के व्यक्ति ने कहीं सुना कि कोई महात्मा है, वह जब चलते हैं, उनके स्पर्श से धरती सोने की हो जाती है। उसने सोचा क्यों ने उनका शिष्य बन जाया जाए। महात्मा पथरीले रास्तों, कांटेदार वृक्षों और दु:साध्य बर्फ़ीले स्तूप से गुज़रते। क़ाहिल शख़्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसने कहा- महात्मन आप थोड़े से सोने के लिए मुझे कितना परेशान करते हैं। महात्मा बोले मैं कुछ नहीं देता तुम जो परिश्रम करते हो उसका फल पाते हो।

इस संबंध में एच. स्पेंसर की इस युक्ति से हमारी पूरी सहमति होनी चाहिए कि जो अपनी सहायता करता है ईश्वर उसी की सहायता करता है। महारथी अर्जुन के विश्वविजयी होने के पीछे उनका यह दृढ़ संकल्प था- 'न दैन्यं न पलायनम' - न तो मैं कभी अपने को असहाय अनुभव करूंगा और न कभी जीवन की विषमताओं और विसंगतियों से पलायन करूंगा। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के अनुसार भी व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं चयन करता है। अज्ञेय के *नदी के द्वीप* उपन्यास की नायिका सहायता की आस लिए भटकती रहती है, अंत में आत्मबल ही उसे द्वीप से बाहर निकालता है। पं. नेहरू ने ज़ोर देकर कहा है कि जय उसी की होती है जो अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करते हैं।

आज दुनिया जिसे पाणिनी के नाम से जानती है और संसार में जिससे बड़ा व्याकरण का ज्ञाता आज तक नहीं हुआ, उसे गुरु ने यह कह कर निकाल दिया था कि तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखा नहीं है। तब बालक ने अपनी हथेली को तेज़ छुरी से चीर कर रेखा बना ली थी। आचार्य उसके संकल्प को देखकर अवाक् रह गए। ऐसे महान विचारक, संत, विद्वान, लेखक, उपदेशक ने दूसरों की सहायता लेकर यह उपस्थिति दर्ज़ नहीं की बल्कि वह अपना दीपक खुद बने। उन्होंने रास्ता तो तय किया, लेकिन कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दुष्यंत कुमार ने लिखा है:

*मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नज़र है।*
*मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा।।*

अरविंद घोष ने एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य का मूल्य उसके काम या कथन से नहीं बल्कि वह जीवन में स्वयं क्या बन रहा है इसे देखकर आंकना चाहिए। शेख सादी अक्सर फरमाया करते थे- उस जैसा दुखी कोई नहीं जो चाहता सब कुछ है करता कुछ नहीं।

विटूजन कहा करते हैं कि जिनमें आत्म विश्वास नहीं है, जो सर्वदा दूसरों से अपेक्षाएं रखता है, वह वास्तव में कायर है। किसी को धक्के देकर उसे कुछ कदम तो आगे बढ़ाया जा सकता है, मंजिल तक नहीं लाया जा सकता। लक्ष्य पर वही पहुंचता है जो कभी खुद्दारी और स्वाभिमान का दामन नहीं छोड़ता। उसकी आंतरिक शक्ति हमेशा उसे ऊर्जावान बनाए रखती है। अमरीकी दार्शनिक कवि ने लिखा है कि क्या तुम दौड़ लगाते हुए थककर चूर हो गए हो? कोई बात नहीं, अगली दौड़ के लिए सुस्ता कर दम भर लो। ❑

# ख़बरों में

● **गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ा**

केंद्र सरकार ने अक्तूबर-सितंबर 2009-10 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 32 फीसदी बढ़ाकर 107.76 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को को मंजूरी दे दी है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को किसानों से गन्ना की ख़रीद करने के लिए उन्हें भुगतान करना होता है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अलग परामर्श मूल्य भी जारी करती हैं। 2008-09 में एसएमपी 81.18 रुपये प्रति क्विंटल था।

इस गारंटी मूल्य के अलावा किसानों को 9.5 फीसदी से ज्यादा की अतिरिक्त चीनी रिकवरी पर बढ़ी हुई क़ीमत मिलेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि किसानों को 9.5 फीसदी से ज्यादा 0.1 फीसदी अतिरिक्त रिकवरी के लिए 1.13 रुपये का प्रीमियम प्राप्त होगा। देश का चीनी उत्पादन इस साल सितंबर में समाप्त होने वाले 2008-09 के सत्र में 1.5 करोड़ टन होने का अनुमान है।

**मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय**

- सरकार ने मुर्गीपालन विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है। इसका मकसद किसानों को पॉल्ट्री गतिविधियों से अतिरिक्त आय सृजित करने में मदद करना है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में केंद्र प्रायोजित इस योजना को मंजूरी दी गई। इसमें दो नये हिस्से शामिल किए गए हैं जिसमें घर में कुक्कुटशालाएं खोलने और मुर्गीपालन क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को प्रोत्साहित करने की योजना है।

सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसे 2009-10 से लागू किया जाएगा। सीसीईए की बैठक के बाद गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा- घरेलू कुक्कुटशाला योजना ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए है जिसका मकसद उन्हें पूरक आय और पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। इस योजना से 3.85 लाख ग़रीब परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों में उद्यमी दक्षता विकसित करने और पायलट परियोजना के आधार पर कम से कम दो पॉल्ट्री एस्टेट्स स्थापित करने के लिए मदद उपलब्ध कराएगी। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन पाने में मदद मिलेगी।

● **गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध**

भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पुनः रोक लगा दी है। इसके निर्यात पर पहले भी प्रतिबंध था जिसे महज दस दिन पहले हटाया गया था।

यह फ़ैसला मानसून से होने वाली बारिश में कमी आने की आशंका के मद्देनज़र किया गया है ताकि अन्न भंडार सुरक्षित स्तर पर बना रहे और किसी भी परिस्थिति में घरेलू मांगों की पूर्ति हो सके।

विदेश व्यापार महानिदेशक ने पिछले दिनों जारी अधिसूचना में गेहूं के निर्यात पर ताज़ा प्रतिबंध लगाया है। इसमें कहा गया है कि महानिदेशालय तीन जून के फ़ैसले को वापस ले रहा है जिसमें निर्यात में ढील दी गई थी।

जून और जुलाई में अब तक देश के कई हिस्सों में कम बारिश हुई है जिसका असर ख़रीफ की फ़सल पर पड़ने की आशंका है। कम बारिश का सीधा असर धान की खेती पर पड़ सकता है।

● **चित्रकार तैयब मेहता नहीं रहे**

भारत के जाने-माने चित्रकार और पद्मभूषण से सम्मानित तैयब मेहता का पिछले दिनों मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 84 साल के थे। वे पिछले दो साल से बीमार चल रहे थे।

मेहता को कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सरकार ने पद्मभूषण से नवाज़ा था। उनकी एक कलाकृति 'काली' की नीलामी में एक करोड़ से ज्यादा की बोली लगी थी वहीं 'सेलिब्रेशन' नाम की कलाकृति की बिक्री डेढ़ करोड़ रुपये में हुई थी।

आर्ट डायरेक्टर मजीद ने तैयब मेहता को चित्रकार बनने की प्रेरणा दी। तैयब मेहता ने 1947 में मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। पांच साल की पढ़ाई के बाद 1952 में उन्हें चित्रकला में डिप्लोमा मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात सैयद हैदर रजा, वीएस गायतोंडे, रायबा, मोहन सामंत जैसे कलाकारों से हुई, जिन्होंने मेहता को चित्रकला में गहरे तौर पर रमने के लिए प्रेरित किया।

● **नंदन नीलेकणी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए**

केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी विशिष्ट पहचान कार्यक्रम (यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम) में प्रोफेशनल विशेषज्ञता शामिल करने की पहल करते हुए इंफोसिस के को-चेयरमैन नंदन नीलेकणी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईएआई) का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस पद पर रहते हुए नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा प्राप्त होगा।

यूआईएआई चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति होने के तुरंत बाद नीलेकणी ने इंफोसिस से इस्तीफ़ा दे दिया।

यूएआईए का गठन जनवरी 2009 में योजना आयोग के अंग के तौर पर किया गया था। इस पर देशभर में यूनिक आइडेंटिफिकेशन योजना लागू करने से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी होगी। अथॉरिटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार की योजना के मुताबिक 2011 तक सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी कर दी जाएगी। अथॉरिटी इन संख्याओं के डाटाबेस को नियंत्रित करेगा और साथ ही नियमित अंतराल पर इन्हें अद्यतन करने और इनके रखरखाव का काम भी उसके जिम्मे होगा। यूआईडी परियोजना के जरिये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के समाधान के अलावा वस्तुओं और सेवाओं के सार्वजनिक बंटवारे के लिए एक व्यवस्थित तंत्र भी विकसित किया जा सकेगा। शुरुआत में यूआईडी संख्या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या मतदाता सूची के आधार पर आवंटित की जाएगी। व्यक्ति की पहचान पर जालसाजी की संभावना खत्म करने के लिए इसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक आंकड़े जोड़े जाएंगे साथ ही लोगों के फायदे के लिए इसके आसान पंजीकरण और जानकारियों में बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के तरीक़ों पर भी विचार किया जा रहा है। ❑

अब नेट उपलब्ध

## वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

# भारत 2009

मूल्य: 345 रुपये

देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए

* अर्थव्यवस्था
* विज्ञान और तकनीक
* सामाजिक विकास
* राजनीति
* शिक्षा
* कला और संस्कृति

**अपनी प्रति यहां से खरीदें :**

हमारे विक्रय केंद्र: • **नई दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260) • **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बेंगलूर** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गोवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

**प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं**

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन. 011–24365610, 24367260, फैक्स: 24365609

ईमेल: dpd@mail.nic.in
dpd@sb.nic.in
वेबसाइट: www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

DPDB-11-09/2



प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
पंजी सं. 951/57
R.N.951/57
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 जुलाई, 2009 को प्रकाशित • 29-30 जुलाई, 2009 को डाक द्वारा जारी

# रोज़गार समाचार

## साप्ताहिक

क्या आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/ रेलवे भर्ती बोर्ड/सशस्त्र सेनाओं/बैंकों में रोज़गार तलाश रहे हैं?

रोज़गार समाचार आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। यह विगत तीस वर्षों से नौकरियों के लिए सबसे अधिक बिकने वाला साप्ताहिक है। आप भी इसके सहभागी बनें।

आपका हमारी वेबसाइट:
employmenteews.gov.in
पर स्वागत है, जो कि
- नवीनतम प्रौद्योगिकी से विकसित है।
- उन्नत किस्म के सर्च इंजिन से युक्त है।
- आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र समाधान करती है।

रोज़गार समाचार/एम्प्लाएमेंट न्यूज की प्रति के लिए निकटतम वितरक से संपर्क करें।

व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें :
रोज़गारसमाचार, पूर्वीखण्ड4, तल5, रामकृष्णपुरम, नईदिल्ली।
फोन : 26182079, 26107405, ई–मेल : enabm sa@yahoo.com

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार